।। महानिदेशालय कारागार राजस्थान जयपुर।।

:: दिनांक 16.04.2021 को सम्पन्न हुई बंदी खुला शिविर समिति की बैठक का कार्यवाही विवरण ::

राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के अंतर्गत गठित बंदी खुला शिविर समिति की **बैठक दिनांक 16.04.2021** को **महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कारागार राजस्थान, जयपुर** की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें निम्नांकित अधिकारीगण उपस्थित हुये :

1. **श्रीमती मालिनी अग्रवाल,** — **सदस्य**
   अति. महानिदेशक कारागार
   राजस्थान, जयपुर।
2. **श्री विक्रम सिंह** — **सदस्य**
   महानिरीक्षक कारागार
   राजस्थान, जयपुर।
3. **श्री कैलाश चन्द,** — **सदस्य**
   उप शासन सचिव,
   गृह (ग्रुप-12) विभाग,
   राजस्थान, जयपुर।
4. **श्रीमती मोनिका अग्रवाल,** — **सदस्य सचिव**
   उप महानिरीक्षक कारागार
   रेंज, जयपुर।
5. **श्री रमेश कुमार दहमीवाल,** — **सदस्य**
   सहायक निदेशक (परिवीक्षा)
   सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,
   राजस्थान, जयपुर।

बैठक में कुल 350 बंदियों के खुला बंदी शिविर प्रकरणों पर विचार किया गया, जिसमें 74 बंदियों को खुले बंदी शिविरों में भिजवायें जाने का निर्णय लिया गया। जिसका कार्यवाही विवरण पृथक् से तैयार किया गया है और 276 बंदियों शेष निम्नलिखित दण्डित बंदियों को वरिष्ठता क्रम में आने के उपरान्त भी निम्न वर्णित कारणों से खुला बंदी शिविर हेतु चयनित नहीं किया गया है :-

1. **देरामराम उर्फ देवाराम पुत्र शिवलाल, के.का. जोधपुर:-** बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2020 तक 28 वर्ष 03 माह 29 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

दिनांक 09.12.2013 को बंदी को स्थाई पैरोल पर रिहा किया गया था किंतु स्थाई पैरोल के दौरान बंदी द्वारा अपराध कारित किये जाने से बंदी की स्थाई पैरोल राज्य सरकार द्वारा रिवोक की जाकर बंदी को जेल दाखिल कराया गया।

उक्त के अतिरिक्त बंदी मानसिक रोगी होने से राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (झ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं है।

अत: उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी देरामराम उर्फ देवाराम पुत्र शिवलाल** को खुला बंदी शिविर में नहीं भेजे जाने का निर्णय लिया गया।

2. **अनवर पुत्र रमजानी, के.का. बीकानेर :-** बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2020 तक 28 वर्ष 25 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है, बंदी को निम्नांकित प्रकरणों में दण्डित किया गया है :-

1. माननीय अपर सैशन न्यायाधीश, रामगंजमण्डी कोटा द्वारा प्रकरण संख्या 143/1998 अंतर्गत धारा 302 आई.पी.सी. व 3/25 आर्म्स एक्ट में दिनांक 05.11.1998 को आजीवन कारावास।
2. माननीय अपर सैशन न्यायाधीश, संख्या 05 कोटा द्वारा प्रकरण संख्या 17/1999 अंतर्गत धारा 3/25 आर्म्स एक्ट में दिनांक 16.11.2000 को 03 वर्ष कठोर कारावास।
3. माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट, सांगोद द्वारा प्रकरण संख्या 371/1997 अंतर्गत धारा 458, 384, 506 आई.पी.सी. में दिनांक 04.01.2003 को 01 वर्ष साधारण कारावास।

4. माननीय एम.जे.एम. विजयनगर जिला श्रीगंगानगर द्वारा प्रकरण संख्या 114/2015 अंतर्गत धारा 224 आई.पी.सी. में दिनांक 29.08.2016 को 01 वर्ष साधारण कारावास।

5. माननीय विशिष्ठ न्यायाधीश, डकैती एवं अपहरण प्र.क्षेत्र श्योपुर द्वारा प्रकरण संख्या 35/2015 अंतर्गत धारा 307, 506 भाग-2 आई.पी.सी. में दिनांक 12.01.2017 को 10 वर्ष कठोर कारावास।

6. माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट, कनवास कोटा द्वारा प्रकरण संख्या 46/2015 अंतर्गत धारा 379 आई.पी.सी. में दिनांक 15.11.2017 को 03 वर्ष कठोर कारावास।

7. माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट, दीगोद कोटा द्वारा प्रकरण संख्या 113/2015 अंतर्गत धारा 5/25 आर्म्स एक्ट में दिनांक 17.01.2018 को 03 वर्ष साधारण कारावास।

बंदी को खुला बंदी शिविर, जैतसर से दिनांक 19.09.2014 को उपस्थिति के दौरान अनुपस्थित पाया गया। जिसको तलाश करने पर बंदी के नहीं पाये जाने से पुलिस थाना, जैतसर में एफ.आई.आर. संख्या 294 दिनांक 20.09.2014 अंतर्गत धारा 224 आई.पी.सी. में दर्ज करवायी गई। बंदी को दिनांक 30.10.2015 को उप कारागृह, सूरतगढ़ में दाखिल करवाया गया। बंदी को माननीय सी.जे. एवं जे.एम. श्रीविजयनगर (श्रीगंगानगर) द्वारा प्रकरण संख्या 114/2015 अंतर्गत धारा 224 आई.पी.सी. में एक वर्ष साधारण कारावास से दण्डित किया गया, जिसकी सजा दिनांक 28.10.2016 को समाप्त हो चुकी है।

इस प्रकार बंदी राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (ग) व (च) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं है। अधीक्षक जेल ने बंदी के विरूद्ध 04 अन्य प्रकरण विचाराधीन बताये है।

उक्त के अतिरिक्त केन्द्रीय कारागृह, अजमेर में निरूद्धीकरण के दौरान बंदी ने दिनांक 19.04.2018 को एक अन्य बंदी की हत्या कर दी। ऐसी स्थिति में बंदी को खुला शिविर में भेजा जाना समाज हित में उचित नहीं है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी अनवर पुत्र रमजानी** को खुला बंदी शिविर में नहीं भेजे जाने का निर्णय लिया गया।

3. **नन्दजीराम पुत्र मथुरालाल, के.का. कोटा :-** बंदी ने दिनांक 31.12.2020 तक 26 वर्ष 08 माह 02 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी मानसिक रोगी एवं लाचार होने से राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (झ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर में भेजे जाने हेतु पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी नन्दजीराम पुत्र मथुरालाल** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

4. **जेठाराम पुत्र नेमाराम, के.का. जयपुर :-** बंदी ने दिनांक 31.12.2020 तक 23 वर्ष 11 माह 19 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी दिनांक 06.01.2015 को बंदी खुला शिविर, सांगानेर से फरार हो गया था, जिस पर पुलिस थाना सांगानेर जयपुर शहर पूर्व में प्राथमिकी संख्या 28/2015 अंतर्गत धारा 224 आई.पी.सी. में दर्ज कराई गई। बंदी को दिनांक 14.01.2015 को पुलिस थाना सांगानेर द्वारा गिरफ्तार कर जेल दाखिल कराया गया।

अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट क्रम संख्या 20 सांगानेर जयपुर द्वारा प्रकरण संख्या 754/2015 अंतर्गत धारा 224 आई.पी.सी. में दिनांक 22.05.2015 को 04 माह 10 दिवस साधारण कारावास की सजा से दण्डित किया गया।

उक्त के अतिरिक्त बंदी मानसिक रोगी भी है इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (ग) व (झ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी जेठाराम पुत्र नेमाराम** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

5. **पृथ्वीराज उर्फ पृथ्वी पुत्र भागीरथ, के.का. बीकानेर :-** बंदी ने दिनांक 31.12.2020 तक 23 वर्ष 07 माह 14 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है। बंदी को निम्नांकित प्रकरणों में दण्डित किया गया है :-

1. माननीय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, (फास्ट ट्रेक) हनुमानगढ़ द्वारा प्रकरण संख्या 22/2002 अंतर्गत धारा 302, 201 आई.पी.सी. में दिनांक 27.08.2002 को आजीवन कारावास।

2. माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट, विजयनगर द्वारा प्रकरण संख्या 228/2013 अंतर्गत धारा 224 आई.पी.सी. में दिनांक 25.05.2015 को 02 वर्ष साधारण कारावास।

3. माननीय अपर सैशन न्यायाधीश, रायसिंहनगर द्वारा प्रकरण संख्या 15/2013 अंतर्गत धारा 302 आई.पी.सी. में दिनांक 12.02.2018 को आजीवन कारावास।

बंदी खुला शिविर, जैतसर में दिनांक 29.06.2013 को प्रहरी श्री किशनलाल की हत्या हो जाने पर बंदियों की गिन्ती कराने पर बंदी पृथ्वीराज बंदी खुला शिविर से फरार मिला, जो पुनः गिरफ्तार होकर उप कारागृह, सूरतगढ़ के मार्फत दिनांक 05.08.2013 को केन्द्रीय कारागृह, श्रीगंगानगर को प्राप्त हुआ।

इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (ग) (घ) व (च) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी पृथ्वीराज उर्फ पृथ्वी पुत्र भागीरथ** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

6. **नरेन्द्र पुत्र सीताराम, के.का. बीकानेर :-** बंदी ने दिनांक 31.12.2020 तक 22 वर्ष 02 माह 06 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है। बंदी को निम्नांकित प्रकरणों में दण्डित किया गया है :-

1. माननीय अपर सेशन न्यायाधीश, हिसार (हरियाणा) द्वारा प्रकरण संख्या 13/1999 (235/1998) अंतर्गत धारा 18 एन.डी.पी.एस. एक्ट में दिनांक 08.01.2001 को 10 वर्ष कठोर कारावास।

2. माननीय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नोहर द्वारा प्रकरण संख्या 276/2001 अंतर्गत धारा 3/25 आर्म्स एक्ट में दिनांक 09.05.2002 को 02 वर्ष कठोर कारावास।

3. माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग हिसार (हरियाणा) द्वारा प्रकरण संख्या 408/2001 अंतर्गत धारा 8/9 पैरोल एक्ट 1988 में दिनांक 06.08.2002 को 01 वर्ष कठोर कारावास।

4. माननीय अपर सेशन न्यायाधीश, हिसार (हरियाणा) द्वारा प्रकरण संख्या 70/2001 अंतर्गत धारा 392, 397 आई.पी. सी. में दिनांक 09.09.2002 को 07 वर्ष कठोर कारावास।

5. माननीय अपर सेशन न्यायाधीश, फतेहाबाद (हरियाणा) द्वारा प्रकरण संख्या 36/1996 अंतर्गत धारा 25/54/59 आर्म्स एक्ट में दिनांक 17.09.2002 को 02 वर्ष 06 माह कठोर कारावास।

6. माननीय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नोहर द्वारा प्रकरण संख्या 76/2001 अंतर्गत धारा 395 आई.पी.सी. में दिनांक 31.05.2005 को 03 माह कठोर कारावास।

7. माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग, फतेहाबाद (हरियाणा) द्वारा प्रकरण संख्या 196/2001 अंतर्गत धारा 353/186 आई.पी.सी. में दिनांक 21.07.2009 को 02 वर्ष कठोर कारावास।

8. माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग, रतिया (हरियाणा) द्वारा प्रकरण संख्या 62/2012 अंतर्गत धारा 419/120 बी, 467/120 बी, 468/120 बी, 471/120 बी आई.पी.सी. में दिनांक 16.04.2013 को 01-01 वर्ष का कठोर कारावास।

बंदी खुला शिविर, हनुमानगढ़ में दिनांक 07.04.2020 को प्रातः काल की हाजिरी से अनुपस्थित रहने पर बंदी के विरूद्ध के संबंध में पुलिस थाना, हनुमानगढ़ टाऊन में एफ.आई.आर. नं. 199/08.04.2020 अंतर्गत धारा 224 आई. पी.सी. दर्ज कराई गई। बंदी को पुनः गिरफ्तारी पर जिला कारागृह, हनुमानगढ़ में दिनांक 05.07.2020 को जेल दाखिल करवाया गया।

इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (क) (ग) (घ) व (च) के तहत साधारणतया खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी नरेन्द्र पुत्र सीताराम** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

7. **रमेश चन्द्र पुत्र रामचन्द्र, के.का. कोटा :-** बंदी ने दिनांक 31.12.2020 तक 22 वर्ष 01 माह 14 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है। वरिष्ठ चिकित्साधिकारी के.का. कोटा ने बंदी को शारीरिक रूप से पूर्णत: अस्वस्थ एवं लाचार बताया है। बंदी प्रतिबंधित धारा में भी दण्डित है।

राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (घ) (झ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर में भेजे जाने हेतु पात्र नहीं है एवं अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है। तथा सजावधि के दौरान बंदी द्वारा आपात/नियमित पैरोल का उपभोग भी नहीं किया गया है।

अत: उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी रमेश चन्द्र पुत्र रामचन्द्र** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

8. **लालचन्द उर्फ लालिया उर्फ लालिया डूम पुत्र राजू उर्फ कचरूमल, के.का. बीकानेर :-** बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2020 तक 21 वर्ष 11 माह 14 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी को अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश (फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर द्वारा सैशन प्रकरण संख्या 28/2003 अंतर्गत धारा 302, 148, 460, 376 (2) जी, 395 आई.पी.सी. में मृत्युदण्ड से दण्डित किया गया, के विरूद्ध दायर डी.बी. क्रिमि. मर्डर रेफरेंस नं. 1/2003 एवं डी.बी. क्रिमिनल जेल अपील नं. 698/2003 तथा डी.बी. क्रिमिनल अपील संख्या 744/2003 में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा निर्णय दिनांक 09.10.2003 को अपील खारिज करते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दी गई सजा को यथावत रखा गया। बंदी की एस.एल.पी. क्रिमिनल (अपील) संख्या 4695-4696/2003 को माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली ने अपने निर्णय दिनांक 20.02.2004 के द्वारा खारिज की जाकर सजा यथावत रखी गई।

बंदी की दया याचिका गृह मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक एफ.नं. 14/4/2004 ज्यूडिशियल सेल दिनांक 08.05.2012 के द्वारा महामहिम राष्ट्रपति महोदय द्वारा संविधान की धारा 72 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बंदी की मृत्युदण्ड की सजा को आजीवन कारावास की सजा में इस शर्त के साथ परिवर्तित किया है कि बंदी जीवन पर्यन्त जेल में रहेगा तथा इसकी सजा का कोई लघुकरण नहीं किया जायेगा।

उक्त के अतिरिक्त बंदी प्रतिबंधित धारा 460, 376 (2) जी, 395 आई.पी.सी. में दण्डित है, के कारण राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (घ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी लालचन्द उर्फ लालिया उर्फ लालिया डूम पुत्र राजू उर्फ कचरूमल** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

9. मुकेश हरिजन पुत्र छोटूलाल, के.का. कोटा :- बंदी ने दिनांक 31.12.2020 तक 21 वर्ष 07 माह 07 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी अंतर्गत धारा 376 (2) (च) आई.पी.सी. (प्रतिबंधित धारा) में आजीवन कारावास से दण्डित है साथ ही जेल उद्योगशाला से निरंतर अनुपस्थित रहने पर अधीक्षक जेल द्वारा बंदी को दिनांक 19.05.2018 को अनुपस्थिति अवधि के रेमीशन से वंचित किये जाने के जेलदण्ड से दण्डित किया गया, जिसकी वर्तमान में 02 वर्ष की अवधि पूर्ण हो चुकी है।

बंदी के प्रतिबंधित धारा में आजीवन कारावास से दण्डित होने से वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम (घ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है। सजावधि के दौरान बंदी द्वारा नियमित/आपात पैरोल का भी उपभोग नहीं किया गया है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी मुकेश हरिजन पुत्र छोटूलाल** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

10. उदयलाल पुत्र भैरा, के.का. उदयपुर :- बंदी ने दिनांक 31.12.2020 तक 21 वर्ष 03 माह 09 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी के मानसिक रोग से ग्रसित, लाचार, विकलांग, बीमार एवं आदतन शराबी होने के कारण मुख्यालय कारागार, जयपुर के पत्र दिनांक 30.06.2020 द्वारा खुला बंदी शिविर, मण्डोर से केन्द्रीय कारागृह, जोधपुर में दाखिल

करने के आदेश दिये गये, जिसकी पालना में बंदी को दिनांक 21.10.2020 को के.का. जोधपुर में जेल दाखिल किया गया एवं शेष सजा भुगतने हेतु दिनांक 18.11.2020 को केन्द्रीय कारागृह, उदयपुर भेजा गया।

बंदी मानसिक रोगी होने से राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (झ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला बंदी शित्रिर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी उदयलाल पुत्र भैरा** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

11. **रमेश उर्फ राधेश्याम पुत्र देवी, के.का. अजमेर :-** बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2020 तक 21 वर्ष 02 माह 22 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है, बंदी को निम्नांकित प्रकरणों में दण्डित किया गया है :-

1. माननीय अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश संख्या 03, अजमेर कैम्प, किशनगढ़ द्वारा प्रकरण संख्या 21/2005 अंतर्गत धारा 393, 332/34 आई.पी.सी. में दिनांक 13.09.2005 को 04 वर्ष कठोर कारावास।
2. माननीय सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, बर (पाली) द्वारा प्रकरण संख्या 178/2005 अंतर्गत धारा 394 आई.पी.सी. में दिनांक 21.07.2006 को 02 वर्ष साधारण कारावास।
3. माननीय अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश संख्या 03, अजमेर कैम्प, किशनगढ़ द्वारा सेशन प्रकरण संख्या 01/2006 अंतर्गत धारा 395 आई.पी.सी. में दिनांक 06.02.2007 को 05 वर्ष कठोर कारावास।
4. माननीय अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश संख्या 03, अजमेर कैम्प, किशनगढ़ द्वारा प्रकरण संख्या 02/2006 अंतर्गत धारा 395, 333 आई.पी.सी. में दिनांक 07.02.2007 को भुगती सजा से दण्डित।
5. माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 242/2005 अंतर्गत धारा 394 आई.पी.सी. में दिनांक 23.02.2007 को 02 वर्ष 06 माह कठोर कारावास।
6. माननीय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सोजत, जिला पाली द्वारा प्रकरण संख्या 58/2005 अंतर्गत धारा 394/34 आई.पी.सी. में दिनांक 18.10.2007 को 04 वर्ष कठोर कारावास।

7. माननीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश (फास्ट ट्रेक), परबतसर द्वारा प्रकरण संख्या 10/2005 अंतर्गत धारा 395, 325, 323 आई.पी.सी. में दिनांक 30.06.2008 को 10 वर्ष कठोर कारावास।

8. माननीय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, परबतसर द्वारा परबतसर प्रकरण संख्या 09/2005 अंतर्गत धारा 395, 323 आई.पी.सी. में दिनांक 04.07.2008 को 10 वर्ष कठोर कारावास।

इस प्रकार बंदी दो से अधिक 08 प्रकरणों में दण्डित होने से वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (च) के तहत साधारणतया एवं 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर में भेजे जाने हेतु पात्र नहीं है। अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है। बंदी द्वारा सजावधि के दौरान नियमित/आपात पैरोल का उपभोग भी नहीं किया गया है।

अत: उक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी रमेश उर्फ राधेश्याम पुत्र देवी** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

12. **प्रभुलाल पुत्र बलदेवा, के.का. कोटा :-** बंदी ने दिनांक 31.12.2020 तक 21 वर्ष 02 माह 08 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी अंतर्गत धारा 376 (2) (च) आई.पी.सी. (प्रतिबंधित धारा) में आजीवन कारावास से दण्डित है, इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (घ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं है।

माननीय अपर सेशन न्यायाधीश (फास्ट ट्रेक) संख्या 1, बारां द्वारा प्रकरण संख्या 95/2003 में दण्डित करते हुए यह अंकन किया गया है कि "बंदी द्वारा 04 वर्ष की बच्ची के साथ बलपूर्वक बलात्कार किया गया है, तत्पश्चात् बच्ची की मृत्यु हो गई, अत: अभियुक्त के गंभीर व जघन्य अपराध को देखते हुए आदेशित किया है कि बंदी अपना शेष सारा जीवन कारावास में ही व्यतीत करेगा, जेल से बाहर नहीं आयेगा।" के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अत: उक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी प्रभुलाल पुत्र बलदेवा** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

13. **नाथू पुत्र भूरा नाथ, के.का. अजमेर :-** बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2020 तक 20 वर्ष 11 माह 28 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है, बंदी को निम्नांकित प्रकरणों में दण्डित किया गया है :-

1. माननीय अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश संख्या 03, अजमेर कैम्प, किशनगढ़ द्वारा प्रकरण संख्या 21/2005 अंतर्गत धारा 393, 332/34 आई.पी.सी. में 04 वर्ष कठोर कारावास।
2. माननीय सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, बर (पाली) द्वारा प्रकरण संख्या 178/2005 अंतर्गत धारा 394 आई.पी.सी. में दिनांक 21.07.2006 को 02 वर्ष साधारण कारावास।
3. माननीय अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश संख्या 03, अजमेर कैम्प, किशनगढ़ द्वारा प्रकरण संख्या 01/2006 अंतर्गत धारा 395 आई.पी.सी. में 05 वर्ष कठोर कारावास।
4. माननीय अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश संख्या 03, अजमेर कैम्प, किशनगढ़ द्वारा प्रकरण संख्या 02/2006 अंतर्गत धारा 395, 333 आई.पी.सी. में दिनांक 06.02.2007 को भुगती सजा से दण्डित।
5. माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 242/2005 अंतर्गत धारा 394 आई.पी.सी. में दिनांक 23.02.2007 को 02 वर्ष 06 माह कठोर कारावास।
6. माननीय सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 03, अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 363/2005 अंतर्गत धारा 452, 394/34 आई.पी.सी. में दिनांक 16.03.2007 को 03 वर्ष कठोर कारावास।
7. माननीय अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, सोजत, जिला पाली द्वारा प्रकरण संख्या 58/2005 अंतर्गत धारा 394/34 आई.पी.सी. में दिनांक 18.10.2007 को 04 वर्ष कठोर कारावास।
8. माननीय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, परबतसर द्वारा प्रकरण संख्या 10/2005 अंतर्गत धारा 395, 325, 323 आई.पी.सी. में दिनांक 30.06.2008 को 10 वर्ष कठोर कारावास।
9. माननीय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, परबतसर द्वारा प्रकरण संख्या 09/2005 अंतर्गत धारा 395, 323 आई. पी.सी. में दिनांक 04.07.2008 को 10 वर्ष कठोर कारावास।

इस प्रकार बंदी दो से अधिक 09 प्रकरणों में दण्डित होने से वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (च) के तहत साधारणतया एवं 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर में भेजे जाने हेतु पात्र नहीं है। अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है। बंदी द्वारा सजावधि के दौरान नियमित/आपात पैरोल का उपभोग भी नहीं किया गया है।

अतः उक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी नाथू पुत्र भूरा** नाथ को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

14. राजूदास पुत्र मंसादास, के.का. उदयपुर :- बंदी ने दिनांक 31.12.2020 तक 20 वर्ष 05 माह की सजा मय परिहार के भुगती है।

पूर्व में बंदी, खुला बंदी शिविर, मण्डौर पर सजा भुगत रहा था, के दौरान बंदी ने अधीक्षक जेल के सम्क्ष प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर खेती-बाड़ी का काम करने में पूर्णतः असमर्थ बताने के कारण इसे दिनांक 03.08.2017 को जेल दाखिल कराया गया था।

उक्त के अतिरिक्त बंदी द्वारा अन्य बंदी के साथ अश्लील हरकत करने का दोषी पाये जाने पर अधीक्षक जेल द्वारा बंदी को दिनांक 27.03.2019 को 03 माह की मुलाकात से वंचित किये जाने के जेलदण्ड से दण्डित किया गया, तत्पश्चात् बंदी के 06 माह से निरंतर जेल उद्योगशाला से अनुपस्थित रहने के फलस्वरूप अधीक्षक जेल द्वारा बंदी को दिनांक 17.10.2019 को पुनः 01 माह की मुलाकात से वंचित किये जाने के जेलदण्ड से दण्डित किया गया।

इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (छ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं है तथा अधीक्षक जेल ने बंदी के पूर्व में खुला बंदी शिविर में कर्य करने से मना करने एवं नियमानुसार खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं होने से उसे खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी राजूदास पुत्र मंसादास** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

15. **गोपालसिंह पुत्र जगमालसिंह, के.का. बीकानेर :-** बंदी ने दिनांक 31.12.2020 तक 20 वर्ष 12 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी मानसिक रोगी होने से राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (झ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प. 7 (46) गृह-12/कारा/2018 दिनांक 06.07.2018 द्वारा बंदी का स्थाई पैरोल स्वीकृत किया जा चुका है, राज्य सरकार के आदेशानुसार बंदी जमानत तस्दीक कराकर स्थाई पैरोल पर जायें।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी गोपालसिंह पुत्र जगमालसिंह** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

16. **मोहन पुत्र रूपा, के.का. उदयपुर :-** बंदी ने दिनांक 31.12.2020 तक 20 वर्ष की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी मानसिक रोगी होने से राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (झ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी मोहन पुत्र रूपा** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

17. **सम्पतराज पुत्र गोपाल, के.का. कोटा :-** बंदी ने दिनांक 31.12.2020 तक 19 वर्ष 08 माह 20 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी मानसिक रोगी होने से राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (झ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है। सजावधि के दौरान बंदी द्वारा नियमित/आपात पैरोल का उपभोग नहीं किया गया है।

उक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.7(35) गृह-12/कारा/2018 दिनांक 13.06.2018 द्वारा बंदी का स्थाई पैरोल स्वीकृत किया जा चुका है, राज्य सरकार के आदेशानुसार बंदी जमानत तस्दीक कराकर स्थाई पैरोल पर जायें।

अत: उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी सम्पतराज पुत्र गोपाल** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

18. **दुर्गाशंकर पुत्र चौथमल धाकड़, के.का. कोटा :-** बंदी ने दिनांक 31.12.2020 तक 19 वर्ष 01 माह 10 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी मानसिक रोगी होने से राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (झ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है। सजावधि के दौरान बंदी द्वारा नियमित/आपात पैरोल का उपभोग नहीं किया गया है।

अत: उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी दुर्गाशंकर पुत्र चौथमल धाकड़** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

19. **राजू भील पुत्र कस्तुरा, के.का. अजमेर :-** बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2020 तक 19 वर्ष 19 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है, बंदी को निम्नांकित प्रकरणों में दण्डित किया गया है :-

1. माननीय अपर जिला न्यायाधीश संख्या 02, अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 16/1998 अंतर्गत धारा 302/149, 452, 148 आई.पी.सी. में दिनांक 07.04.2001 को आजीवन कारावास।
2. माननीय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या, 03 अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 515/2005 अंतर्गत धारा 454, 380 आई.पी.सी. में दिनांक 21.09.2005 को 05 वर्ष साधारण कारावास।
3. माननीय अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश (कनिष्ठ खण्ड) एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या, प्रथम वर्ग, संख्या 03 अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 323/2005 अंतर्गत धारा 457, 380 आई.पी.सी. में दिनांक 14.12.2005 को 03 वर्ष कठोर कारावास।

4. माननीय अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश (कनिष्ठ खण्ड) एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या, प्रथम वर्ग, संख्या 03 अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 269/2005 अंतर्गत धारा 457/34 आई.पी.सी. में दिनांक 24.02.2006 को 03 वर्ष कठोर कारावास।
5. माननीय अति. सिविल न्यायाधीश (क' ख) एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या, संख्या 03 प्रथम वर्ग अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 455/2005 अंतर्गत धारा 457, 380 आई.पी.सी. में दिनांक 29.03.2005 को 03 वर्ष कठोर कारावास।
6. माननीय सिविल न्यायाधीश (कनिष्ठ खण्ड) एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग, अजमेर नगर दक्षिण, अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 592/2005 अंतर्गत धारा 392, 365 आई.पी.सी. में दिनांक 05.06.2009 को 03 वर्ष कठोर कारावास।
7. माननीय सिविल न्यायाधीश (कनिष्ठ खण्ड) एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग, अजमेर नगर पूर्व, अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 174/2009 अंतर्गत धारा 224 आई.पी.सी. में दिनांक 20.08.2010 को 01 वर्ष 06 माह साधारण कारावास।
8. माननीय अति. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम वर्ग संख्या 01, ब्यावर द्वारा प्रकरण संख्या 211/2011 अंतर्गत धारा 457, 380 आई.पी.सी. में दिनांक 27.10.2014 को 05 वर्ष साधारण कारावास।

दिनांक 13.10.2006 को अन्य विचाराधीन प्रकरण संख्या 370/2006 में श्रीमान् न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम वर्ग, संख्या 02 ब्यावर के समक्ष तारीख पेशी भुगताने हेतु भिजवाया गया, जहां से लौटते समय रोडवेज बस डिपो के बाहर चालानी गार्ड को धक्का देकर फरार हो गया। जिसे पुनः दिनांक 01.03.2007 को गिरफ्तार किया गया।

उक्त के अतिरिक्त बंदी 02 से अधिक 08 प्रकरणों में दण्डित है, इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (ग) व (च) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं हैं, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी राजू भील पुत्र कस्तुरा** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया

20. पवनपुरी पुत्र पूरणपुरी, के.का. उदयपुर :- बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2020 तक 19 वर्ष 19 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी वर्ष 2006 में बाद पेशी उदयपुर से बीकानेर जाते समय दिनांक 20.08.2006 को पुलिस अभिरक्षा से चलती ट्रेन से कूदकर फरार हो गया, जिसे दिनांक 02.10.2006 को जिला कारागृह, चित्तौड़गढ़ से सजा भुगतने हेतु जेल दाखिल कराया गया।

वर्ष 2008 में पेशी पर उदयपुर जाते समय दिनांक 12.02.2008 को पुलिस गार्ड को धक्का देकर फरार हो गया, जिसे पुलिस थाना सूरजपोल द्वारा गिरफ्तार कर दिनांक 16.08.2010 को केन्द्रीय कारागृह, उदयपुर में दाखिल कराया गया, के कारण वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (ग) के तहत साधारणतया खुला बंदी शिविर में भेजे जाने हेतु पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

उक्त के अतिरिक्त बंदी को माननीय ए.डी.जे. संख्या 17, जयपुर महानगर द्वारा प्रकरण संख्या 01/2012 अंतर्गत धारा 17, 18, 18बी, 20 विधि विरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम के तहत भी दण्डित किया गया है, ऐसी स्थिति में बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजा जाना उचित नहीं है।

बंदी को दिनांक 24.10.2019 को तलाशी के दौरान तलाशी का विरोध करने एवं तलाशीकर्ता अधिकारियों के साथ अभद्रतापूर्ण व्यवहार करने के कारण दिनांक 25.10.2019 को 01 माह की मुलाकात से वंचित के जेलदण्ड से दण्डित किया गया तथा बंदी उद्योगशाला से निरन्तर अनुपस्थित रहने के कारण दिनांक 24.08.2020 को उद्योगशाला में अनुपस्थित रहने तक परिहार से वंचित रखे जाने के जेलदण्ड से दण्डित किया गया।

अत: उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी पवनपुरी पुत्र पूरणपुरी** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

21. अल्लू उर्फ अलीम पुत्र अजीज खां, के.का. अजमेर :- बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2020 तक 18 वर्ष 11 माह 25 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है। बंदी को निम्नांकित प्रकरणों में दण्डित किया गया है :-

1. माननीय अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश (फास्ट ट्रेक) नं. 01, कोटा द्वारा प्रकरण संख्या 68/2003 अंतर्गत धारा 302, 324 आई.पी.सी. में दिनांक 24.07.2003 को आजीवन कारावास।
2. माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोटा द्वारा प्रकरण संख्या 520/2001 अंतर्गत धारा 324 आई.पी.सी. व 3/25 आर्म्स एक्ट में दिनांक 10.11.2004 को 01 वर्ष साधारण कारावास।
3. माननीय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, संख्या 2 कोटा द्वारा प्रकरण संख्या 318/2005 अंतर्गत धारा 4/25 आर्म्स एक्ट में दिनांक 01.09.2005 को 06 माह साधारण कारावास।
4. माननीय अति. सिविल न्यायाधीश (क'ख) एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्र.व. संख्या, 5 कोटा द्वारा प्रकरण संख्या 376/2005 अंतर्गत धारा 4/25 आर्म्स एक्ट में दिनांक 05.09.05 को एक वर्ष साधारण कारावास।
5. माननीय मुख्य न्यायाधीश, कोटा द्वारा प्रकरण संख्या 353/2003 अंतर्गत धारा 4/25 आर्म्स एक्ट में दिनांक 16.03.17 को 06 माह साधारण कारावास।

संचित निरीक्षक, पुलिस लाईन, अजमेर के पत्रानुसार बंदी बाद पेशी कोटा से लौटते हुए अजमेर स्टेशन पर दिनांक 18.07.2004 को रात्रि 2.30 ए.एम. पर फरार हो गया था, जिसे दिनांक 20.07.2004 को फरारी के पश्चात् जेल दाखिल कराया गया।

इस प्रकार बंदी राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (ग) एवं 02 से अधिक 05 प्रकरणों में दण्डित होने से नियम 3 (च) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं हैं, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है। सजावधि के दौरान बंदी द्वारा नियमित/आपात पैरोल का उपभोग नहीं किया गया है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी अल्लू उर्फ अलीम पुत्र अजीज खां** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

22. **मटीन खां उर्फ शाहीद पुत्र असलम खां, के.का. जोधपुर :-** बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2020 तक 18 वर्ष 10 माह 15 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी, खुला बंदी शिविर, बेलासर से दिनांक 08.03.2020 को फरार हो गया। पुलिस थाना, नापासर, बीकानेर नें बंदी के विरूद्ध एफ.आई.आर. संख्या 33/2020 अंतर्गत धारा 224 आई.पी.सी. में दर्ज कराई गई। पुलिस थाना, नापासर द्वारा बंदी को दिनांक 10.03.2020 को गिरफ्तार कर मय जे.सी. वारंट के जेल दाखिल कराया गया।

इस प्रकार बंदी राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (ग) (घ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी मटीन खां उर्फ शाहीद पुत्र असलम खां** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

23. सुखवीर उर्फ कुल्ली पुत्र प्रहलाद, के.का. बीकानेर :- बंदी द्वारा दिनांक 31.12.20 तक 18 वर्ष 10 माह 01 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

दण्डाधिकारी न्यायालय द्वारा बंदी को अंतर्गत धारा 460/34, 302/34 आई.पी.सी. में आजीवन कारावास की सजा अपनी मृत्यु तक काटेगा, के दण्ड से दण्डित होने से बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने पर उसके खुला शिविर से फरार होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

साथ ही बंदी, प्रतिबंधित धारा में दण्डित होने से राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (घ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर में भेजे जाने हेतु पात्र नहीं हैं, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी सुखवीर उर्फ कुल्ली पुत्र प्रहलाद** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

24. ओमप्रकाश पुत्र रामेश्वर, के.का. जयपुर :- बंदी ने दिनांक 31.12.2020 तक 18 वर्ष 08 माह 03 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

पूर्व में बंदी, खुला बंदी शिविर, सांगानेर में सजा भुगत रहा था, के दौरान बंदी द्वारा खुला बंदी शिविर में जुआ खेलते पकड़े जानके पर बंदी के विरूद्ध एफ.आई.आर. संख्या 1031 दिनांक 30.09.2018, पुलिस थाना, सांगानेर

में दर्ज कराई गई तथा दिनांक 04.10.2018 को सायंकाल रोलकॉल में उपस्थित नहीं होकर, खुला बंदी शिविर से फरार हो गया। बंदी के विरूद्ध पुलिस थाना-सांगानेर में एफ.आई.आर. संख्या 1054/2018 अंतर्गत धारा 224 आई.पी. सी. में दर्ज करवायी गई। बंदी को माननीय ए.सी.जे.एम. 20 सांगानेर जयपुर महानगर द्वारा एफ.आई.आर. संख्या 1054/2018 पुलिस थाना सांगानेर द्वारा अंतर्गत धारा 224 आई.पी.सी. में दिनांक 15.11.2018 को जेल दाखिल कराया गया। इस प्रकार बंदी राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (ग) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं है तथा अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अत: उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी ओमप्रकाश पुत्र रामेश्वर** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

25. **बलबीर पुत्र रामेश्वर, के.का. बीकानेर :-** बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2020 तक 18 वर्ष 06 माह 26 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी को दिनांक 06.03.2009 को 20 दिवस नियमित पैरोल पर रिहा कर दिनांक 25.03.2009 को जेल दाखिल होने हेतु पाबंद किया गया था, किंतु बंदी नियत तिथि को जेल दाखिल नहीं होकर पैरोल से फरार हो गया, जिसे पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर दिनांक 01.04.2009 को जेल दाखिल कराया गया। बंदी के विरूद्ध दर्ज प्रकरण संख्या 4751/2010 अंतर्गत धारा 224 आई.पी.सी. में विशिष्ठ न्यायिक मजिस्ट्रेट (एन.आई.एक्ट) संख्या 04 जयपुर शहर द्वारा बंदी को एक वर्ष के कारावास व 200/- जुर्माना अ.अ. 07 दिवस के कारावास से दण्डित किया गया।

उक्त के अतिरिक्त बंदी पूर्व में बंदी खुला शिविर, बीछवाल से दिनांक 19.09.2016 को प्रात: रोलकॉल में उपस्थित नहीं होकर खुला बंदी शिविर से फरार हो गया। पुलिस थाना, बीछवाल बीकानेर द्वारा दिनांक 22.10.2016 को गिरफ्तार कर मय जे.सी. वारंट के जेल दाखिल कराया गया। बंदी के विरूद्ध दर्ज प्रकरण संख्या 372/2016 अंतर्गत धारा 224 आई.पी.सी. में माननीय विशिष्ठ अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (पी.सी.पी.एन.डी.टी एक्ट) बीकानेर द्वारा आदेश दिनांक 21.09.2019 द्वारा 02 वर्ष साधारण कारावास व 500/- रूपये जुर्माना अ.अ. 01 माह साधारण कारावास से दण्डित किया गया।

इस प्रकार बंदी राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (ग) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है। फरारी के पश्चात् बंदी द्वारा नियमित/आपात पैरोल का भी उपभोग नहीं किया गया है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी बलबीर पुत्र रामेश्वर** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

26. राकेश पुत्र घासीराम, के.का. जोधपुर :- बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2020 तक 18 वर्ष 04 माह 25 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी को अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश (फास्ट ट्रेक) संख्या 01 जोधपुर के आदेशानुसार दिनांक 10.08.2009 को अंतरिम जमानत पर रिहा कर दिनांक 25.08.2009 को जेल दाखिल होने हेतु पाबंद किया गया था, किंतु बंदी नियत तिथि को जेल दाखिल नहीं होकर अंतरिम जमानत से फरार हो गया। जिसे दिनांक 28.08.2009 को अन्य प्रकरण 109 सी.आर.पी.सी. में गिरफ्तार कर जेल दाखिल कराया गया।

तत्पश्चात् बंदी को 20 दिवस प्रथम नियमित पैरोल पर दिनांक 09.04.2013 को रिहा कर दिनांक 28.04.2013 को जेल दाखिल होने हेतु पाबंद किया गया था किंतु नियत तिथि को बंदी जेल दाखिल नहीं होकर पैरोल से फरार हो गया। बंदी को बाद फरारी पुलिस थाना बासनी द्वारा गिरफ्तार कर जे.एम. नं. 4 जोधपुर के सी.आर. नं. 124 दिनांक 25.05.2013 अंतर्गत धारा 379 आई.पी.सी. के अंतर्गत गिरफ्तार कर दिनांक 30.05.2013 को जेल दाखिल कराया गया।

उक्त के अतिरिक्त बंदी को दण्डाधिकारी न्यायालय द्वारा अंतर्गत धारा 376 (2) (जी) आई.पी.सी. में आजीवन कारावास से दण्डित किये जाने से वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (ग) व (घ) के तहत खुला बंदी शिविर साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं हैं, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी राकेश पुत्र घासीराम** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

27. **शंकरलाल पुत्र गणेशलाल, के.का. उदयपुर :-** बंदी ने दिनांक 31.12.2020 तक 18 वर्ष 03 माह 09 दिवस की सज मय परिहार के भुगती है।

बंदी को वर्ष 2020 में खुला बंदी शिविर हेतु चयनित किया गया था परन्तु बंदी के लाचार होने से उसके भरण-पोषण एवं देखभाल का परिजनों द्वारा किसी प्रकार का शपथ-पत्र प्रस्तुत नहीं करने पर खुला बंदी शिविर नहीं भिजवाया गया।

बंदी लाचार होने से राजस्थान कैदी कारावास कालीन अवकाश नियम 1972 के नियम 3 (ज) (झ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं है। अधीक्षक जेल ने बंदी के लाचार एवं उम्रदराज होने से उसके परिजन द्वारा शपथ-पत्र प्रस्तुत किये जाने की शर्त पर खुला शिविर में भेजे जाने हेतु प्रवंदना की है, किंतु परिजन द्वारा आदिनांक तक कोई शपथ-पत्र प्रस्तुत नहीं दिया गया है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी शंकरलाल पुत्र गणेशलाल** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

28. **हरभान सिंह पुत्र बन्दरो उर्फ बन्दरू, के.का. भरतपुर :-** बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2020 तक 18 वर्ष 23 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

पूर्व में बंदी, बंदी खुला शिविर, भरतपुर में सजा भुगत रहा था, के दौरान दिनांक 27.06.2019 को रोलकॉल में उपस्थित नहीं होकर फरार हो गया, बंदी के विरूद्ध पुलिस थाना, सेवर (भरतपुर) में एफ.आई.आर. संख्या 383/2019 दर्ज कराई गई। बंदी को गिरफ्तार कर दिनांक 29.06.2019 को केन्द्रीय कारागृह, भरतपुर में दाखिल करवाया गया। वर्तमान में बंदी उक्त फरारी प्रकरण में विचाराधीन है।

उक्त के अतिरिक्त बंदी द्वारा दिनांक 28.08.2019 से 30.09.2019 तक व दिसम्बर, 2019 में जेल उद्योगशाला से अनुपस्थित रहने के फलस्वरूप अधीक्षक जेल द्वारा दिनांक 12.02.2020 को बंदी को जेल उद्योगशाला में नियमित रूप से जेल उद्योगशाला जाने एवं कार्य करने हेतु औपचारिक चेतावनी दी गई। इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (ग) (घ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं हैं, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी हरभान सिंह पुत्र बन्दरो उर्फ बन्दरू** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

29. **बहादुरसिंह पुत्र मालसिंह, के.का. जयपुर :-** बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2020 तक 18 वर्ष 09 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

पूर्व में बंदी, बंदी खुला शिविर, जैतसर में सजा भुगत रहा था, जिसे दिनांक 13.12.2015 को खुला बंदी शिविर पर अनुशासनहीनता/कदाचार करने के कारण जेल दाखिल किया गया।

बंदी को पुनः दिनांक 08.05.2019 को खुला बंदी शिविर, खाटूश्यामजी पर भिजवाया गया, तत्पश्चात् बंदी द्वारा स्वयं का स्थानान्तरण बंदी खुला शिविर, सांगानेर करवाया गया। बंदी दिनांक 10.11.2019 को बंदी खुला शिविर, सांगानेर से सांयकाल रोलकॉल में उपस्थित नहीं होकर फरार हो गया, बंदी के विरूद्ध पुलिस थाना, सांगानेर (जयपुर) में एफ.आई.आर. संख्या 1745/2019 दिनांक 11.11.2019 अंतर्गत धारा 224 आई.पी.सी दर्ज कराई गई। थानाधिकारी, पुलिस थाना, सांगानेर द्वारा बंदी को गिरफ्तार कर दिनांक 13.11.2019 को केन्द्रीय कारागृह, जयपुर में दाखिल करवाया गया। वर्तमान में बंदी उक्त फरारी प्रकरण में विचाराधीन है।

इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (ग) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं हैं, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी बहादुरसिंह पुत्र मालसिंह** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

30. **महेन्द्र सिंह पुत्र देवी सिंह, के.का. अजमेर :-** बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2020 तक 17 वर्ष 11 माह 01 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी माननीय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 01, अजमेर के प्रकरण संख्या 93/2020 अंतर्गत धारा 302 आई.पी.सी. में वांछित होने एवं बंदी खुला शिविर, सांगानेर से पुनः जेल दाखिल होने के कारण आचरण असंतोषप्रद है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी महेन्द्र सिंह पुत्र देवी सिंह** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

31. बालचन्द पुत्र नारूमल उर्फ नारूलाल, के.का. बीकानेर :- बंदी ने दिनांक 31.12.2020 तक 17 वर्ष 09 माह 22 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

पूर्व में बंदी विचाराधीन अवधि के दौरान पुलिस अभिरक्षा से फरार हो गया था एवं बंदी मानसिक रोगी होने से राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (ग) व (झ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

उक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प. 7 (24) गृह-12/कारा/2019 दिनांक 11.06.2019 द्वारा बंदी की स्थाई पैरोल स्वीकृत की जा चुकी है, राज्य सरकार के आदेशानुसार बंदी स्थाई पैरोल हेतु निर्धारित जमानत तस्दीक कराकर स्थाई पैरोल पर जायें।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी बालचंद पुत्र नारूमल उर्फ नारूलाल** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

32. मनाराम पुत्र अचलाजी, के.का. जोधपुर :- बंदी ने दिनांक 31.12.2020 तक 17 वर्ष 09 माह 14 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

पूर्व में बंदी, खुला बंदी शिविर, मण्डोर में सजा भुगत रहा था, खुला बंदी शिविर में बंदी का कार्य व आचरण असंतोषप्रद होने के कारण बंदी को मुख्यालय के आदेशानुसार दिनांक 30.06.2020 की पालना में पुनः जेल दाखिल कराया गया। अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी मनाराम पुत्र अचलाजी** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

33. विष्णु पुत्र नेकराम, के.का. भरतपुर :- बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2020 तक 17 वर्ष 06 माह 05 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है। बंदी को निम्नांकित प्रकरणों में दण्डित किया गया है :-

1. माननीय अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश (फास्ट ट्रेक) संख्या 02 धौलपुर द्वारा प्रकरण संख्या 138/2005 अंतर्गत धारा 302/34, 323/34, 341 आई.पी.सी. में दिनांक 20.08.2007 को आजीवन कारावास।
2. माननीय स्पेशल जज गैंगस्टर एक्ट, आगरा (उ.प्र.) द्वारा प्रकरण संख्या 131/2006 अंतर्गत धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट में दिनांक 28.10.2014 को 05 वर्ष कारावास।
3. माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट, विजयनगर (श्रीगंगानगर) द्वारा प्रकरण संख्या 543/2015 अंतर्गत धारा 224 आई.पी.सी. में दिनांक 19.12.2016 को 06 माह साधारण कारावास।
4. माननीय स्पेशल जज पोक्सो केसेज, धौलपुर के प्रकरण संख्या 33/2018 अंतर्गत धारा 302 आई.पी.सी. व 7, 8 पोक्सो एक्ट में दिनांक 19.12.2018 को आजीवन कारावास (शेष प्राकृत जीवनकाल तक)

पूर्व में बंदी, बंदी खुला शिविर, जैतसर से दिनांक 02.03.2015 को फरार हो गया, जिसे गिरफ्तार कर दिनांक 08.10.2015 को जि.का. धौलपुर में दाखिल कराया गया था तथा दिनांक 11.10.2015 को केन्द्रीय कारागृह, श्रीगंगानगर में दाखिल कराया गया।

उक्त के अतिरिक्त बंदी जेल उद्योगशाला से माह जनवरी, 2019 से मार्च, 2019 तक एवं मई 2019 से दिसम्बर 2019 तक अनुपस्थित रहने तथा कार्य नहीं करने के फलस्वरूप अधीक्षक जेल द्वारा दिनांक 12.02.2020 को बंदी को जेल उद्योगशाला में नियमित रूप से जेल उद्योगशाला जाने एवं कार्य करने हेतु औपचारिक चेतावनी दी गई। इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (ग) व (च) (छ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं हैं, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी विष्णु पुत्र नेकराम** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

34. देवेन्द्रसिंह पुत्र रतिपालसिंह, के.का. जयपुर :- बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2020 तक 17 वर्ष 03 माह 26 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

पूर्व में बंदी, खुला बंदी शिविर, सांगानेर में सजा भुगत रहा था, के दौरान दिनांक 09.05.2018 को सायंकाल रोलकॉल में उपस्थित नहीं होकर खुला बंदी शिविर से फरार हो गया। बंदी के विरूद्ध पुलिस थाना सांगानेर में एफ. आई.आर. संख्या 437/2018 अंतर्गत धारा 224 आई.पी.सी. में दर्ज करायी गई। पुलिस थाना, करधनी द्वारा दिनांक 16.05.2018 को बंदी को जेल दाखिल कराया गया। इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (ग) (च) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत बंदी खुला शिविर हेतु पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है तथा बंदी 03 अन्य प्रकरणों में वांछित भी है तथा 04 प्रकरणों में दण्डित है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी देवेन्द्रसिंह पुत्र रतिपालसिंह** को खुला बंदी शिविर में नहीं भेजे जाने का निर्णय लिया गया।

35. **धर्मेन्द्रसिंह उर्फ राजु उर्फ वीरू उर्फ जोनी पुत्र तरसेमसिंह, के.का. श्रीगंगानगर :-** बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2020 तक 17 वर्ष 01 माह 19 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

पूर्व में बंदी को 20 दिवस नियमित पैरोल पर दिनांक 09.09.2010 को रिहा कर दिनांक 28.09.2010 को जेल दाखिल होने हेतु पाबंद किया गया था, किंतु बंदी नियत तिथि को जेल दाखिल नहीं होकर पैरोल से फरार हो गया, जिसे दिनांक 11.02.2015 को बाद फरारी जेल दाखिल किया गया। इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (ग) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत बंदी खुला शिविर हेतु पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

उक्त के अतिरिक्त बंदी माननीय सैशन न्यायाधीश, एस.सी./एस.टी. श्रीगंगानगर के प्रकरण संख्या 02/2015 अंतर्गत धारा 302, 201, 376 आई.पी.सी. में वांछित भी है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी धर्मेन्द्रसिंह उर्फ राजू उर्फ वीरू उर्फ जोनी पुत्र तरसेमसिंह** को खुला बंदी शिविर में नहीं भेजे जाने का निर्णय लिया गया।

36. **ताहिर हुसैन पुत्र मोहम्मद हनीफ, के.का. जयपुर :-** बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2020 तक 17 वर्ष 01 माह 07 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

पूर्व में बंदी खुला बंदी शिविर, सांगानेर में सजा भुगत रहा था, जिसे 30.09.2019 को खुला बंदी शिविर नियमों का पालन नहीं करने एवं कदाचार करने के कारण खुला बंदी शिविर, सांगानेर से जेल दाखिल किया गया था, इस प्रकार बंदी का आचरण असंतोषप्रद बताते हुए अधीक्षक जेल द्वारा बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी ताहिर हुसैन पुत्र मोहम्मद हनीफ** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

37. रामनिवास पुत्र दाताराम, के.का. बीकानेर :- बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2020 तक 17 वर्ष 01 माह 02 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है। बंदी को निम्नांकित प्रकरणों में दण्डित किया गया है :-

1. माननीय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश (फास्ट ट्रेक) संख्या 02, झुंझुनूं द्वारा प्रकरण संख्या 29/2005 अन्तर्गत धारा 302 आई.पी.सी. में दिनांक 20.09.2005 को आजीवन कारावास।
2. माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग, झुंझुनूं द्वारा प्रकरण संख्या 365/05 अन्तर्गत धारा 224 आई.पी.सी. में दिनांक 03.08.2006 को 01 वर्ष साधारण कारावास।
3. माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, झुंझुनूं द्वारा प्रकरण संख्या 284/11 अन्तर्गत धारा 11(2) राज.बंदी अधिनियम में दिनांक 13.03.2012 को 11 माह साधारण कारावास।
4. माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग, नोहर द्वारा प्रकरण संख्या 118/07 अन्तर्गत धारा 379/511 आई.पी.सी. में दिनांक 30.09.2009 को 10 माह 05 दिवस साधारण कारावास।

उक्त के अतिरिक्त बंदी दिनांक 07.09.2005 को झुंझुंनू कोर्ट से बाद पेशी खेतड़ी जेल ले जाते समय चालानी गार्ड से फरार हो गया था। जिसे पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर दिनांक 09.09.2005 को जिला कारागृह, झुंझुंनू पर दाखिल कराया गया।

तत्पश्चात् बंदी को दिनांक 04.02.2011 को 7 दिवस आपात पैरोल पर रिहा कर दिनांक 10.02.2011 को जेल दाखिल होने हेतु पाबंद किया गया था, किंतु बंदी नियत तिथि को जेल दाखिल नहीं होकर पैरोल से फरार हो गया, जिसे दिनांक 03.05.2011 को जिला कारागृह, झुंझुंनू द्वारा जे.सी.वारंट सहित जेल दाखिल कराया गया।

दिनांक 04.10.2019 को बंदियान सोमवार परेड़ के दौरान वार्ड नं. 03 के संतरी द्वारा बंदियों को उद्योगशाला में कार्य करने जाने के लिए कहने के पश्चात् भी उद्योगशाला में नहीं जाकर स्वेच्छा से बैरिक में रहा, कार्य हेतु नहीं जाने के कारण दिनांक 15.10.2019 को औपचारिक चेतावनी के जेलदण्ड से दण्डित किया गया।

इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (ग) व (च) (छ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी रामनिवास पुत्र दाताराम** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

38. प्रहलाद सिंह पुत्र सुवालाल, के.का. जयपुर :- बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2020 तक 17 वर्ष 07 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

पूर्व में बंदी, खुला बंदी शिविर, सांगानेर में सजा भुगत रहा था, के दौरान दिनांक 08.10.2019 को सांयकाल रोलकॉल में उपस्थित नहीं होकर खुला बंदी शिविर से फरार हो गया, बंदी के विरूद्ध पुलिस थाना, सांगानेर में एफ. आई.आर. संख्या 1597/2019 अंतर्गत धारा 224 आई.पी.सी. में दर्ज कराई गई। थानाधिकारी, पुलिस थाना, सांगानेर द्वारा बंदी को दिनांक 09.10.2019 को गिरफ्तार कर जेल दाखिल करवाया गया, के कारण अधीक्षक जेल द्वारा बंदी का आचरण असंतोषप्रद बताते हुए उसे खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है। वर्तमान में बंदी का उक्त प्रकरण में प्रोडक्शन वारण्ट प्राप्त नहीं हुआ है परन्तु जमानत पर आजाद है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी प्रहलाद सिंह पुत्र सुवालाल** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

39. लालाराम पुत्र चुन्नीलाल, के.का. जोधपुर :- बंदी ने दिनांक 31.12.2020 तक 16 वर्ष 11 माह 09 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

पूर्व में बंदी, खुला बंदी शिविर, जैसलमेर में सजा भुगत रहा था, के दौरान दिनांक 17.08.2019 को सांयकाल रोल्कॉल में उपस्थित नहीं होकर खुला बंदी शिविर से फरार हो गया तथा बंदी को दिनांक 16.11.2019 को गिरफ्तार

कर जेल दाखिल कराया गया। इस प्रकार बंदी, खुला बंदी शिविर से 03 माह फरार रहा है। बंदी के विरूद्ध माननीय सी.जे.एम., जैसलमेर में प्रकरण संख्या 319/2019 विचाराधीन है।

इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (ग) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं है। अधीक्षक जेल ने बंदी का आचरण असंतोषप्रद बताते हुए उसे खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी लालाराम पुत्र चुन्नीलाल** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

40. **विनोद कुमार पुत्र सोहनलाल, के.का. जोधपुर :-** बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2020 तक 16 वर्ष 10 माह 14 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

पूर्व में बंदी को 40 दिवस नियमित पैरोल पर दिनांक 17.08.2010 को रिहा कर दिनांक 25.09.2010 को जेल दाखिल होने हेतु पाबंद किया गया था किंतु बंदी नियत तिथि को जेल दाखिल नहीं होकर पैरोल से फरार हो गया। जिसे दिनांक 14.07.2019 को माननीय एम.एम. संख्या 03, जोधपुर महानगर के आदेशानुसार जेल दाखिल किया गया।

उक्त के अतिरिक्त बंदी को प्रतिबंधित धाराओं 396, 397, 398 आई.पी.सी. में दण्डित किये जाने के कारण वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (ग) व (घ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं है। अधीक्षक जेल ने भी बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

बंदी द्वारा डकैती एवं हत्या जैसा जघन्य अपराध कारित किया गया है, बंदी के अपराध की प्रकृति को ध्यान में रखते हुये उसे बंदी खुला शिविर में भेजा जाना उचित नहीं है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी विनोद कुमार पुत्र सोहनलाल** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

41. **धोलिया उर्फ उमरिया उर्फ उमराव पुत्र चेतराम, के.का. बीकानेरः-** बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2020 तक 16 वर्ष 09 माह 27 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी के अंतर्गत धारा 460 आई.पी.सी. में (प्रतिबंधित धारा) आजीवन कारावास से दण्डित किये जाने से वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (घ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं है। साथ ही प्रकरण संख्या 56/2007 में बंदी को 302 आई.पी.सी. के तहत आजीवन कारावास मृत्यु तक जेल में रहने के दण्ड से दण्डित किया गया है, के कारण अधीक्षक जेल ने भी बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से बंदी **धोलिया उर्फ उमरिया उर्फ उमराव पुत्र चेतराम** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

42. **वेदप्रकाश उर्फ वेदिया पुत्र ओमप्रकाश, के.का. श्रीगंगानगर :-** बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2020 तक 16 वर्ष 09 माह 11 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी को अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश श्रीकरणपुर द्वारा सैशन प्रकरण संख्या 21/2007 अंतर्गत धारा 302, 148, 460, 376 (2) जी, 395 आई.पी.सी. में मृत्युदण्ड से दण्डित किया गया, के विरूद्ध दायर डी.बी. क्रिमि. मर्डर रेफरेंस नं. 03/2010 में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा निर्णय दिनांक 16.08.2012 को मृत्युदण्ड की सजा को इस शर्त पर आजीवन कारावास में तब्दील किया गया कि बंदी जीवनपर्यन्त जेल में रहेगा तथा सजा का कोई लघुकरण नहीं किया जायेगा।

उक्त के अतिरिक्त बंदी को प्रतिबंधित धाराओं, 460, 395, 376 (2) (जी) आई.पी.सी. में दण्डित किये जाने के कारण राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (घ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं है। अधीक्षक जेल ने भी बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी वेदप्रकाश उर्फ वेदिया पुत्र ओमप्रकाश** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

43. **ईश्वरसिंह पुत्र जबरसिंह, के.का. बीकानेर :-** बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2020 तक 16 वर्ष 08 माह 18 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

पूर्व में बंदी को 40 दिवस नियमित पैरोल पर दिनांक 10.07.2015 को रिहा कर दिनांक 18.08.2015 को दाखिल होने हेतु पाबंद किया गया था, किंतु बंदी नियत तिथि को जेल दाखिल नहीं होकर पैरोल से फरार हो ग। . बंदी के विरूद्ध पुलिस थाना, कोतवाली जालोर में एफ.आई.आर. संख्या 318/2015 दिनांक 19.08.2015 अंतर्गत धारा 224 आई.पी.सी. दर्ज करवायी गई। श्रीमान् उप रजिस्ट्रार माननीय राज. उच्च न्यायालय, जोधपुर के आदेशानुसार बंदी को दिनांक 18.07.2018 को जेल दाखिल कराया गया। बंदी कुल 02 वर्ष 11 माह पैरोल से फरार रहा है।

उक्त के अतिरिक्त दिनांक 17.12.2019 को तलाशी के दौरान बंदी के पास एक मोबाइल मय 02 सिम बरामद होने पर अधीक्षक जेल द्वारा 10 दिवस अर्जित परिहार जब्त किये जाने के जेलदण्ड से दण्डित किया गया।

इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (ग) (घ) व (छ) के तहत साधारणतया तथा 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर में भेजे जाने हेतु पात्र नहीं हैं, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अत: उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी ईश्वरसिंह पुत्र जब्बरसिंह** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

44. भगवान सिंह पुत्र सुमरत्या, के.का. भरतपुर :- बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2020 तक 16 वर्ष 06 माह 27 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

पूर्व में बंदी, खुला बंदी शिविर, भरतपुर से दिनांक 24.03.2016 को फरार हो गया, जिसे 27.03.2016 को गिरफ्तार कर पुन: जेल दाखिल कराया गया।

तत्पश्चात् बंदी को पुन: दिनांक 08.05.2019 को खुला बंदी शिविर, अलवर भिजवाया गया, जहां से बंदी दिनांक 07.08.2019 को पुन: फरार हो गया, जिसे दिनांक 09.08.2019 को गिरफ्तार कर पुन: जेल दाखिल कराया गया। बंदी के विरूद्ध पुलिस थाना, कोतवाली अलवर में एफ.आई.आर. संख्या 788/2019 दर्ज कराई गई। वर्तमान में बंदी फरारी प्रकरण में विचाराधीन है।

बंदी द्वारा माह सितम्बर 2019 से दिसम्बर 2019 तक तक जेल उद्योगशाला से अनुपस्थित रहने व कार्य नहीं करने पर जेल द्वारा बंदी को दिनांक 12.02.2020 को बंदी को औपचारिक चेतावनी दी गई थी व नियमित रूप से जेल उद्योगशाला में आवंटित कार्य पूर्ण करें।

इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (ग) व (छ) के तहत साधारणतया तथा 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर में भेजे जाने हेतु पात्र नहीं हैं, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अत: उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी भगवान सिंह पुत्र सुमरत्या** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

45. रमजान पुत्र घीसू खां, के.का. जोधपुर :- बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2020 तक 16 वर्ष 06 माह 05 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

पूर्व में बंदी, खुला बंदी शिविर, बाड़मेर में सजा भुगत रहा था, के दौरान दिनांक 28.12.2018 को प्रात: रोलकॉल में उपस्थित नहीं होकर खुला बंदी शिविर से फरार हो गया। बंदी के विरूद्ध पुलिस थाना, कोतवाली बाड़मेर में एफ.आई.आर. संख्या 533/2018 दर्ज करवाई गई। बंदी को पुलिस थाना कोतवाली द्वारा दिनांक 04.01.2019 को गिरफ्तार कर जेल दाखिल कराया गया। वर्तमान में बंदी उक्त फरारी प्रकरण में विचाराधीन (जमानत पर) है। बंदी की फरारी की घटना को 02 वर्ष की अवधि पूर्ण नहीं हुई है तथा न ही बंदी के फरारी प्रकरण का निस्तारण हुआ है।

अत: उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी रमजान पुत्र घीसू खां** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

46. रोशन पुत्र मनोहर वेन्द्र, के.का. जयपुर :- बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2020 तक 16 वर्ष 05 माह 22 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

पूर्व में बंदी, खुला बंदी शिविर, सांगानेर में सजा भुगत रहा था, के दौरान बंदी रोलकॉल के पश्चात् खुला बदी शिविर, सांगानेर से बाहर खाना लेने गया था, उसी समय अज्ञात लोगों द्वारा बंदी के साथ मारपीट करने पर बंदी व बाहरी व्यक्तियों को पुलिस थाना सांगानेर (जयपुर) द्वारा गिरफ्तार कर माननीय कार्यपालक मजिस्ट्रेट एवं सहायक पुलिस आयुक्त, सांगानेर के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिस पर उनके प्रकरण संख्या 1068/2019 अंतर्गत धारा 151, 107 116 (3) दण्ड प्रक्रिया संहिता में बंदी को दिनांक 15.07.2019 को जेल दाखिल करवाया गया। इस प्रकार बंदी द्वारा खुला बंदी शिविर नियमों की पूर्ण रूप से पालना नहीं की गई है। अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी रोशन पुत्र मनोहर वेन्द्र** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

47. देवेन्द्र पुत्र देवकीनन्दन, के.का. जयपुर :- बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2020 तक 16 वर्ष 04 माह 14 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है। बंदी को 02 से अधिक 08 निम्न प्रकरणों में दण्डित किया गया है :-

1. माननीय अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश क्रम संख्या 11 अलीगढ़ (यू.पी.) के प्रकरण संख्या 493/2005 अंतर्गत धारा 302, 394, 201 आई.पी.सी. में दिनांक 09.05.2007 को आजीवन कारावास।
2. माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम वर्ग क्रम 15 जयुपर नगर जयपुर के प्रकरण संख्या 269/2005 अंतर्गत धारा 420, 467, 468/120 बी, 471/120बी आई.पी.सी. में दिनांक 14.07.2010 को 03 वर्ष साधारण कारावास।
3. माननीय अति. सैशन न्यायाधीश संख्या 02 दक्षिण दिल्ली जिला साकेत कोर्ट्स न्यू दिल्ली के प्रकरण संख्या 117/2005 अंतर्गत धारा 302, 365, 392, 201 आई.पी.सी. में दिनांक 15.02.2011 को आजीवन कारावास।
4. माननीय अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट क्र.सं. 12 जयपुर महानगर के प्रकरण संख्या 1348/2004 अंतर्गत धारा 420 आई.पी.सी. में दिनांक 14.11.2013 को 03 वर्ष साधारण कारावास।
5. माननीय महानगर दण्डाधिकारी-07 (केन्द्रीय) कमरा नं. 180 तीस हजारी अदालत, दिल्ली के प्रकरण संख्या 293582/2016 अंतर्गत धारा 224 आई.पी.सी. में दिनांक 18.10.2016 को 04 माह कठोर कारावास।
6. माननीय अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर के प्रकरण संख्या 07/2007 अंतर्गत धारा 364, 302/120बी, 397/120बी 201/120बी आई.पी.सी. में दिनांक 20.10.2018 को आजीवन कारावास।
7. माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जनपद अमरोहा (उ.प्र.) के प्रकरण संख्या 2955/2002 अंतर्गत धारा 420, 467, 468, 47 आई.पी.सी. में दिनांक 17.04.2017 को 07 वर्ष कठोर कारावास।
8. माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अलीगढ़ (उ.प्र.) के प्रकरण संख्या 1316/2004 अंतर्गत धारा 420, 469, 471 आई.पी.सी. में दिनांक 22.11.2018 को 07 वर्ष साधारण कारावास।

बंदी को दिनांक 28.01.2020 को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर के आदेशानुसार 20 दिवस नियमित पैरोल पर रिहा किया गया था, बंदी नियमित पैरोल से जेल दाखिल न होकर पैरोल से फरार हो गया। जिस पर बंदी के विरूद्ध एफ.आई.आर. नं. 41/2020 दर्ज करवाई गई। बंदी को दिनांक 30.07.2020 को पुलिस थाना, लालकोठी,

जयपुर शहर पूर्व द्वारा एफ.आई.आर. नं. 41/2020 अंतर्गत धारा 50 ख (2) में जेल दाखिल कराया गया। उक्त के अतिरिक्त बंदी 02 प्रकरणों में विचाराधीन है।

इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (ग) (च) (छ) के साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला शिविर हेतु पात्र नहीं हैं, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी देवेन्द्र पुत्र देवकीनन्दन** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

48. **सुनील उर्फ सोना पुत्र विरम भाई, के.का. जोधपुर :-** बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2020 तक 16 वर्ष 03 माह 14 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

पूर्व में बंदी, खुला बंदी शिविर, बाड़मेर में सजा भुगत रहा था, के दौरान बंदी के विरूद्ध पोक्सो न्यायालय बालोतरा में प्रकरण 13/2019 दर्ज हुआ। माननीय न्यायालय द्वारा बंदी को अंतर्गत धारा 452, 376 (2) (एन), 376 (3) आई.पी.सी. व 5/एल पोक्सो एक्ट में 20 वर्ष कठोर कारावास से दिनांक 07.12.2020 को दण्डित किया गया।

माननीय दण्डाधिकारी न्यायालय द्वारा बंदी को अंतर्गत धारा 376 (2) (एन), 376 (3) आई.पी.सी. (प्रतिबंधित धारा) में 20 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित किये जाने से बंदी राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (घ) के साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला शिविर हेतु पात्र नहीं हैं, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी सुनील उर्फ सोना पुत्र विरम भाई** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

49. **श्यामा उर्फ श्यामलाल पुत्र भैरूलाल, के.का. बीकानेर :-** बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2020 तक 16 वर्ष 02 माह 26 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है, बंदी को निम्नांकित प्रकरणों में दण्डित किया गया है :-

1. माननीय विशिष्ट न्यायालय एस.सी.एस.टी. एक्ट झालावाड़ द्वारा प्रकरण संख्या 56/2006 अंतर्गत धारा 302 आई. पी.सी. व 4/25 आर्म्स एक्ट में दिनांक 20.01.2007 को आजीवन कारावास।

2. माननीय जे.एम. चिड़ावा द्वारा प्रकरण संख्या 212/2005 अंतर्गत धारा 341, 323 आई.पी.सी. में दिनांक 12.03.2010 को भुगती सजा से दण्डित।

3. माननीय ए.सी.जे.एम. नं. 06 कोटा द्वारा प्रकरण संख्या 81/2011 अंतर्गत धारा 325 आई.पी.सी. में दिनांक 16.04.2012 को 01 वर्ष साधारण कारावास।

4. माननीय ए.सी.जे.एम. पी.सी.पी.एन.डी.टी.केसेज, कोटा द्वारा प्रकरण संख्या 488/2016 अंतर्गत धारा 3/24, 3/25 आर्म्स एक्ट में दिनांक 29.08.2018 को 03 वर्ष साधारण कारावास।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के आदेशानुसार 20 दिवस सामान्य पैरोल पर दिनांक 10.07.2014 को रिहा कर दिनांक 29.07.2014 को जेल दाखिल होने हेतु पाबंद किया गया था, किंतु बंदी नियत तिथि को जेल दाखिल नहीं होकर पैरोल से फरार हो गया। श्रीमान् अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 03 कोटा के एफ.आई.आर. संख्या 754/2014 पुलिस थाना उद्योग नगर कोटा द्वारा दिनांक 15.12.2014 को केन्द्रीय कारागृह, कोटा में जेल दाखिल करवाया जाने पर दिनांक 20.12.2014 को केन्द्रीय कारागृह, बीकानेर जेल दाखिल कराया गया।

इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (ग) व (च) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं हैं, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी श्यामा उर्फ श्यामलाल पुत्र भैरूलाल** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

50. **चन्दूराम पुत्र भोन्दूराम, के.का. श्रीगंगानगर :-** बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2020 तक 16 वर्ष 02 माह 17 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

पूर्व में बंदी, बंदी खुला शिविर, जैतसर से दिनांक 01.10.2018 को सायंकाल रोलकॉल में उपस्थित नहीं होकर खुला बंदी शिविर से फरार हो गया। जिसके विरूद्ध पुलिस थाना-जैतसर जिला श्रीगंगानगर में एफ.आई.आर. संख्या 263/2018 अंतर्गत धारा 224 आई.पी.सी. दर्ज करायी गई। बंदी को पुलिस थाना जैतसर जिला श्रीगंगानगर द्वारा दिनांक 04.10.2018 को गिरफ्तार कर जेल दाखिल कराया गया। इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के

नियम 3 (ग) के तहत साधारणतया तथा 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर में भेजे जाने हेतु पात्र नहीं हैं, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अत: उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी चन्दूराम पुत्र भोन्दूराम** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

51. **धुलजी उर्फ धुलेश्वर पुत्र लाबु, के.का. बीकानेर :-** बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2020 तक 16 वर्ष 29 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

खुला बंदी शिविर, बीछवाल में सजा भुगतने के दौरान बंदी द्वारा केन्द्रीय कारागृह, बीकानेर में निरूद्ध विचाराधीन बंदी को निषिद्ध सामग्री पहुंचाने के कारण बंदी के विरूद्ध पुलिस थाना, बीछवाल में एफ.आई.आर. संख्या 290/20 दर्ज करवाई गई एवं बंदी को पुन: दिनांक 09.12.2020 को जेल दाखिल किया गया। बंदी के उक्त कृत्य के कारण इनाक 15 दिवस परिहार जब्त किये जाने के जेलदण्ड से दण्डित किया गया।

इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (छ) के तहत साधारणतया तथा 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर में भेजे जाने हेतु पात्र नहीं हैं, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी का आचरण असंतोषप्रद बताते हुए उसे खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अत: उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी धुलजी उर्फ धुलेश्वर पुत्र लाबु** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

52. **महावीर प्रसाद पुत्र अमराराम, के.का. बीकानेर :-** बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2020 तक 16 वर्ष 08 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी पूर्व में खुला बंदी शिविर, बीछवाल में सजा भुगतने के दौरान दिनांक 20.08.2016 को सांयकाल में उपस्थित नहीं मिला, पूछताछ करने पर बंदी खुला शिविर में नहीं पाया गया, जिस पर पुलिस थाना बीछवाल में प्राथमिकी दर्ज करायी गई। दिनांक 23.08.2016 को श्रीमान् ए.सी.जे.एम. (पी.एल.पी.एन.डी.टी.एक्ट) बीकानेर के एफ. आई.आर. संख्या 185/2016 पुलिस थाना, बीछवाल द्वारा अंतर्गत धारा 224 आई.पी.सी. में गिरफ्तार कर दिनांक 23.08.2016 को जेल दाखिल कराया गया एवं बंदी मनोरोगी भी है।

इस प्रकार बंदी राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (ग) व (झ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अत: उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी महावीर प्रसाद पुत्र अमराराम** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

53. जगदीश पुत्र कान्हा, के.का. कोटा :- बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2020 तक 15 वर्ष 10 माह 22 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

पूर्व में बंदी खुला बंदी शिविर, खाटूश्यामजी में सजा भुगत रहा था के दौरान दिनांक 24.11.2019 को गौशाला पदाधिकारियों से गाली-गलौच करने के फलस्वरूप बंदी को जेल दाखिल किया गया। इस प्रकार बंदी का आचरण संतोषपद्र नहीं है तथा अधीक्षक जेल ने भी बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अत: उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी जगदीश पुत्र कान्हा** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

54. राकेश पुत्र जसवंत, के.का. भरतपुर :- बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2020 तक 15 वर्ष 08 माह 17 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ, जयपुर के आदेशानुसार 06 दिवस आपात पैरोल पर दिनांक 05.03.2003 को रिहा कर दिनांक 10.03.2003 को जेल दाखिल होने हेतु पाबंद किया गया था, किंतु बंदी नियत तिथि को जेल दाखिल नहीं होकर पैरोल से फरार हो गया। बंदी को दिनांक 10.05.2014 को पुन: गिरफ्तार कर जेल दाखिल कराया गया। इस प्रकार बंदी 11 वर्ष 02 माह पैरोल से फरार रहा है।

बंदी को खुला बंदी शिविर हेतु प्रतिबंधित धारा 395, 396 आई.पी.सी. में आजीवन कारावास से दण्डित किया गया है तथा बंदी के जेल उद्योगशाला से माह फरवरी 2019 व अप्रैल 2019 में आवंटित कार्य से अनुपस्थित व माह मई, जून 2019 व माह जुलाई से दिसम्बर 2019 तक अधिकांशत: अनुपस्थित रहने व कार्य नहीं करने के कारण

अधीक्षक जेल द्वारा दिनांक 12.02.2020 को बंदी को औपचारिक चेतावनी के जेलदण्ड से दण्डित कर नियमित रूप से जेल उद्योगशाला में जाकर आवंटित कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिये गये।

इस प्रकार बंदी राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (ग) (घ) व (छ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी राकेश पुत्र जसवंत** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

55. **मीठालाल पुत्र प्रभुलाल, के.का. भरतपुर :-** बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2020 तक 15 वर्ष 08 माह 09 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी को दिनांक 20.11.2013 को 40 दिवस नियमित पैरोल पर रिहा कर दिनांक 29.12.2013 को जेल दाखिल होने हेतु पाबंद किया गया था, किंतु बंदी नियत तिथि को जेल दाखिल नहीं होकर पैरोल से फरार हो गया। जिसके विरूद्ध बंदी को पुलिस थाना, सेवर में प्र.सू.रि. सं. 10/14 दर्ज करवाई गई। दिनांक 28.06.2017 को गिरफ्तार कर पुनः जेल दाखिल कराया गया।

इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (ग) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है। बंदी 01 अन्य प्रकरण में विचाराधीन (जमानत पर) भी है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी मीठालाल पुत्र प्रभुलाल** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

56. **रेणु उर्फ राजवीर पुत्र बाबू सिंह राजपूत, के.का. कोटा :-** बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2020 तक 15 वर्ष 07 माह 23 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है। बंदी को निम्न प्रकरणों में दण्डित किया गया है:-

1. माननीय अपर सेशन न्यायाधीश क्रम-02 (फास्ट ट्रेक) कोटा द्वारा सेशन प्रकरण संख्या 12/2007 अंतर्गत धारा 302 आई.पी.सी. एवं 4/25 आर्म्स एक्ट में दिनांक 06.10.2007 को आजीवन कारावास।

2. माननीय जे.एम. कनवास द्वारा प्रकरण संख्या 4/2004 अंतर्गत धारा 454, 380 आई.पी.सी. में दिनांक 29.09.2010 को 02 वर्ष साधारण कारावास।

3. माननीय ए.सी.जे.एम. रामगंजमण्डी द्वारा प्रकरण संख्या 391/2017 अंतर्गत धारा 454, 380 आई.पी.सी. में दिनांक 22.11.2017 को 03 वर्ष कठोर कारावास।

पूर्व में बंदी, खुला बंदी शिविर, बीछवाल में सजा भुगत रहा था, के दौरान दिनांक 31.10.2016 को प्रातः काल रोलकॉल में उपस्थित नहीं होकर खुला बंदी शिविर से फरार हो गया। जिसे पुलिस थाना, रामगंजमण्डी को गिरफ्तार कर दिनांक 30.01.2017 को उप कारागृह, रामगंजमण्डी में दाखिल कराया गया।

इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (ग) व (च) के साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं हैं। अधीक्षक जेल ने बंदी का आचरण असंतोषप्रद बताते हुए उसे खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की अनुशंसा नहीं की है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी रेणु उर्फ राजवीर पुत्र बाबू सिंह राजपूत** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

57. **सुनील पुत्र ईश्वर सिंह, के.का. बीकानेर :-** बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2020 तक 15 वर्ष 07 माह 03 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

पूर्व में बंदी खुला बंदी शिविर, बीछवाल में सजा भुगत रहा था। दिनांक 01.11.2017 को प्रातःकाल हाजरी में उपस्थित नहीं मिला एवं बंदी खुला बंदी शिविर में देखने पर भी नहीं मिलने पर बंदी के विरूद्ध पुलिस थाना, बीछवाल में एफ.आई.आर. नं. 16/2018 दर्ज करावाई गई। बंदी को दिनांक 08.08.2020 को पुलिस थाना, बीछवाल द्वारा गिरफ्मार कर जेल दाखिल करवाया गया।

इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (ग) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है। बंदी फरारी प्रकरण में विचाराधीन भी है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी सुनील पुत्र ईश्वर सिंह** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

58. **फूला पुत्र बसु डामोर, के.का. उदयपुर :-** बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2020 तक 15 वर्ष 05 माह 28 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

पूर्व में बंदी, खुला बंदी शिविर, बाड़मेर में सजा भुगत रहा था, के दौरान दिनांक 21.07.2019 को सायंकाल रोलकॉल में उपस्थित नहीं होकर खुला बंदी शिविर से फरार हो गया, बंदी के विरूद्ध पुलिस थाना, कोतवाली बाड़मेर में एफ.आई.आर. संख्या 348/2019 अंतर्गत धारा 224 आई.पी.सी. में दर्ज कराई गई। बंदी को पुलिस थाना, कोतवाली, बाड़मेर द्वारा गिरफ्तार कर दिनांक 26.07.2019 को जेल दाखिल कराया गया।

इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (ग) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी का आचरण असंतोषप्रद बताते हुए उसे खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है। वर्तमान में बंदी फरारी प्रकरण में विचाराधीन भी है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी फूला पुत्र बसु डामोर** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

59. **देवा पुत्र भेरा, के.का. उदयपुर :-** बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2020 तक 15 वर्ष 04 माह 26 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

खुला बंदी शिविर, उदयपुर से बंदी दिनांक 15.07.2020 को फरार हो गया, बंदी के विरूद्ध पुलिस थाना, सुरजपोल में एफ.आई.आर. संख्या 159/2020 दर्ज करवाई गई। जिसे दिनांक 17.07.2020 को पुलिस थाना, सुरजपोल द्वारा गिरफ्तार कर जेल दाखिल कराया गया।

इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (ग) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी देवा पुत्र भेरा** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

60. रमेश उर्फ बाबू पुत्र जगन्नाथ, के.का. उदयपुर :- बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2020 तक 15 वर्ष 04 माह 11 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

पूर्व में बंदी को बंदी के परिजनों द्वारा शपथ-पत्र प्रस्तुत करने पर खुला बंदी शिविर, मण्डोर भेजा गया था, बंदी के मानसिक रोग से ग्रसित, लाचार, विकलांग, बीमार एवं आदतन शराबी होने की कारण खुला बंदी शिविर, मण्डोर से केन्द्रीय कारागृह, जोधपुर में दिनांक 21.10.2020 को जेल दाखिल करवाया गया एवं शेष सजा भुगतने हेतु केन्द्रीय कारागृह, उदयपुर दिनांक 18.11.2020 को भेजा गया।

इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (झ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी रमेश उर्फ बाबू पुत्र जगन्नाथ** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

61. नन्दा पुत्र प्रभु, के.का. उदयपुर :- बंदी ने दिनांक 31.12.2020 तक 15 वर्ष 01 माह 21 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी की आयु 60 वर्ष से अधिक 79 वर्ष होने से वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम, 1972 के नियम 3 (ज) व (झ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी नन्दा पुत्र प्रभु** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

62. जोगाराम पुत्र रूपाराम, के.का. जोधपुर :- बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2020 तक 15 वर्ष 23 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

पूर्व में बंदी, खुला बंदी शिविर, बाड़मेर में सजा भुगत रहा था, के दौरान दिनांक 27.08.2018 को शराब पीकर अन्य बंदियों के साथ लड़ाई-झगड़ा व गाली-गलौच करने एवं जेल गेट पर स्टाफ के साथ अभद्रता करने पर बंदी के विरूद्ध पुलिस थाना कोतवाली जिला-बाड़मेर में प्राथमिकी दर्ज करायी गई, जिसमें पुलिस थाना कोतवाली द्वारा गिरफ्तार कर एस.डी.एम. के समक्ष पेश करने पर बंदी की जमानत ले ली तथा बंदी को जेल दाखिल कराया गया, बंदी दिनांक 08.07.2020 को 40 दिवस पैरोल पर रिहा किया गया किन्तु दिनांक 16.08.2020 को पुनः जेल दाखिल न होकर फरार हो गया। तत्पश्चात् दिनांक 19.08.2020 को स्वयं हाजिर होने पर संबंधित अधिकारियों को सूचना दे जेल दाखिल किया। बंदी माननीय महानगर मजिस्ट्रेट के प्रकरण संख्या 217/2020 में विचाराधीन है। दिनांक 17.07.2019 को उद्योगशाला में कार्य करने वापस आने पर तलाशी में 100 रूपये बरामद हुए, के लिए चेतावनी के जेलदण्ड से दण्डित किया गया, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (ग) व (घ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी जोगाराम पुत्र रूपाराम** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

63. लालाराम उर्फ लालिया पुत्र पेमाराम, के.का. जोधपुर :- बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2020 तक 15 वर्ष 06 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी, खुला बंदी शिविर, बेलासर से दिनांक 22.07.2019 को प्रातः काल रोलकॉल में उपस्थित नहीं होने पर बंदी के दूरभाष पर संपर्क किये जाने पर बंदी द्वारा पी.बी.एम. चिकित्सालय, बीकानेर में होना बताया तथा 01 घण्टे बाद खुला बंदी शिविर पर उपस्थित होने हेतु कहा गया, पुनः दूरभाष पर संपर्क किये जाने पर बंदी का मोबाईल स्विच ऑफ पाया गया एवं बंदी, खुला बंदी शिविर से फरार हो गया, बंदी के विरूद्ध पुलिस थाना, नापासर बीकानेर में एफ.आई.आर. संख्या 123/2019 दर्ज कराई गई। बंदी को पुलिस थाना, नापासर द्वारा गिरफ्तार कर दिनांक 10.08.2019 को जेल दाखिल कराया गया।

इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (ग) के साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं हैं, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की अनुशंसा नहीं की है। वर्तमान में बंदी फरारी प्रकरण में विचाराधीन भी है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी लालाराम उर्फ लालिया पुत्र पेमाराम** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

64. **सोमाराम पुत्र सोनाराम, के.का. जोधपुर :-** बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2020 तक 14 वर्ष 11 माह 29 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

पूर्व में बंदी, बंदी खुला शिविर, बाड़मेर में सजा भुगत रहा था, के दौरान दिनांक 11.07.2015 को बंदी खुला शिविर, बाड़मेर से फरार हो गया। जिसे दिनांक 19.04.2017 को पुनः जेल दाखिल कराया गया है। इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (ग) के तहत साधारणतया तथा 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर में भेजे जाने हेतु पात्र नहीं हैं। वर्तमान में बंदी फरारी प्रकरण संख्या 309/2015 में विचाराधीन है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी सोमाराम पुत्र सोनाराम** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

65. **अशोक कुमार पुत्र नैनाराम, के.का. जोधपुर :-** बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2020 तक 14 वर्ष 11 माह 17 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

पूर्व में बंदी को 40 दिवस नियमित पैरोल पर दिनांक 16.06.2007 को रिहा कर दिनांक 25.07.2007 को जेल दाखिल होने हेतु पाबंद किया गया था, किंतु बंदी नियत तिथि को जेल दाखिल नहीं होकर पैरोल से फरार हो गया। बंदी को बाद फरारी पुलिस थाना, उदयमंदिर, जोधपुर द्वारा प्रकरण संख्या 364/2007 में गिरफ्तार कर एम.एम. संख्या 03 जोधपुर महानगर के आदेशानुसार दिनांक 02.09.2019 को जेल दाखिल कराया गया। बंदी 12 वर्ष 01 माह 08 दिवस नियमित पैरोल से फरार रहा है, इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (ग) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं है के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी के पैरोल से फरारशुदा होने से उसे खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी अशोक कुमार पुत्र नैनाराम** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

66. **राजकुमार उर्फ राजू पुत्र पूरणाराम, के.का. बीकानेर :-** बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2020 तक 14 वर्ष 10 माह 02 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी को 20 दिवस प्रथम नियमित पैरोल पर दिनांक 23.04.2012 को रिहा कर दिनांक 12.05.2012 को जेल दाखिल होने हेतु पाबंद किया गया था, किंतु बंदी नियत तिथि को जेल दाखिल नहीं होकर पैरोल से फरार हो गया, जिसे पुलिस थाना सरदार शहर द्वारा दिनांक 15.06.2013 को गिरफ्तार कर श्रीमान् एस.डी.एम. सरदार शहर के प्रकरण संख्या 159/2013 के वारंट सहित दिनांक 16.06.2013 को जिला कारागृह, चूरू में दाखिल करवाया गया तथा दिनांक 21.06.2013 को केन्द्रीय कारागृह, बीकानेर में दाखिल कराया गया।

उक्त के अतिरिक्त दिनांक 05.05.2018 को तलाशी के दौरान बंदी के पास नोकिया फोन बरामद होने पर अधीक्षक जेल द्वारा दिनांक 07.05.2018 को एक माह की मुलाकात से वंचित किये जाने के जेलदण्ड से दण्डित किया गया तथा दिनांक 30.12.2018 को पुनः तलाशी के दौरान सेमसंग मोबाईल बरामद होने पर अधीक्षक जेल द्वारा 10 दिवस परिहार जब्त किये जाने के जेलदण्ड से दण्डित किया गया। दिनांक 19.01.2019 को तलाशी के दौरान बंदी से 01 मोबाईल मय सिम बरामद किये जाने पर अधीक्षक जेल द्वारा दिनांक 19.01.2019 को 07 दिवस परिहार जब्त किये जाने के जेलदण्ड से दण्डित किया गया तथा दिनांक 10.04.2019 को एक अन्य बंदी प्रभु सिंह का शिकायती पत्र गोपनीय रूप से छिपाकर पेशी पर ले जाने के दौरान तलाशी में पकड़ा गया, के फलस्वरूप अधीक्षक जेल द्वारा दिनांक 10.04.2019 को बंदी को 02 दिवस परिहार जब्त किये जाने के जेलदण्ड से दण्डित किया गया।

इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (ग) व (छ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर में भेजे जाने हेतु पात्र नहीं हैं, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी का आचरण असंतोषप्रद बताते हुए उसे खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी राजकुमार उर्फ राजू पुत्र पूरणाराम** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

67. घनश्याम पुत्र नवलकिशोर, के.का. जयपुर :- बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2020 तक 14 वर्ष 09 माह 17 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

पूर्व में बंदी, बंदी खुला शिविर, सांगानेर से दिनांक 10.07.2020 को सायंकाल रोलकॉल में उपस्थित नहीं होकर खुला बंदी शिविर से फरार हो गया। जिसके विरूद्ध पुलिस थाना-सांगानेर, मालपुरा गेट, जयपुर में एफ.आई.आर. संख्या 186/2020 अंतर्गत धारा 224 आई.पी.सी. में दर्ज करायी गई। बंदी को पुलिस थाना, मालपुरा गेट, जयपुर द्वारा दिनांक 06.11.2020 को गिरफ्तार कर जेल दाखिल कराया गया। बंदी राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (ग) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर में भिजवायें जाने का पात्र नहीं होने के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी घनश्याम पुत्र नवलकिशोर** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

68. श्योप्रकाश पुत्र श्योकरण, के.का. बीकानेर :- बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2020 तक 14 वर्ष 08 माह 26 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है। बंदी को निम्न प्रकरणों में दण्डित किया गया है :-

1. माननीय अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश (फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर द्वारा प्रकरण संख्या 67/2002 अंतर्गत धारा 302/149, 148, 449, 364, 323, 324, 342, 341 आई.पी.सी. में दिनांक 03.07.2003 को आजीवन कारावास।
2. माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर द्वारा प्रकरण संख्या 12/2012 अंतर्गत धारा 332, 353, 504 आई.पी.सी. में दिनांक 28.02.2012 को 02 वर्ष साधारण कारावास।
3. माननीय अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश (फास्ट ट्रेक) संख्या 2 श्रीगंगानगर द्वारा प्रकरण संख्या 49/2009 अंतर्गत धारा 302/34, 307/34, 324/34, 326/34, 341 आई.पी.सी. एवं 27 आर्म्स एक्ट में दिनांक 16.09.2013 को आजीवन कारावास।
4. माननीय अतिरिक्त सैशन न्यायाधीश, मुक्तसर साहिब (पंजाब) द्वारा प्रकरण संख्या 117/2008 अंतर्गत धारा 307, 392, 324, 186, 353, 332, 427, 341 आई.पी.सी. में दिनांक 23.04.2014 को 05 वर्ष कठोर कारावास।

उक्त के अतिरिक्त बंदी को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के आदेशानुसार अंतरिम जमानत पर दिनांक 07.02.2004 को रिहा कर दिनांक 16.03.2004 को जेल दाखिल होने हेतु पाबंद किया गया था, किंतु बंदी जेल दाखिल नहीं होकर अंतरिम जमानत से फरार हो गया, जिसे दिनांक 01.07.2009 को जेल दाखिल कराया गया। बंदी 05 वर्ष 03 माह 15 दिवस अंतरिम जमानत से फरार रहा है।

इस प्रकार बंदी राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (ग) व (च) के साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं हैं।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी श्योप्रकाश पुत्र श्योकरण** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

69. **गुड्डन पुत्र मनोहरसिंह, के.का. बीकानेर :-** बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2020 तक 14 वर्ष 08 माह 25 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है। बंदी को निम्नांकित प्रकरणों में दण्डित किया गया है :-

1. माननीय विशिष्ट न्यायाधीश (ड.प्र.क्षे.) धौलपुर द्वारा प्रकरण संख्या 42/2006 अंतर्गत धारा 148, 302/149, 395, 396 आई.पी.सी. में दिनांक 03.06.2014 को आजीवन कारावास।
2. माननीय अपर जिला जज कोर्ट नं. 09, आगरा (उ.प्र.) द्वारा प्रकरण संख्या 86ए/2007 अंतर्गत धारा 394 आई. पी.सी. में दिनांक 31.01.2018 को 07 वर्ष कठोर कारावास।
3. माननीय अपर जिला जज कोर्ट नं. 09, आगरा (उ.प्र.) द्वारा प्रकरण संख्या 295ए/2008 अंतर्गत धारा 394 आई. पी.सी. में दिनांक 31.01.2018 को 10 वर्ष कठोर कारावास।
4. माननीय स्पे. जज गैंगस्टर एक्ट, आगरा (उ.प्र.) द्वारा प्रकरण संख्या 269ए/2007 अंतर्गत धारा 2/3 उ.प्र. गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम में दिनांक 05.02.2018 को 03 वर्ष 02 माह साधारण कारावास।
5. माननीय स्पे. जज गैंगस्टर एक्ट, आगरा (उ.प्र.) द्वारा प्रकरण संख्या 530ए/2002 अंतर्गत धारा 2/3 उ.प्र. गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम में दिनांक 05.02.2018 को 03 वर्ष साधारण कारावास।

बंदी को 395 एवं 396 आई.पी.सी. (प्रतिबंधित धारा) में आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया गया है। इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (घ) व (च) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं हैं तथा बंदी 11 अन्य प्रकरणों में विचाराधीन भी है तथा बंदी द्वारा डकैती, हत्या सहित डकैती जैसा जघन्य अपराध कारित किया गया है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी गुड्डन पुत्र मनोहरसिंह** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

70. गोविन्द पुत्र लटूर, के.का. कोटा :- बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2020 तक 14 वर्ष 08 माह 13 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

पूर्व में बंदी, खुला बंदी शिविर, बाड़मेर में सजा भुगत रहा था, के दौरान 40 दिवस नियमित पैरोल पर दिनांक 30.04.2019 को रिहा कर दिनांक 08.06.2019 को जेल दाखिल होने हेतु पाबंद किया गया था, किंतु बंदी नियत तिथि को जेल दाखिल नहीं होकर पैरोल से फरार हो गया। जिसे दिनांक 10.06.2019 को जिला कारागृह, बाड़मेर द्वारा केन्द्रीय कारागृह, कोटा भिजवाया गया।

उक्त के अतिरिक्त बंदी माह जनवरी 2020 से अक्टूबर 2020 तक उद्योगशाला से अनुपस्थित रहने के कारण दिनांक 11.11.2020 को राजस्थान कारागार नियम 1951 पार्ट-2 (ई) सहपठित नियम 13 के अंतर्गत अनुपस्थित अवधि के रेमीशन से वंचित रहने के जेलदण्ड से दण्डित किया गया।

इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (ग) (घ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं हैं, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की अनुशंसा नहीं की है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी गोविन्द पुत्र लटूर** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

71. मेजरसिंह पुत्र जगीन्द्र सिंह उर्फ जोगेन्द्र सिंह, के.का. बीकानेर :- बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2020 तक 14 वर्ष 07 माह 24 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

पूर्व में बंदी, बंदी खुला शिविर, हनुमानगढ़ टाऊन से दिनांक 28.10.2020 को प्रातःकाल रोलकॉल में उपस्थित नहीं होकर खुला बंदी शिविर से फरार हो गया। जिसके विरूद्ध पुलिस थाना-हनुमानगढ़ टाऊन में एफ.आई.आर. संख्या 672/2020 अंतर्गत धारा 224 आई.पी.सी. में दर्ज करायी गई। बंदी को पुलिस थाना, हनुमानगढ़ टाऊन द्वारा दिनांक 30.10.2020 को गिरफ्तार कर जेल दाखिल कराया गया। बंदी राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (ग) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी मेजरसिंह पुत्र जगीन्द्र सिंह उर्फ जोगेन्द्र सिंह** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

72. **समसू पुत्र कमला, के.का. भरतपुर :-** बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2020 तक 14 वर्ष 07 माह 16 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी को दिनांक 27.02.2009 को 30 दिवस नियमित पैरोल पर रिहा कर दिनांक 28.03.2009 को जेल दाखिल होने हेतु पाबंद किया गया था, किंतु बंदी नियत तिथि को जेल दाखिल नहीं होकर पैरोल से फरार हो गया। जिसे दिनांक 16.08.2016 को पुलिस थाना सेवर (भरतपुर) द्वारा गिरफ्तार कर जेल दाखिल कराया गया। बंदी की फरारी प्रकरण की सजा समाप्त हो चुकी है किंतु बंदी 07 वर्ष 04 माह 18 दिवस पैरोल से फरार रहा है।

उक्त के अतिरिक्त बंदी द्वारा जेल उद्योगशाला से अनुपस्थित रहने व कार्य नहीं करने के फलस्वरूप अधीक्षक जेल द्वारा दिनांक 12.02.2020 को बंदी को औपचारिक चेतावनी दी गई कि नियमित रूप से जेल उद्योगशाला में जावें तथा आवंटित कार्य पूर्ण करें।

इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (ग) व (छ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं है। अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवन्दना नहीं की है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी समसू पुत्र कमला** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

73. **आतिश गर्ग पुत्र प्रकाश चंद गर्ग, के.का. अलवर:-** बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2020 तक 14 वर्ष 07 माह 12 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है, बंदी को निम्नांकित प्रकरणों में दण्डित किया गया है :-

1. माननीय अपर जिला न्यायाधीश (फास्ट ट्रेक), क्रम संख्या-2, जयपुर शहर, जयपुर द्वारा प्रकरण संख्या 45/2008 अंतर्गत धारा 302 आई.पी.सी. में दिनांक 31.01.2009 को आजीवन कारावास।
2. माननीय अतिरिक्त महानगर न्यायिक मजिस्ट्रेट, संख्या-03, जयपुर द्वारा प्रकरण संख्या 130/2013 अंतर्गत धारा 419, 467, 468, 471, 120बी आई.पी.सी. में दिनांक 20.06.2014 को 07 वर्ष कठोर कारावास।
3. माननीय अतिरिक्त मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट क्रम-10, जयपुर महानगर द्वारा प्रकरण संख्या 127/2015 अंतर्गत धारा 420, 386, 120बी आई.पी.सी. में दिनांक 07.11.2017 को 03 वर्ष साधारण कारावास।

बंदी को दिनांक 09.07.2014 को 20 दिवस नियमित पैरोल पर रिहा कर दिनांक 28.07.2014 को जेल दाखिल होने हेतु पाबंद किया गया था, किंतु बंदी नियत तिथि को जेल दाखिल नहीं होकर पैरोल से फरार हो गया। जिसे दिनांक 07.01.2015 को अन्य प्रकरण में गिरफ्तार कर केन्द्रीय कारागृह, जयपुर पर जेल दाखिल कराया गया। बंदी 04 अन्य प्रकरणों में विचाराधीन भी है।

इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (ग) (च) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला शिविर हेतु पात्र नहीं है।

अत: उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी आतिश गर्ग पुत्र प्रकाशचंद गर्ग** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

74. **शहजाद खां पुत्र लियाकत खां, के.का. जोधपुर :-** बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2020 तक 14 वर्ष 07 माह 04 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है। बंदी को 02 निम्न प्रकरणों में दण्डित किया गया है एवं 02 प्रकरण विचाराधीन है, जिनमें जमानत पर है :-

1. माननीय ए.डी.जे. (फास्ट ट्रेक) नागौर द्वारा प्रकरण संख्या 45/2006 (38/2006) अंतर्गत धारा 302 आई.पी.सी. में दिनांक 15.05.2008 (प्रभावीदिनांक 06.04.2011) को आजीवन कारावास।

2. माननीय ए.डी.जे. नं. 04 अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 27/2012 अंतर्गत धारा 364/120बी, 302/120बी आई.पी.सी. एवं 3/25, 27 आर्म्स एक्ट में दिनांक 11.04.2014 को आजीवन कारावास।

उक्त के अतिरिक्त बंदी को दिनांक 11.08.2010 को 07 दिवस आपात पैरोल पर रिहा कर दिनांक 17.08.2010 को जेल दाखिल होने हेतु पाबंद किया गया था किंतु बंदी नियत तिथि को जेल दाखिल नहीं होकर पैरोल से फरार हो गया, जिसे दिनांक 06.04.2011 को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर अन्य प्रकरण में जेल दाखिल कराया गया।

उक्त के अतिरिक्त बंदी दिनांक 17.09.2014 को पुलिस अभिरक्षा में पेशी पर ले जाते समय डेगाना रेल्वे स्टेशन पर चलती ट्रेन से कूदकर फरार हो गया। जिसे दिनांक 06.12.2015 को पुनः गिरफ्तार होने पर जेल दाखिल किया गया। सजावधि के दौरान बंदी 02 बार फरार हुआ है।

इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला बंदी शिविर नियम 1972 के नियम 3 (ग) व (च) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी शहजाद पुत्र लियाकत खां** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

75. **इमरान उर्फ दिल्ली वाला पुत्र इस्लाम खान, के.का. कोटा :-** बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2020 तक 14 वर्ष 06 माह 16 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है। बंदी को निम्नांकित प्रकरणों में दण्डित किया गया है :-

1. माननीय अपर सेशन न्यायाधीश संख्या 02, बूंदी द्वारा प्रकरण संख्या 196/2011 अंतर्गत धारा 363 आई.पी.सी. में दिनांक 02.04.2014 को 05 वर्ष कठोर कारावास।
2. माननीय अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 07, कोटा द्वारा प्रकरण संख्या 20/2012 अंतर्गत धारा 457, 380 आई.पी.सी. में दिनांक 10.06.2016 को 03 वर्ष कठोर कारावास।
3. माननीय विशिष्ट न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण प्रकरण) कोटा द्वारा प्रकरण संख्या 87593/2014 अंतर्गत धारा 302/34, 376 (2) (जी), 460 आई.पी.सी. व 3/25 आर्म्स एक्ट में दिनांक 07.11.2017 को आजीवन कारावास।

दिनांक 21.02.2019 को बंदी द्वारा कारागृह में अन्य बंदियों के साथ मिलकर तलाशी का विरोध करने एवं स्टाफ के साथ गाल-गलौच करने के कारण राजस्थान कारागारा नियम 1951 के पार्ट-2 के नियम 5 (1) के सहपठित नियम (1) के अंतर्गत बंदी को औपचारिक चेतावनी के दण्ड से दण्डित किया गया।

इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (छ) व (च) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी का आचरण असंतोषप्रद बताते हुए खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

उक्त के अतिरिक्त ए.सी.जे.एम क्र.सं. 7 में प्र.सं. 539/2019 अंतर्गत धारा 353, 504 आई.पी.सी. व 42 राजस्थान कारागार अधिनियम में विचाराधीन है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी इमरान उर्फ दिल्ली वाला पुत्र इस्लाम खान** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

76. रमेश कुमार पुत्र हरिशचन्द्र, के.का. कोटा :- बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2020 तक 14 वर्ष 06 माह 02 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी को दिनांक 02.06.2007 को 40 दिवस नियमित पैरोल पर रिहा कर दिनांक 11.07.2007 को जेल दाखिल होने हेतु पाबंद किया गया था, किंतु बंदी नियत तिथि को जेल दाखिल नहीं होकर पैरोल से फरार हो गया। बंदी को बाद फरारी दिनांक 04.11.2016 को जेल दाखिल कराया गया है। बंदी 09 वर्ष 03 माह 25 दिन फरार रहा। बंदी फरारी प्रकरण के अतिरिक्त 06 अन्य प्रकरणों में विचाराधीन है।

इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (ग) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं है। अधीक्षक जेल ने बंदी की फरारी को ध्यान में रखते हुए उसे खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी रमेश कुमार पुत्र हरिशचन्द्र** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

77. **राजूलाल पुत्र कजोड़मल, के.का. जयपुर :-** बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2020 तक 14 वर्ष 05 माह 14 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

पूर्व में बंदी, खुला बंदी शिविर, सांगानेर में सजा भुगत रहा था, के दौरान दिनांक 20.10.2019 को सांयकाल रोलकॉल में उपस्थित नहीं होकर खुला बंदी शिविर से फरार हो गया। बंदी के विरूद्ध पुलिस थाना, सांगानेर में एफ. आई.आर. संख्या 1662/2019 अंतर्गत धारा 224 आई.पी.सी. में दर्ज करवाई गई। बंदी को दिनांक 13.12.2019 को गिरफ्तार कर जेल दाखिल कराया गया। इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (ग) के तहत साधारणतया तथा 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर में भेजे जाने हेतु पात्र नहीं हैं, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी राजूलाल पुत्र कजोड़मल** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

78. **हरनेकसिंह उर्फ सुरेन्द्र वर्मा उर्फ इन्द्रजीत सिंह पुत्र तारासिंह, के.का. जयपुर :-** बंदी ने दिनांक 31.12.2020 तक 14 वर्ष 05 माह 12 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है। बंदी को 02 से अधिक 03 निम्न प्रकरणों में दण्डित किया गया है :-

1. माननीय ए.डी.जे. संख्या 03 जयपुर महानगर, जयपुर द्वारा प्रकरण संख्या 06/2017 अंतर्गत धारा 364ए, 365, 343, 346, 201 आई.पी.सी. में दिनांक 06.10.2017 को आजीवन कारावास।
2. माननीय अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश, संख्या 03 जयपुर मेट्रो जयपुर द्वारा प्रकरण संख्या 07/2017 अंतर्गत धारा 307, 353, 420, 468, 471 आई.पी.सी. 3/25, 7/25 आर्म्स एक्ट व 1908 सेक्शन 4 में दिनांक 06.10.2017 को 10 वर्ष कठोर कारावास।
3. माननीय अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश संख्या 03 जयपुर मेट्रो जयपुर द्वारा प्रकरण संख्या 05/2007 अंतर्गत धारा 176, 177, 468, 419 आई.पी.सी. एवं 3/25, 7/25 आर्म्स एक्ट व 1908 सेक्शन 4, 5 में दिनांक 06.10.2017 को 07 वर्ष कठोर कारावास।

बंदी दो से अधिक तीन प्रकरणों में दण्डित है, के कारण वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (च) के साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए **बंदी हरनेकसिंह उर्फ सुरेन्द्र वर्मा उर्फ इन्द्रजीत सिंह पुत्र तारासिंह** को खुला बंदी शिविर में नहीं भेजे जाने का निर्णय लिया गया।

79. गजानन्द उर्फ गज्जा पुत्र कल्याण, वि.के.का. श्यालावास (दौसा) :- बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2020 तक 14 वर्ष 05 माह 08 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ, जयपुर के आदेशानुसार बंदी को दिनांक 11.08.2015 को 20 दिवस सामान्य पैरोल पर रिहा कर दिनांक 30.08.2015 को जेल दाखिल होने हेतु पाबंद किया गया था, किंतु बंदी नियत तिथि को जेल दाखिल नहीं होकर पैरोल से फरार हो गया, जिसे दिनांक 12.08.2016 को गिरफ्तार कर जिला कारागृह, गंगापुर सिटी से जेल दाखिल किया गया।

इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (ग) के साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं हैं। अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला बंदी शिविर में भिजवाने की प्रवंदना नहीं की है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी गजानन्द उर्फ गज्जा पुत्र कल्याण** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

80. गुरबचन सिंह पुत्र दलीप सिंह, के.का. श्रीगंगानगर :- बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2020 तक 14 वर्ष 05 माह 03 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

पूर्व में बंदी, खुला बंदी शिविर, हनुमानगढ़ टाऊन में सजा भुगत रहा था, के दौरान दिनांक 24.06.2019 को सायंकाल रोलकॉल में उपस्थित नहीं होकर खुला बंदी शिविर से फरार हो गया, बंदी के विरूद्ध पुलिस थाना, हनुमानगढ़ टाऊन में एफ.आई.आर. संख्या 295/2019 अंतर्गत धारा 224 आई.पी.सी. में दर्ज कराई गई। बंदी को पुलिस

थाना, हनुमानगढ़ टाऊन द्वारा दिनांक 09.09.2020 को गिरफ्तार कर कोविड़ रिपोर्ट नेगेटिव आने पर दिनांक 11.09.2020 को जेल दाखिल कराया गया।

इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (ग) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी का आचरण असंतोषप्रद बताते हुए उसे खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है। वर्तमान में बंदी फरारी प्रकरण में विचाराधीन भी है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी गुरबचन सिंह पुत्र दलीप सिंह** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

81. **मीनू पुत्र लाल्या, वि.के.का. श्यालावास (दौसा)** :- बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2020 तक 14 वर्ष 04 माह 22 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी को दिनांक 30.05.2015 को 20 दिवस नियमित पैरोल पर रिहा कर दिनांक 18.06.2015 को जेल दाखिल होने हेतु पाबंद किया गया था, किंतु बंदी नियत तिथि को जेल दाखिल नहीं होकर पैरोल से फरार हो गया। जिस पर बंदी के विरूद्ध पुलिस थाना, लालकोठी जयपुर शहर पूर्व में प्राथमिकी संख्या 111/2016 अंतर्गत धारा 11 (2) (क) दर्ज करवाई गई। बंदी को दिनांक 12.09.2016 को गिरफ्तार कर जेल दाखिल कराया गया।

इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (ग) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं हैं। अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवन्दना नहीं की है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी मीनू पुत्र लाल्या** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

82. **ओमप्रकाश पुत्र नथमल, के.का. जोधपुर** :- बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2020 तक 14 वर्ष 04 माह 02 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के आदेशों की पालना में 20 दिवस पैरोल पर दिनांक 30.04.2007 को रिहा कर दिनांक 19.05.2007 को जेल दाखिल होने हेतु पाबंद किया गया था, किंतु बंदी नियत तिथि को जेल दाखिल नहीं होकर पैरोल से फरार हो गया। जिसे पुलिस थाना रातानाड़ा जोधपुर द्वारा गिरफ्तार कर दिनांक 12.04.2018 को जेल दाखिल कराया गया। बंदी 10 वर्ष 10 माह 24 दिवस पैरोल से फरार रहा है।

उक्त के अतिरिक्त बंदी प्रतिबंधित धारा 396, 397 व 398 आई.पी.सी. में क्रमशः आजीवन कारावास व 07-07 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित किया गया है। इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (ग) व (घ) के तहत साधारणतया तथा 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर में भेजे जाने हेतु पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है। वर्तमान में बंदी फरारी प्रकरण में विचाराधीन भी है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी ओमप्रकाश पुत्र नथमल** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

83. दुर्गालाल पुत्र नानूराम, के.का. कोटा :- बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2020 तक 14 वर्ष 03 माह 20 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

पूर्व में बंदी, बंदी खुला शिविर, बीछवाल से दिनांक 14.06.2017 को फरार हो गया था जिसे थानाधिकारी पुलिस थाना बकानी, जिला झालावाड़ द्वारा फरारी के दौरान दुर्घटना ग्रसित होने पर पुनः गिरफ्तार कर शेष सजा भुगताने हेतु दिनांक 25.08.2017 को केन्द्रीय कारागृह, बीकानेर में दाखिल कराया गया। बंदी 02 माह 10 दिवस खुला बंदी शिविर से फरार रहा। बंदी को अंतर्गत धारा 394 आई.पी.सी. (प्रतिबंधित धारा) में भी दण्डित किया गया है।

इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (ग) व (घ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी दुर्गालाल पुत्र नानूराम** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

84. **फकरूद्वीन उर्फ शकूर मोहम्मद पुत्र कमरूद्वीन, के.का. जयपुर :-** बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2020 तक 14 वर्ष 02 माह 03 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

पूर्व में बंदी, खुला बंदी शिविर, सांगानेर में सजा भुगत रहा था, के दौरान दिनांक बंदी के विरूद्ध एफ.आई. आर. नं. 53/2020 अंतर्गत धारा 341, 323, 326 (क) आई.पी.सी. में प्रकरण दर्ज होने पर कदाचार करने के कारण खुला बंदी शिविर, सांगानेर से जेल दाखिल किया गया था, के कारण अधीक्षक जेल द्वारा बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है साथ ही बंदी 01 अन्य प्रकरण में विचाराधीन भी है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी फकरूद्वीन उर्फ शकूर मोहम्मद पुत्र कमरूद्वीन** का खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

85. **राजकुमार पुत्र कुंवर सिंह, के.का. भरतपुर :-** बंदी ने दिनांक 31.12.2020 तक 14 वर्ष 02माह 02 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है। बंदी को निम्नांकित प्रकरणों में दण्डित किया गया है :-

1. माननीय विशिष्ट न्यायाधीश (ड.प्र.क्षे.) धौलपुर द्वारा प्रकरण संख्या 42/2006 अंतर्गत धारा 148, 302/149, 395, 396 आई.पी.सी. में दिनांक 03.06.2014 को आजीवन कारावास।
2. माननीय स्पे. जज गैंगस्टर एक्ट, आगरा (उ.प्र.) द्वारा प्रकरण संख्या 137ए/2005 अंतर्गत धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट में दिनांक 05.11.2016 को 04 वर्ष कठोर कारावास।
3. माननीय स्पे. जज गैंगस्टर एक्ट, आगरा (उ.प्र.) द्वारा प्रकरण संख्या 269ए/2007 अंतर्गत धारा 2/3 उ.प्र. गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम में दिनांक 09.11.2016 को 04 वर्ष 03 माह कठोर कारावास।
4. माननीय ए.डी.जे. संख्या 09, आगरा (उ.प्र.) द्वारा प्रकरण संख्या 86ए/2007 अंतर्गत धारा 394 आई.पी.सी. में दिनांक 31.01.2018 को 07 वर्ष कठोर कारावास।
5. माननीय ए.डी.जे. संख्या 09, आगरा (उ.प्र.) द्वारा प्रकरण संख्या 69ए/2007 अंतर्गत धारा 307, 399, 401, 147, 148 आई.पी.सी. एवं 25 आर्म्स एक्ट में दिनांक 31.01.2018 को 08 वर्ष कठोर कारावास।

बंदी को 394, 395, 396, 399 एवं 401 आई.पी.सी. (प्रतिबंधित धारा) में आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया गया है। इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (घ) व (च) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं हैं तथा बंदी 05 अन्य प्रकरणों में विचाराधीन भी है तथा बंदी द्वारा डकैती, हत्या सहित डकैती जैसा जघन्य अपराध कारित किया गया है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी राजकुमार पुत्र कुंवर सिंह** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

86. बापूलाल उर्फ पप्पू पुत्र कालू मीणा, के.का. जयपुर :- बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2020 तक 14 वर्ष 01 माह 13 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

पूर्व में बंदी, बंदी खुला शिविर, सांगानेर में सजा भुगत रहा था, के दौरान दिनांक 07.12.2018 को प्रातःकाल रोलकॉल में उपस्थित नहीं होकर खुला बंदी शिविर से फरार हो गया। बंदी के विरूद्ध पुलिस थाना सांगानेर में एफ. आई.आर. संख्या 1295/2018 अंतर्गत धारा 224 आई.पी.सी. में दर्ज करायी गई। बंदी को पुलिस थाना सांगानेर द्वारा गिरफ्तार कर दिनांक 11.12.2018 को जेल दाखिल कराया गया।

इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (ग) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं हैं, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी बापूलाल उर्फ पप्पू पुत्र कालू मीणा** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

87. विजयपाल उर्फ लवली पुत्र महेन्द्र सिंह, के.का. भरतपुर :- बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2020 तक 14 वर्ष 17 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

पूर्व में बंदी को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय खण्डपीठ, जयपुर के आदेशानुसार 30 दिवस नियमित पैरोल पर दिनांक 16.10.2017 को रिहा कर दिनांक 14.11.2017 को जेल दाखिल होने हेतु पाबंद किया गया था, किंतु बंदी नियत तिथि को जेल दाखिल नहीं होकर पैरोल से फरार हो गया, बंदी के विरूद्ध पुलिस थाना, सेवर (भरतपुर) में

एफ.आई.आर. संख्या 540/2017 दर्ज कराई गई। बंदी को गिरफ्तार कर जिला कारागृह, गुरूग्राम (हरियाणा) में दाखिल कराया गया, तत्पश्चात् दिनांक 27.09.2019 को केन्द्रीय कारागृह, भरतपुर पर दाखिल कराया गया।

उक्त के अतिरिक्त बंदी द्वारा जेल उद्योगशाला में निर्धारित कार्य नहीं करने पर अधीक्षक जेल द्वारा दिनांक 12.02.2020 को बंदी को औपचारिक चेतावनी दी गई कि वह नियमित रूप से जेल उद्योगशाला में जाकर आवंटित कार्य पूर्ण करे।

इस प्रकार बंदी राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (ग) व (छ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं हैं। अधीक्षक जेल ने बंदी का आचरण असंतोषप्रद बताते हुए उसे खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी विजयपाल उर्फ लवली पुत्र महेन्द्र सिंह** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

88. कैलाश नाथ पुत्र उँकार नाथ, के.का. कोटा :- बंदी ने दिनांक 31.12.2020 तक 14 वर्ष 11 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है। बंदी को 02 से अधिक 03 निम्न प्रकरणों में दण्डित किया गया है :-

1. माननीय विशिष्ठ न्यायाधीश एन.डी.पी.एस. एक्ट, झालावाड़ द्वारा प्रकरण संख्या 27/2009 अंतर्गत धारा 8/18 (सी) एन.डी.पी.एस. एक्ट में दिनांक 13.08.2012 को 10 वर्ष कठोर कारावास।
2. माननीय विशिष्ठ न्यायाधीश एन.डी.पी.एस. एक्ट, झालावाड़ द्वारा प्रकरण संख्या 28/2011 में अंतर्गत धारा 8/18 (सी) एन.डी.पी.सी. एक्ट में दिनांक 06.09.2013 को 10 वर्ष कठोर कारावास।
3. माननीय विशिष्ट न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रकरण, झालावाड़ द्वारा प्रकरण संख्या 107/2012 अंतर्गत धारा 302, 201 आई.पी.सी. एवं 3, 2 (V) एस.सी./एस.टी. एक्ट में दिनांक 21.07.2016 को आजीवन कारावास।

बंदी दो से अधिक तीन प्रकरणों में दण्डित है, के कारण वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (च) के साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अत: उक्त को ध्यान में रखते हुए **बंदी कैलाश नाथ पुत्र उँकार नाथ** को खुला बंदी शिविर में नहीं भेजे जाने का निर्णय लिया गया।

89. सवाई खां पुत्र फौजु खां, के.का. जयपुर :- बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2020 तक 14 वर्ष 10 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है। बंदी को निम्न प्रकरणों में दण्डित किया गया है :-

1. माननीय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश (फास्ट ट्रेक) सीकर द्वारा सेशन प्रकरण संख्या 56/2009 अंतर्गत धारा 302, 307/34, 353 आई.पी.सी. व 3/25, 27 आर्म्स एक्ट में दिनांक 30.07.2011 को आजीवन कारावास।
2. माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग, नावां शहर (नागौर) द्वारा प्रकरण संख्या 188/2010 अंतर्गत धारा 394, 342/34 आई.पी.सी. में दिनांक 27.03.2012 को 02 वर्ष साधारण कारावास।
3. माननीय अति. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, रतनगढ़ (चूरू) द्वारा सेशन प्रकरण संख्या 01/2010 अंतर्गत धारा 307/34, 353 आई.पी.सी. व 3/25, 5/27 आर्म्स एक्ट में दिनांक 20.07.2018 को 07 वर्ष साधारण कारावास।

इस प्रकार बंदी 02 से अधिक 03 प्रकरणों में दण्डित होने से राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (च) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं हैं। अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अत: उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी सवाई खां पुत्र फौजु खां** को खुला बंदो शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

90. केसर सिंह पुत्र औकार सिंह, के.का. कोटा :- बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2020 तक 13 वर्ष 11 माह 10 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी को 40 दिवस नियमित पैरोल पर दिनांक 01.11.2017 को रिहा कर दिनांक 10.12.2017 को जेल दाखिल होने हेतु पाबंद किया गया था, किंतु बंदी नियत तिथि को जेल दाखिल नहीं होकर पैरोल से फरार हो गया। बंदी के विरूद्ध पुलिस थाना, नयापुरा में एफ.आई.आर. दर्ज कराई गई। बंदी को बाद फरारी एफ.आई.आर. संख्या 552/2017 पुलिस थाना नयापुरा, कोटा अंतर्गत धारा 58 ख राज. कारा. संशोधन, 2015 में गिरफ्तार कर दिनांक 13.01.2020 को जेल दाखिल कराया गया।

इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (ग) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी केसर सिंह पुत्र औकार सिंह** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

91. **श्रीभगवान पुत्र बाबूलाल, के.का. जयपुर** :- बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2020 तक 13 वर्ष 09 माह 20 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

पूर्व में बंदी, बंदी खुला शिविर, सांगानेर से दिनांक 23.01.2020 को सायंकाल रोलकॉल में उपस्थित नहीं होकर खुला बंदी शिविर से फरार हो गया। जिसके विरूद्ध पुलिस थाना-सांगानेर, जयपुर में एफ.आई.आर. संख्या 98/2020 अंतर्गत धारा 224 आई.पी.सी. में दर्ज करायी गई। बंदी को पुलिस थाना सांगानेर, जयपुर द्वारा दिनांक 29.01.2020 को गिरफ्तार कर जेल दाखिल कराया गया।

इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (ग) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर में हेतु पात्र नहीं है। अधीक्षक जेल ने बंदी के पैरोल से फरार होने से उसे खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी श्रीभगवान पुत्र बाबूलाल** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

92. **गजाराम उर्फ गजेन्द्र पुत्र लुम्बाराम, के.का. जोधपुर** :- बंदी ने दिनांक 31.12.2020 तक 13 वर्ष 07 माह 24 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

पूर्व में बंदी को 20 दिवस नियमित पैरोल पर दिनांक 22.07.2009 को रिहा कर दिनांक 10.08.2009 को जेल दाखिल होने हेतु पाबंद किया गया था, किंतु बंदी नियत तिथि को जेल दाखिल नहीं होकर पैरोल से फरार हो गया। बंदी के विरूद्ध पुलिस थाना, रातानाड़ा, जोधपुर में एफ.आई.आर. संख्या 237/2009 दर्ज कराई गई। जिसे पुलिस द्वारा

गिरफ्तार कर दिनांक 30.06.2016 को पुन: जेल दाखिल कराया गया। बंदी 06 वर्ष 10 माह 20 दिवस पैरोल से फरार रहा है।

इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (ग) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर में हेतु पात्र नहीं है। अधीक्षक जेल ने बंदी के पैरोल से फरार होने से उसे खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है। वर्तमान में बंदी फरारी प्रकरण संख्या 76/2010 (198/2011) (जमानत पर) में विचाराधीन है।

अत: उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी गजाराम उर्फ गजेन्द्र पुत्र लुम्बाराम** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

93. राजू उर्फ रजुआ पुत्र रामफल, के.का. जयपुर :- बंदी ने दिनांक 31.12.2020 तक 13 वर्ष 07 माह 09 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी को चिकित्साधिकारी ने कार्य करने में सक्षम नहीं बताया है इसलिए बंदी के लाचार होने से राजस्थान कैदी कारावास कालीन अवकाश नियम 1972 के नियम 3 (झ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है तथा बंदी अन्य प्रकरणों में विचाराधीन भी है।

अत: उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी राजू उर्फ रजुआ पुत्र रामफल** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

94. भोदर पुत्र कलजी, के.का. उदयपुर :- बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2020 तक 13 वर्ष 05 माह 11 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

पूर्व में बंदी, खुला बंदी शिविर, भेड़ ऊन अनुसंधान केन्द्र, बीछवाल में सजा भुगत रहा था, के दौरान दिनांक 17.09.2018 को सायंकाल रोलकॉल में उपस्थित नहीं होकर खुला बंदी शिविर से फरार हो गया, बंदी के विरूद्ध पुलिस थाना बीछवाल में प्राथमिकी दर्ज करायी गई। बंदी दिनांक 19.09.2018 को खुला बंदी शिविर पर स्वयं उपस्थित हुआ, जिसे जेल दाखिल कर लिया गया।

बंदी के खुला बंदी शिविर से फरार होने पर अधीक्षक जेल ने बंदी को दिनांक 19.09.2018 को 07 दिवस परिहार जब्त करने के जेलदण्ड से दण्डित किया गया। इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (ग) व (छ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी भोदर पुत्र कलजी** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

95. **सांवलाराम पुत्र सुरजनराम, के.का. जोधपुर :-** बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2020 तक 13 वर्ष 04 माह 01 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

पूर्व में बंदी, खुला बंदी शिविर, बीछवाल में सजा भुगत रहा था, के दौरान दिनांक 29.03.2018 को कृषि अनुसंधान केन्द्र, स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीछवाल बीकानेर एवं प्रभारी बंदी खुला शिविर द्वारा प्रस्तुत शिकायत अनुसार बंदी के फार्म पर निरंतर अनुपस्थित रहना व फार्म में आवंटित कार्य करने से मना करने, फार्म के अधिकारियों से गाली-गलौच करने, जान से मारने की धमकी देने पर बंदी को जेल दाखिल कराया गया था।

अधीक्षक जेल ने उक्त घटना को ध्यान में रखते हुए बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी सांवलाराम पुत्र सुरजनराम** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

96. **गेनाराम पुत्र कानजीराम, के.का. जोधपुर :-** बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2020 तक 13 वर्ष 03 माह 13 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

पूर्व में बंदी खुला बंदी शिविर, जैसलमेर में सजा भुगत रहा था, जिसे दिनांक 02.05.2020 की रात्रि में मार्बल चोरी का अपराध कारित किया एवं बंदी के विरूद्ध एफ.आई.आर. संख्या 120/2020 दर्ज की, जिसमें गिरफ्तार कर बंदी को जेल दाखिल करवाया गया। इस प्रकार बंदी का आचरण असंतोषप्रद बताते हुए अधीक्षक जेल द्वारा बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी गेनाराम पुत्र कानजीराम** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

97. राजवीर सिंह पुत्र सरदार सिंह, के.का. अलवर :- बंदी ने दिनांक 31.12.2020 तक 13 वर्ष 02 माह 22 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

पूर्व में बंदी को 20 दिवस नियमित पैरोल पर दिनांक 22.03.2017 को रिहा कर दिनांक 10.04.2017 को जेल दाखिल होने हेतु पाबंद किया गया था, किंतु बंदी नियत तिथि को जेल दाखिल नहीं होकर पैरोल से फरार हो गया। जिसके विरूद्ध पुलिस थाना, कोतवाली अलवर में प्रकरण संख्या 331/2019 अंतर्गत धारा 224 आई.पी.सी. में दर्ज कराया गया। जिसे पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर दिनांक 29.02.2020 को पुनः जेल दाखिल कराया गया।

इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (ग) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर में हेतु पात्र नहीं है। अधीक्षक जेल ने बंदी के पैरोल से फरार होने से उसे खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है। बंदी 02 अन्य प्रकरण में विचाराधीन है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी राजवीर सिंह पुत्र सरदार सिंह** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

98. राजेन्द्र पुत्र जंगलीराम, के.का. जयपुर :- बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2020 तक 13 वर्ष 02 माह 04 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

पूर्व में बंदी, खुला बंदी शिविर, सांगानेर में सजा भुगत रहा था, के दौरान दिनांक 02.01.2018 को प्रातःकाल रोलकॉल में उपस्थित नहीं होकर खुला बंदी शिविर से फरार हो गया, बंदी के विरूद्ध पुलिस थाना सांगानेर में एफ. आई.आर.संख्या 786/2018 अंतर्गत धारा 224 आई.पी.सी. दर्ज करायी गई। बंदी को पुलिस थाना सांगानेर द्वारा दिनांक 05.01.2018 को गिरफ्तार कर जेल दाखिल कराया गया।

उक्त के अतिरिक्त बंदी दिनांक 24.01.2018 से दिनांक 16.07.2018 तक, दिनांक 02.11.2018 से दिनांक 31.12.2018 तक एवं जनवरी 2019 से मार्च 2020 तक निरंतर जेल उद्योगशाला से स्वेच्छा से अनुपस्थित रहा है, के कारण वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (ग) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) (ख)

के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं है। अधीक्षक जेल ने बंदी का आचरण असंतोषप्रद बताते हुए उसे खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी राजेन्द्र पुत्र जंगलीराम** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

99. इन्द्र सिंह पुत्र प्रयाग सिंह, के.का. जोधपुर :- बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2020 तक 13 वर्ष 01 माह की सजा मय परिहार के भुगती है।

पूर्व में बंदी, खुला बंदी शिविर, जैसलमेर पर सजा भुगत रहा था, के दौरान दिनांक 12.06.2020 को खुला बंदी शिविर में नियमों की पालना नहीं करने एवं कदाचार करने के कारण जेल दाखिल किया गया था।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा **बंदी इन्द्र सिंह पुत्र प्रयाग सिंह** को खुला बंदी शिविर में नहीं भेजे जाने का निर्णय लिया गया।

100. भैरू सिंह पुत्र रमसल्ली, वि.के.का. श्यालावास (दौसा) :- बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2020 तक 13 वर्ष 03 दिव्स की सजा मय परिहार के भुगती है।

पूर्व में बंदी दिनांक 25.09.2010 को गार्ड कस्टडी के दौरान फरार हो गया था, जिसे दिनांक 18.06.2013 को गिरफ्तार कर जेल दाखिल कराया गया था इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (ग) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं है।

अतः उक्त को ध्यान मे रखते हुये **बंदी भैरूसिंह पुत्र रमसल्ली को** खुला बंदी शिविर में नहीं भेजे जाने का निर्पय लिया गया।

101. हररूप पुत्र टीकम, के.का. भरतपुर :- बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2020 तक 12 वर्ष 11 माह 28 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी द्वारा माह जुलाई 2019 से अगस्त 2019 एवं अक्टूबर 2019 से नवम्बर 2019 तक जेल उद्योगशाला में निर्धारित कार्य नहीं करने पर अधीक्षक जेल द्वारा दिनांक 12.02.2020 को बंदी को औपचारिक चेतावनी दी गई कि

वह नियमित रूप से जेल उद्योगशाला में जाकर आवंटित कार्य पूर्ण करे। इस प्रकार बंदी राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (छ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं हैं। अधीक्षक जेल ने बंदी का आचरण असंतोषप्रद बताते हुए उसे खुला शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अत: उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी हररूप पुत्र टीकम** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

102. बिशन सिंह पुत्र सवाई सिंह, के.का. जयपुर :- बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2020 तक 12 वर्ष 11 माह 26 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

पूर्व में बंदी, खुला बंदी शिविर, सांगानेर पर सजा भुगत रहा था, के दौरान दिनांक 10.10.2018 को खुला बंदी शिविर में नियमों की पालना नहीं करने एवं कदाचार करने के कारण जेल दाखिल किया गया था।

अत: उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा **बंदी बिशन सिंह पुत्र सवाई सिंह** को खुला बंदी शिविर में नहीं भेजे जाने का निर्णय लिया गया।

103. हेमराज पुत्र बापूलाल, के.का. जयपुर :- बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2020 तक 12 वर्ष 10 माह 23 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

पूर्व में बंदी, खुला बंदी शिविर, सांगानेर में सजा भुगत रहा था, के दौरान दिनांक 02.01.2020 को सांय:काल रोलकॉल में उपस्थित नहीं होकर खुला बंदी शिविर से फरार हो गया, बंदी के विरूद्ध पुलिस थाना सांगानेर में एफ. आई.आर.संख्या 08/2020 अंतर्गत धारा 224 आई.पी.सी. दर्ज करायी गई। बंदी को पुलिस थाना सांगानेर द्वारा दिनांक 05.02.2020 को गिरफ्तार कर जेल दाखिल कराया गया।

इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (ग) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं है। अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अत: उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी हेमराज पुत्र बापूलाल** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

104. कैलाश पुत्र मोहन राम, के.का. अजमेर :- बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2020 तक 12 वर्ष 09 माह 23 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है। बंदी को निम्नांकित प्रकरणों में दण्डित किया गया है :-

1. माननीय अपर सैशन न्यायाधीश डीडवाना (नागौर) द्वारा प्रकरण संख्या 19/2009 अंतर्गत धारा 376 (2) (एफ), 363 आई.पी.सी. में दिनांक 15.06.2011 को आजीवन कारावास। (प्रभावी दिनांक 26.07.2011)
2. माननीय अपर सैशन न्यायाधीश, सुजानगढ़ चूरू द्वारा प्रकरण संख्या 11/11 अंतर्गत धारा 363, 324 आई.पी.सी. में दिनांक 03.12.2012 को 05 वर्ष कठोर कारावास।
3. माननीय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, डीडवाना नागौर द्वारा प्रकरण संख्या 308/11 अंतर्गत धारा 224 आई. पी.सी. एवं लोक सम्पत्ति को नुकसान का निवारण अधिनियम 1983 की धारा 03 में दिनांक 08.06.2015 को 02 वर्ष कठोर कारावास।

उक्त के अतिरिक्त बंदी को अंतर्गत धारा 376 (2) (एफ) आई.पी.सी. में (प्रतिबंधित धारा) आजीवन कारावास से दण्डित किया गया है एवं दिनांक 15.06.2011 की मध्यरात्रि करीब 1.30 ए.एम. पर जेल के सरिये काटकर फरार हो गया था। जिसे दिनांक 26.07.2011 को जेल दाखिल कराया गया। इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (ग) (घ) एवं (च) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है। सजावधि के दौरान बंदी द्वारा नियमित/आपात पैरोल का उपभोग नहीं किया गया है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी कैलाश पुत्र मोहन राम** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

105. अजीत पुत्र शिवलाल, के.का. बीकानेर :- बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2020 तक 12 वर्ष 09 माह 07 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है। बंदी को दो से अधिक निम्नांकित 10 प्रकरणों में दण्डित किया गया है:-

1. माननीय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नोहर द्वारा प्रकरण संख्या 274/2001 अंतर्गत धारा 3/25 (1-बी) आर्म्स एक्ट में दिनांक 09.05.2002 को 02 वर्ष कठोर कारावास।

2. माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम वर्ग, भिवानी (हरियाणा) द्वारा एफ.आई.आर. संख्या 217/2000 अंतर्गत धारा 457, 380 आई.पी.सी. में दिनांक 09.07.2002 को 01 वर्ष कठोर कारावास।

3. माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम वर्ग, हिसार (हरियाणा) द्वारा एफ.आई.आर. संख्या 656/2001 अंतर्गत धारा 323, 506 आई.पी.सी. में दिनांक 26.07.2002 को 06माह कठोर कारावास।

4. माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम वर्ग, हिसार (हरियाणा) द्वारा एफ.आई.आर. संख्या 96/2002 अंतर्गत धारा 323, 506 आई.पी.सी. में दिनांक 07.08.2002 को भुगती सजा से दण्डित।

5. माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम वर्ग, हिसार (हरियाणा) द्वारा एफ.आई.आर. संख्या 750/2001 अंतर्गत धारा 323, 506, 34 आई.पी.सी. में दिनांक 12.08.2002 को भुगती सजा से दण्डित।

6. माननीय अपर सैशन न्यायाधीश, भिवानी (हरियाणा) द्वारा एफ.आई.आर. संख्या 127/2001 अंतर्गत धारा 392, 397, 34 आई.पी.सी. में दिनांक 14.08.2002 को 07 वर्ष कठोर कारावास।

7. माननीय अपर सैशन न्यायाधीश, (फास्ट ट्रेक) भिवानी (हरियाणा) द्वारा एफ.आई.आर. संख्या 178/2001 अंतर्गत धारा 392, 397 आई.पी.सी. में दिनांक 09.09.2002 को 07 वर्ष कठोर कारावास।

8. माननीय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नोहर द्वारा एफ.आई.आर. संख्या 76/2001 अंतर्गत धारा 395 आई.पी.सी. में दिनांक 07.03.2013 (प्रभावी दिनांक 31.05.2005) को आजीवन कारावास।

9. माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम वर्ग, हिसार (हरियाणा) द्वारा एफ.आई.आर. संख्या 768/2000 अंतर्गत धारा 379, 468, 471, 420 आई.पी.सी. में दिनांक 13.05.2009 को भुगती सजा से दण्डित।

10. माननीय अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, हिसार (हरियाणा) द्वारा एफ.आई.आर. संख्या 401/2006 अंतर्गत धारा 329 आई.पी.सी. में दिनांक 08.05.2007 को भुगती सजा से दण्डित।

उक्त के अतिरिक्त बंदी को अंतर्गत धारा 395 आई.पी.सी. में (प्रतिबंधित धारा) आजीवन कारावास से दण्डित किया गया है तथा बंदी मनोरोगी भी है। इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (घ)

(च) व (झ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी अजीत पुत्र शिवलाल** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

106. हनीफ खां पुत्र गारू खां, के.का. बीकानेर :- बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2020 तक 12 वर्ष 08 माह 08 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी को प्रतिबंधित धारा 376 (2) (जी) आई.पी.सी. में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित किया गया है, जिसकी मूल सजा समाप्त हो चुकी है।

बंदी को 40 दिवस तृतीय नियमित पैरोल पर दिनांक 12.05.2018 को रिहा कर दिनांक 20.06.2018 को जेल दाखिल होने हेतु पाबंद किया गया था, किंतु बंदी नियत तिथि को जेल दाखिल नहीं होकर पैरोल से फरार हो गया। बंदी के विरूद्ध पुलिस थाना बीछवाल में एफ.आई.आर. संख्या 151/2018 दर्ज करवाई गई। पुलिस थाना बीछवाल द्वारा गिरफ्तार कर बंदी को दिनांक 27.06.2018 को जेल दाखिल कराया गया। इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (ग) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी हनीफ खां पुत्र गारू खां** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

107. कैलाश पुत्र हीरालाल, के.का. अजमेर :- बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2020 तक 12 वर्ष 08 माह 06 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है। बंदी को निम्नांकित प्रकरणों में दण्डित किया गया है :-

1. माननीय सिविल न्यायाधीश (क'ख) एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग, पुष्कर द्वारा प्रकरण संख्या 525/2009 अंतर्गत धारा 379 आई.पी.सी. में दिनांक 12.11.2009 को 03 वर्ष साधारण कारावास।
2. माननीय सिविल न्यायाधीश (व.ख.) व अतिरिक्त मुख्य न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, किशनगढ़ द्वारा प्रकरण संख्या 525/2009 अंतर्गत धारा 379 आई.पी.सी. में दिनांक 26.11.2009 को 05 वर्ष कठोर कारावास।

3. माननीय सिविल न्यायाधीश (व.ख.) एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, किशनगढ़ द्वारा प्रकरण संख्या 570/2009 अंतर्गत धारा 379 आई.पी.सी. में दिनांक 28.01.2010 को 05 वर्ष कठोर कारावास।

4. माननीय सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, पुष्कर द्वारा प्रकरण संख्या 548/2009 अंतर्गत धारा 379 आई. पी.सी. में दिनांक 05.02.2010 को 03 वर्ष साधारण कारावास।

5. माननीय सिविल न्यायाधीश (क'ख) एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग, पुष्कर द्वारा प्रकरण संख्या 514/2009 अंतर्गत धारा 379 आई.पी.सी. में दिनांक 09.04.2010 को 03 वर्ष साधारण कारावास।

6. माननीय सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, पुष्कर द्वारा प्रकरण संख्या 547/2009 अंतर्गत धारा 379 आई. पी.सी. में 03 वर्ष कठोर कारावास।

बंदी को 02 से अधिक 06 प्रकरणों में दण्डित किया गया है।

इस प्रकार बंदी, राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (च) के तहत साधारणतया तथा नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर में भेजे जाने हेतु पात्र नहीं हैं तथा अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अत: उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी कैलाश पुत्र हीरालाल** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

108. पिन्टू उर्फ दिलीप पुत्र ताराचंद, के.का. भरतपुर :- बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2020 तक 12 वर्ष 08 माह 04 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है। बंदी को दो से अधिक निम्नांकित 04 प्रकरणों में दण्डित किया गया है:-

1. माननीय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या 03, भरतपुर द्वारा सेशन प्रकरण संख्या 38/2012 अंतर्गत धारा 302 आई.पी.सी में दिनांक 20.12.2013 को आजीवन कारावास।

2. माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम वर्ग, रूपवास (भरतपुर) द्वारा प्रकरण संख्या 961/2011 अंतर्गत धारा 379 आई. पी.सी. में दिनांक 18.09.2014 को 03 वर्ष कठोर कारावास।

3. माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम वर्ग, रूपवास (भरतपुर) द्वारा प्रकरण संख्या 964/2011 अंतर्गत धारा 379 आई. पी.सी. व 3 पीडीपीपी एक्ट में दिनांक 18.09.2014 को 03 वर्ष कठोर कारावास।

4. माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम वर्ग, रूपवास (भरतपुर) द्वारा प्रकरण संख्या 281/2006 अंतर्गत धारा 379 आई. पी.सी. व 3 पीडीपीपी एक्ट में दिनांक 18.09.2014 को 03 वर्ष कारावास।

पूर्व में बंदी, खुला बंदी शिविर, भरतपुर से दिनांक 08.07.2019 को सायंकाल रोलकॉल में उपस्थित नहीं होकर खुला बंदी शिविर से फरार हो गया, बंदी के विरूद्ध पुलिस थाना, सेवर में एफ.आई.आर. संख्या 411/2019 दर्ज कराई गई। बंदी को दिनांक 28.07.2019 को गिरफ्तार कर जेल दाखिल कराया गया।

इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (ग) व (च) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी पिन्टू उर्फ दिलीप पुत्र ताराचंद** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

109. दुल्हा सिंह उर्फ निर्मल सिंह पुत्र गुरनाम सिंह, के.का. बीकानेर :- बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2020 तक 12 वर्ष 06 माह 28 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है। बंदी को निम्नांकित 04 प्रकरणों में दण्डित किया गया है :-

1. माननीय अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश, संख्या 02 श्रीगंगानगर द्वारा प्रकरण संख्या 49/2009 अंतर्गत धारा 302/34, 307/34, 324/34, 326/34, 341 आई.पी.सी. में दिनांक 16.09.2013 को आजीवन कारावास।
2. माननीय ए.एस.जे. मुक्तसर साहिब द्वारा प्रकरण संख्या 117/2008 अंतर्गत धारा 307, 392, 324, 186, 353, 332, 427, 341 आई.पी.सी. में दिनांक 23.04.2014 को 05 वर्ष कठोर कारावास।
3. माननीय अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं जे.एम. संख्या 01, श्रीगंगानगर द्वारा प्रकरण संख्या 87ए/2000 अंतर्गत धारा 457, 380 आई.पी.सी. में दिनांक 29.04.2015 को 02 वर्ष साधारण कारावास।

इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (च) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं है तथा बंदी माननीय अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश, श्रीगंगानगर के एफ.आई.आर. संख्या 72/2008 अंतर्गत धारा 302, 341, 323/34 आई.पी.सी. में विचाराधीन भी है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अत: उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी दुल्हा सिंह उर्फ निर्मल सिंह पुत्र गुरनाम सिंह** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

110. श्रीकृष्ण उर्फ बबलू पुत्र करणीराम, के.का. बीकानेर :- बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2020 तक 12 वर्ष 06 माह 21 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

पूर्व में बंदी को पूर्व में विचाराधीन अवधि में माननीय न्यायालय के आदेशानुसार दिनांक 22.03.2010 से दिनांक 01.04.2010 तक अंतरिम जमानत पर रिहा किया गया था, किंतु बंदी नियत तिथि को जेल दाखिल नहीं होकर अंतरिम जमानत से फरार हो गया। बंदी को दिनांक 07.06.2010 को पुन: जिला कारागृह, चूरू में दाखिल कराया गया।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के आदेशों की पालना में दिनांक 06.12.2014 को 30 दिवस नियमित पैरोल पर रिहा कर दिनांक 04.01.2015 को जेल दाखिल होने हेतु पाबंद किया गया था, किंतु बंदी नियत तिथि को जेल दाखिल नहीं होकर पैरोल से फरार हो गया। बंदी के विरूद्ध पुलिस थाना बीछवाल में एफ.आई.आर. संख्या 151/2015 दर्ज करवाई गई। बंदी को पुलिस थाना सरदारशहर चूरू द्वारा एफ.आई.आर. संख्या 456/2018 में गिरफ्तार कर दिनांक 22.10.2018 को जिला कारागृह, चूरू में दाखिल कराया गया। बंदी 03 वर्ष 09 माह 18 दिवस पैरोल से फरार रहा है।

इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (ग) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर में भेजे जाने हेतु पात्र नहीं हैं, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी श्रीकृष्ण उर्फ बबलू पुत्र करणीराम** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

111. **विजय सिंह पुत्र हल्के उर्फ रामचरण, के.का. भरतपुर :-** बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2020 तक 12 वर्ष 06 माह 11 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है। बंदी को 02 से अधिक 03 निम्न प्रकरणों में दण्डित किया गया है:-

1. माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, करौली द्वारा प्रकरण संख्या 118/2001 अंतर्गत धारा 148, 302/149 आई. पी.सी. में दिनांक 10.07.2002 को आजीवन कारावास।
2. माननीय अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बाड़ी द्वारा प्रकरण संख्या 629/2001 अंतर्गत धारा 323, 387 आई.पी.सी. में दिनांक 09.10.2003 को 01 माह साधारण कारावास।
3. माननीय अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, करौली द्वारा प्रकरण संख्या 1061/2017 अंतर्गत धारा 224 आई.पी.सी. में दिनांक 28.03.2019 को 01 वर्ष साधारण कारावास।

बंदी को 15 दिवस आपात पैरोल पर दिनांक 26.04.2007 को रिहा कर दिनांक 10.05.2007 को जेल दाखिल होने हेतु पाबंद किया गया था, किंतु बंदी नियत तिथि को जेल दाखिल नहीं होकर पैरोल से फरार हो गया। जिसे दिनांक 15.08.2016 को गिरफ्तार कर जेल दाखिल कराया गया। बंदी 09 वर्ष 03 माह 05 दिवस पैरोल से फरार रहा है।

इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (ग) व (च) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं है। बंदी 05 अन्य प्रकरणों में विचाराधीन भी है।

अतः बंदी द्वारा जेल नियमों की पालना न कर पैरोल से फरार होने व अपराधिक संलिप्तता को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी विजय सिंह पुत्र हल्के उर्फ रामचरण** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

112. **अजीत पुत्र रामकुमार, के.का. बीकानेर :-** बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2020 तक 12 वर्ष 06 माह 07 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

पूर्व में बंदी को 20 दिवस प्रथम नियमित पैरोल पर दिनांक 08.01.2015 को रिहा कर दिनांक 27.01.2015 को जेल दाखिल होने हेतु पाबंद किया गया था, किंतु बंदी नियत तिथि को जेल दाखिल नहीं हुआ और पैरोल से फरार हो गया। बंदी के विरूद्ध पुलिस थाना, बीछवाल में एफ.आई.आर. संख्या 110/15 अंतर्गत धारा 11 (2) ख राजस्थान बंदी अधिनियम 1960 में दर्ज कराई गई। बाद फरारी के अन्य प्रकरण संख्या 421/15 में पुलिस थाना, द्वारका में गिरफ्तार होकर दिनांक 23.06.2015 को तिहाड़ जेल, नई दिल्ली में दाखिल हुआ।

बंदी द्वारा दिनांक 23.09.2020 को पुराने सुरक्षा वार्ड के प्रहरी श्री भंवरलाल बेल्ट नं. 3819 के साथ हाथापाई व बाहर देख लेने की धमकी देने के फलस्वरूप अधीक्षक जेल द्वारा दिनांक 25.09.2020 को बंदी का 15 दिवस परिहार जब्त कर जेलदण्ड से दण्डित किया गया।

इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (ग) व (छ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी का आचरण असंतोषप्रद बताते हुए उसे खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

उक्त के अतिरिक्त बंदी माननीय सैशन न्यायाधीश, चूरू के एफ.आई.आर. संख्या 42/2015 अंतर्गत धारा 395, 365 आई.पी.सी. एवं माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट, रावतसर जिला हनुमानगढ़ के एफ.आई.आर. संख्या 483/2018 अंतर्गत धारा 302, 307, 109, 120बी आई.पी.सी. व 27 आर्म्स एक्ट में विचाराधीन भी है।

अतः बंदी के कारागृह आचरण एवं आपराधिक संलिप्तता को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी अजीत कुमार पुत्र रामकुमार** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

113. सुरेश पुत्र गंगाराम, के.का. उदयपुर :- बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2020 तक 12 वर्ष 05 माह 15 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

पूर्व में बंदी, खुला बंदी शिविर, बीछवाल में सजा भुगत रहा था, के दौरान दिनांक 25.01.2019 को सायंकाल रोलकॉल में उपस्थित नहीं हुआ और खुला बंदी शिविर से फरार हो गया, बंदी के विरूद्ध पुलिस थाना बीछवाल में एफ.आई.आर. संख्या 37/2019 दर्ज करवायी गई। थानाधिकारी, पुलिस थाना-बीछवाल द्वारा दिनांक 15.03.2019 को

बंदी को गिरफ्तार कर माननीय ए.सी.जे.एम. (पी.सी.पी.एन.डी.टी. एक्ट केसेज) बीकानेर के समक्ष पेश कर बंदी को जेल दाखिल करवाया गया। बंदी को फरारी प्रकरण में दी गई सजा सैटऑफ में समाप्त हो चुकी है।

इस प्रकार बंदी के खुला बंदी शिविर नियमों का उल्लंघन करने पर दिनांक 18.03.2019 को 07 दिवस परिहार जब्त करने के जेलदण्ड से दण्डित किया गया।

उक्त के अतिरिक्त जेल उद्योगशाला से निरंतर अनुपस्थित रहने पर अधीक्षक जेल द्वारा बंदी को दिनांक 24.08.2020 को औपचारिक चेतावनी के दण्ड से दण्डित किया गया।

इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (ग) व (छ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) व (ख) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी का आचरण असंतोषप्रद बताते हुए उसे खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अतः उक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी सुरेश पुत्र गंगाराम** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

114. देवा पुत्र भीमा, के.का. उदयपुर :- बंदी ने दिनांक 31.12.2020 तक 12 वर्ष 04 माह 14 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

पूर्व में बंदी को दिनांक 29.05.2009 को 30 दिवस नियमित पैरोल पर रिहा कर दिनांक 27.06.2009 को जेल दाखिल होने हेतु पाबंद किया गया था, किंतु बंदी नियत तिथि को जेल दाखिल नहीं होकर पैरोल से फरार हो गया। थानाधिकारी, पुलिस थाना सलूम्बर जिला उदयपुर द्वारा बंदी को गिरफ्तार कर दिनांक 27.08.2018 को जेल दाखिल कराया गया है। बंदी 09 वर्ष 02 माह पैरोल से फरार रहा है।

इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (ग) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी देवा पुत्र भीमा** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

115. जगदीश पुत्र धर्मपाल, के.का. बीकानेर :- बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2020 तक 12 वर्ष 04 माह 03 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है। बंदी को निम्न प्रकरणों में दण्डित किया गया हैं :-

1. माननीय अपर सेशन न्यायाधीश संख्या 01, सीकर द्वारा सेशन प्रकरण संख्या 48/2015 अंतर्गत धारा 302/34, 397/34 आई.पी.सी. में दिनांक 01.06.2017 को आजीवन कारावास।
2. माननीय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, गंगापुर सिटी द्वारा प्रकरण संख्या 457/2008 अंतर्गत धारा 411 आई.पी.सी. में दिनांक 01.08.2015 (अपील वारण्ट प्राप्त 21.11.2017) को 02 वर्ष साधारण कारावास।
3. माननीय विशिष्ट अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (पीसीपीएनडीटी एक्ट) बीकानेर द्वारा प्रकरण संख्या 195/2018 अंतर्गत धारा 42 कारागार अधिनियम में दिनांक 25.11.2019 को 03 वर्ष साधारण कारावास।

बंदी के 02 से अधिक 03 प्रकरणों में दण्डित होने से वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (च) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अतः उक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी जगदीश पुत्र धर्मपाल** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

116. शक्तिसिंह पुत्र हिम्मतसिंह, के.का. उदयपुर :- बंदी ने दिनांक 31.12.2020 तक 12 वर्ष 03 माह 04 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

पूर्व में बंदी को दिनांक 12.07.2006 को 30 दिवस नियमित पैरोल पर रिहा कर दिनांक 10.08.2006 को जेल दाखिल होने हेतु पाबंद किया गया था, किंतु बंदी नियत तिथि को जेल दाखिल नहीं होकर पैरोल से फरार हो गया। जिसे पुलिस थाना राजनगर, जिला राजसमंद द्वारा गिरफ्तार कर दिनांक 16.02.2017 को जेल दाखिल कराया गया। बंदी 10 वर्ष 06 माह 06 दिवस पैरोल से फरार रहा है।

इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (ग) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी शक्तिसिंह पुत्र हिम्मतसिंह** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

117. प्रकाश पुत्र कानाराम, के.का. बीकानेर :- बंदी ने दिनांक 31.12.2020 तक 12 वर्ष 03 माह 01 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

पूर्व में बंदी को दिनांक 29.03.2019 को 30 दिवस नियमित पैरोल पर रिहा कर दिनांक 27.04.2019 को जेल दाखिल होने हेतु पाबंद किया गया था, किंतु बंदी नियत तिथि को जेल दाखिल नहीं होकर पैरोल से फरार हो गया। बंदी के विरूद्ध पुलिस थाना, बीछवाल में एफ.आई.आर. संख्या 114/2019 अंतर्गत धारा 11 (2) (ख) राजस्थान कारागार अधिनियम, 2015 में दर्ज कराई गई। थानाधिकारी, पुलिस थाना बीछवाल (बीकानेर) द्वारा बंदी को गिरफ्तार कर दिनांक 03.05.2019 को जेल दाखिल कराया गया है। बंदी के पैरोल से नियत समय पर जेल दाखिल नहीं होने व पैरोल से फरार होने के फलस्वरूप अधीक्षक जेल द्वारा दिनांक 03.05.2019 को बंदी का 07 दिवस अर्जित परिहार जब्त कर जेलदण्ड से दण्डित किया गया।

इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (ग) व (छ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी प्रकाश पुत्र कानाराम** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

118. श्रीकान्त पुत्र बालचंद उर्फ वेलचंद, के.का. जोधपुर :- बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2020 तक 12 वर्ष 02 माह 14 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

पूर्व में बंदी, खुला बंदी शिविर, बीछवाल में सजा भुगत रहा था, के दौरान दिनांक 02.07.2019 को प्रात:काल रोलकॉल में उपस्थित नहीं होकर खुला बंदी शिविर से फरार हो गया। बंदी के विरूद्ध पुलिस थाना, बीछवाल में एफ.आई.आर. संख्या 165/2019 दर्ज कराई गई। थानाधिकारी, पुलिस थाना, बीछवाल द्वारा गिरफ्तार कर माननीय ए.सी.जे.एम. (पीसीपीएनडीटी) बीकानेर के समक्ष उपस्थित करने पर बंदी को दिनांक 05.07.2019 को जेल दाखिल कराया गया। बंदी दिनांक 02.07.2019 से 04.07.2019 तक कुल 03 दिवस फरार रहा है। वर्तमान में बंदी फरारी प्रकरण में विचाराधीन है।

इस प्रकार बंदी राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (ग) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं है। अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अत: उक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी श्रीकान्त पुत्र बालंचद उर्फ वेलचंद** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

119. शिवकुमार उर्फ शिब्बो पुत्र रणधीर सिंह, के.का. भरतपुर :- बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2020 तक 12 वर्ष 02 माह 11 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

पूर्व में बंदी, खुला बंदी शिविर, जैतसर में सजा भुगत रहा था, के दौरान दिनांक 09.04.2015 को प्रात:काल रोलकॉल में उपस्थित नहीं होकर खुला बंदी शिविर से फरार हो गया। बंदी के विरूद्ध पुलिस थाना, जैतसर (श्रीगंगानगर) में एफ.आई.आर. संख्या 83/2015 दर्ज कराई गई। बंदी को गिरफ्तार कर दिनांक 01.09.2019 को जेल दाखिल कराया गया।

इस प्रकार बंदी राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (ग) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं है। अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अत: उक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी शिवकुमार उर्फ शिब्बो पुत्र रणधीर सिंह** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

120. **प्रेमसिंह पुत्र दौलत सिंह, के.का. जोधपुर :-** बंदी ने दिनांक 31.12.2020 तक 12 वर्ष 01 माह 29 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

पूर्व में बंदी को 40 दिवस तृतीय नियमित पैरोल पर दिनांक 07.04.2018 को रिहा कर दिनांक 16.05.2018 को जेल दाखिल होने हेतु पाबंद किया गया था, किंतु बंदी नियत तिथि को जेल दाखिल नहीं होकर पैरोल से फरार हो गया। बंदी को बाद फरारी माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ, जोधपुर की अपील संख्या 745/2013 प्रेमसिंह बनाम राज्य सरकार में दिनांक 06.03.2019 को जेल दाखिल कराया गया। बंदी की फरारी प्रकरण की सजा समाप्त हो चुकी है।

इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (ग) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी प्रेमसिंह पुत्र दौलत सिंह** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

121. **नारायण पुत्र लालूराम, के.का. उदयपुर :-** बंदी ने दिनांक 31.12.2020 तक 12 वर्ष 01 माह 02 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

अधीक्षक जेल द्वारा बंदी के अंतरिम जमानत से फरार होना बताया गया है। इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (ग) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी का कारागृह में आचरण असंतोषप्रद बताते हुए उसे खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी नारायण पुत्र लालूराम** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

122. **कालू उर्फ यशवंत पुत्र तेजमल, के.का. बीकानेर :-** बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2020 तक 12 वर्ष 27 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है। बंदी को निम्न प्रकरणों में दण्डित किया गया हैं :-

1. माननीय अपर सेशन न्यायाधीश फास्ट ट्रेक संख्या 01, झालावाड़ द्वारा सेशन प्रकरण संख्या 17/2005 अंतर्गत धारा 341, 302 आई.पी.सी. व 4/25 आर्म्स एक्ट में दिनांक 02.05.2005 को आजीवन कारावास।
2. माननीय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, भवानीमण्डी द्वारा प्रकरण संख्या 14/2001 अंतर्गत धारा 325, 323 आई. पी.सी. में दिनांक 22.07.2005 को 06 माह साधारण कारावास।
3. माननीय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, भवानीमण्डी द्वारा प्रकरण संख्या 367/2003 अंतर्गत धारा 4/25 आर्म्स एक्ट में दिनांक 22.07.2005 को 01 वर्ष साधारण कारावास।
4. माननीय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, भवानीमण्डी द्वारा प्रकरण संख्या 08/2002 अंतर्गत धारा 457, 380 आई. पी.सी. में दिनांक 10.01.2006 को 01 वर्ष कठोर कारावास।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय खण्डपीठ, जयपुर के आदेशानुसार 20 दिवस नियमित पैरोल पर दिनांक 15.04.2015 को रिहा कर दिनांक 04.05.2015 को जेल दाखिल होने हेतु पाबंद किया गया था, किंतु बंदी नियत तिथि को जेल दाखिल नहीं होकर पैरोल से फरार हो गया, बंदी के विरूद्ध पुलिस थाना बीछवाल में एफ.आई.आर. संख्या 111/2015 दर्ज करायी गई।

प्रभाराधिकारी, उप कारागृह, भवानीमण्डी के पत्र दस्ती दिनांक 17.10.2020 के अनुसार बंदी को पुलिस थाना भवानीमण्डी द्वारा प्रकरण संख्या 81/2020 अंतर्गत धारा 3/25 आर्म्स एक्ट में दिनांक 27.02.2020 को उप कारागृह, भवानीमण्डी में दाखिल कराया गया। जिसे दिनांक 17.10.2020 को जेल बीकानेर में दाखिल किया गया। अधीक्षक जेल द्वारा बंदी को पैरोल से फरार होने के कारण दिनांक 12.11.2020 को बंदी का 07 दिवस परिहार जब्त करने के जेलदण्ड से दण्डित किया गया।

इस प्रकार बंदी के पैरोल से फरार होने, जेलदण्ड से दण्डित होने व 02 से अधिक 04 प्रकरणों में दण्डित होने के कारण वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (ग) (च) व (घ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

उक्त के अतिरिक्त बंदी माननीय विशिष्ठ अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पी.सी.पी.एन.डी.टी. एक्ट बीकानेर के प्रकरण संख्या 111/2015 पुलिस थाना बीछवाल अंतर्गत धारा 11 (2) ख राजस्थान बंदी अधिनियम 1960 एवं माननीय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, भवानीमण्डी के प्रकरण संख्या 81/2020 पुलिस थाना भवानीमण्डी अंतर्गत धारा 3/25 आर्म्स एक्ट में विचाराधीन भी है।

अतः उक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी कालू उर्फ यशवंत पुत्र तेजमल** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

123. रघुवीर पुत्र हरिराम, के.का. कोटा :- बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2020 तक 12 वर्ष 18 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

पूर्व में बंदी, खुला बंदी शिविर, कोटा में सजा भुगत रहा था, के दौरान दिनांक 11.12.2020 को सायंकाल रोलकॉल में उपस्थित नहीं हुआ, बंदी के विरूद्ध पुलिस थाना, नयापुरा में एफ.आई.आर. दर्ज करवाते समय बंदी स्वयं पुलिस थाना नयापुरा कोटा पर उपस्थित हो गया, जिसकी रिपोर्ट रोजनामचा आम में दर्ज कर बंदी को सुपुर्द कर दिया गया। इस प्रकार बंदी को खुला बंदी शिविर नियमों का उल्लंघन करने पर जेल दाखिल कराया गया।

इस प्रकार बंदी राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (ग) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं है। अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की अनुशंसा नहीं की है।

अतः उक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी रघुवीर पुत्र हरिराम** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

124. सुनील पुत्र घासीराम, के.का. बीकानेर :- बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2020 तक 12 वर्ष 14 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

पूर्व में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ, जयपुर के आदेशों की पालना में दिनांक 03.05.2011 को 20 दिवस सामान्य पैरोल पर रिहा कर दिनांक 22.05.2011 को जेल दाखिल होने हेतु पाबंद किया गया था, किंतु बंदी

नियत तिथि को जेल दाखिल नहीं होकर पैरोल से फरार हो गया। बंदी को बाद फरारी पुलिस थाना बीछवाल द्वारा गिरफ्तार कर श्रीमान् विशिष्ठ अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (पी.सी.पी.एन.डी.टी.एक्ट) बीकानेर के प्रकरण संख्या 151/2015 पुलिस थाना बीछवाल द्वारा अंतर्गत धारा 11 (2) ख राजस्थान बंदी अधिनियम में जे.सी. वारंट सहित दिनांक 16.08.2017 को जेल दाखिल कराया गया। बंदी 06 वर्ष 02 माह 25 दिवस पैरोल से फरार रहा है।

इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (ग) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी सुनील पुत्र घासीराम** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

125. कोमल सिंह पुत्र राम सिंह, के.का. बीकानेर :- बंदी ने दिनांक 31.12.2020 तक 12 वर्ष 03 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

पूर्व में बंदी, खुला बंदी शिविर, जैतसर में सजा भुगत रहा था, के दौरान दिनांक 29.10.2019 को अन्य बंदी सुखदेव सिंह उर्फ सुखा पुत्र दलीप के साथ शराब पीकर लड़ाई-झगड़ा किये जाने से बंदी सुखदेव के पैर व पीठ पर चोटें आई, जिससे बंदी की दिनांक 29.10.2019 को कदाचार के कारण जेल दाखिल किया गया तथा बंदी सुखदेव की मृत्यु हो गई। बंदी के विरूद्ध पुलिस थाना, जैतसर में एफ.आई.आर. संख्या 343/2019 अंतर्गत धारा 302 आई.पी.सी. में दर्ज कराई गई। अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है। वर्तमान में बंदी उक्त हत्या के प्रकरण में विचाराधीन है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी कोमल सिंह पुत्र राम सिंह** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

126. राजू उर्फ राजाराम पुत्र वरदाराम, के.का. जोधपुर :- बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2020 तक 11 वर्ष 11 माह 16 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

पूर्व में बंदी खुला बंदी शिविर, बीछवाल में सजा भुगत रहा था, के दौरान दिनांक 17.01.2019 को सांयकाल रोलकॉल में उपस्थित नहीं होकर खुला बंदी शिविर से फरार हो गया। बंदी के विरूद्ध पुलिस थाना, बीछवाल में एफ.आई.आर. संख्या 33/2019 अंतर्गत धारा 224 आई.पी.सी. दर्ज कराई गई। बंदी को पुलिस थाना, बीछवाल द्वारा गिरफ्तार कर ए.सी.जे.एम. (पीसीपीएनडीटी एक्ट) बीकानेर के समक्ष प्रस्तुत करने पर दिनांक 01.06.2019 को जेल दाखिल कराया गया।

इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (ग) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी राजू उर्फ राजाराम पुत्र वरदाराम** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

127. मेहरबान पुत्र रामलाल, के.का. बीकानेर :- बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2020 तक 11 वर्ष 11 माह 06 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

पूर्व में बंदी खुला बंदी शिविर, बेलासर में सजा भुगत रहा था, के दौरान दिनांक 19.10.2020 को 10.00 बजे अन्य बंदी से गाली-गलौच करने, झगड़ा करने व मारपीट करने पर खुला बंदी शिविर प्रभारी द्वारा समझाया गया, किंतु बंदी के व्यवहार में किसी प्रकार का बदलाव नहीं आने से उसे दिनांक 20.10.2020 को जेल दाखिल कराया गया। अधीक्षक जेल द्वारा बंदी का उक्त कृत्य के कारण दिनांक 31.12.2020 को बंदी का 05 दिवस परिहार जब्त करने के जेलदण्ड से दण्डित किया गया।

इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (छ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी मेहरबान पुत्र रामलाल** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

4. माननीय विशिष्ट न्यायाधीश, डकैती प्रभावित क्षेत्र प्रकरण (जिला एवं सेशन न्यायाधीश), करौली द्वारा प्रकरण संख्या 135/2010 अंतर्गत धारा 459, 396, 397, 323 आई.पी.सी. में दिनांक 17.03.2018 को 10 वर्ष कठोर कारावास।

5. माननीय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, संख्या 03 अलवर द्वारा सेशन प्रकरण संख्या 33/2010 अंतर्गत धारा 397, 459, 401 आई.पी.सी. में दिनांक 04.08.2018 को 08 वर्ष कठोर कारावास।

इस प्रकार बंदी के प्रतिबंधित धारा में दण्डित होने एवं 02 से अधिक प्रकरणों में दण्डित होने के कारण वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (घ) व (च) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

उक्त के अतिरिक्त बंदी माननीय ए.डी.जे. नागदा उज्जैन (म.प्र.) के प्रकरण संख्या 79/2007 में पुलिस थाना नागदा अंतर्गत धारा 458, 380, 120, 395, 397 आई.पी.सी. व अन्य कारागृहों में भी विचाराधीन है।

अतः उक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी सुरेश उर्फ पप्पू उर्फ जितेन्द्र नाथ पुत्र रतन नाथ** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

130. मोहन सिंह उर्फ मोनू पुत्र रामेश्वर, के.का. जयपुर :- बंदी ने दिनांक 31.12.2020 तक 11 वर्ष 09 माह 17 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ, जयपुर के आदेशों की पालना में बंदी को दिनांक 17.07.2018 को 20 दिवस नियमित पैरोल पर रिहा कर दिनांक 05.08.2018 को जेल दाखिल होने हेतु पाबंद किया गया था, किंतु बंदी नियत तिथि को जेल दाखिल नहीं होकर पैरोल से फरार हो गया। बंदी के विरूद्ध पुलिस थाना लालकोठी जयपुर में एफ.आई.आर. संख्या 185/2018 अंतर्गत धारा 58 (ख) (2) राजस्थान बंदी अधिनियम के तहत दर्ज करायी गई, बंदी को बाद फरारी श्रीमान् महानगर मजिस्ट्रेट, क्रम 09 जयपुर महानगर के प्रकरण संख्या 620/2018 अंतर्गत धारा 3/25 आर्म्स एक्ट में पुलिस थाना करधनी द्वारा गिरफ्तार कर दिनांक 30.08.2018 को जेल दाखिल कराया गया।

इस प्रकार बंदी राजस्थान कैदी खुला बंदी शिविर नियम 1972 के नियम 3 (ग) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं है।

उक्त के अतिरिक्त बंदी माननीय महानगर मजिस्ट्रेट क्रम 9, जयपुर महानगर के प्रकरण संख्या 1149 (एफ.आई. आर. संख्या 620/2018) अंतर्गत धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पुलिस थाना, करधनी तथा माननीय अतिरिक्त मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट क्रम-9, जयपुर महानगर के प्रकरण संख्या 179 (एफ.आई.आर. संख्या 185/2018) अंतर्गत धारा 58 ख (2) पुलिस थाना, लाल कोठी में विचाराधीन भी है, जिसमें बंदी जमानत पर है।

अत: उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी मोहन सिंह उर्फ मोनू पुत्र रामेश्वर** को खुला बंदी शिविर में नहीं भेजे जाने भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

131. मुस्तफा पुत्र महबूब खां, के.का. बीकानेर :- बंदी ने दिनांक 31.12.2020 तक 11 वर्ष 09 माह 13 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी को अंतर्गत धारा 376 (2) (जी), 376 (2) (ड) आई.पी.सी. (प्रतिबंधित धारा) में आजीवन कारावास से दण्डित किये जाने से वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (घ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

बंदी द्वारा गैंगरेप, गर्भवती महिला से बलात्कार, राजमार्ग पर सूर्यास्त एवं सूर्योदय के बीच के समय लूट एवं लूट के दौरान घातक आयुध का उपयोग कर किसी व्यक्ति को उपहति कारित कर जघन्य अपराध कारित किया गया है तथा बंदी के अपराध की प्रकृति को ध्यान में रखते हुये उसे खुला बंदी शिविर में भेजा जाना उचित नहीं है।

अत: उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी मुस्तफा पुत्र महबूब खां** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

132. पन्नालाल पुत्र मघाराम, के.का. बीकानेर :- बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2020 तक 11 वर्ष 09 माह 10 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है। बंदी को निम्न प्रकरणों में दण्डित किया गया हैं :-

1. माननीय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, रतनगढ़ द्वारा सेशन प्रकरण संख्या 14/2014 अंतर्गत धारा 307 आई. पी.सी. व 4/25 आर्म्स एक्ट में दिनांक 22.09.2016 को 10 वर्ष कठोर कारावास।
2. माननीय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, रतनगढ़ द्वारा प्रकरण संख्या 15/2014 अंतर्गत धारा 302, 449, 392 आई.पी.सी. में दिनांक 02.04.2019 को आजीवन कारावास।

बंदी को दण्डाधिकारी न्यायालय द्वारा अंतर्गत धारा 392 आई.पी.सी. (प्रतिबंधित धारा) में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित किया गया है तथा बंदी द्वारा दिनांक 02.03.2020 को कारागृह के अंदर एल.ई.डी. में मोबाईल मंगवाने का प्रयास किया गया, के कारण अधीक्षक जेल द्वारा दिनांक 01.06.2020 को 15 दिवस परिहार जब्त कर जेलदण्ड से दण्डित किया गया।

इस प्रकार बंदी के प्रतिबंधित धारा में दण्डित होने एवं जेलदण्ड से दण्डित होने के कारण वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (घ) व (छ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अत: उक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी पन्नालाल पुत्र मघाराम** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

133. बजरंग पुत्र मांगीलाल, के.का. जयपुर :- बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2020 तक 11 वर्ष 08 माह 27 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

पूर्व में बंदी खुला बंदी शिविर, सांगानेर में सजा भुगत रहा था, के दौरान दिनांक 20.03.2019 को सायंकाल रोलकॉल में उपस्थित नहीं होकर खुला बंदी शिविर से फरार हो गया, बंदी के विरूद्ध पुलिस थाना सांगानेर में एफ. आई.आर. संख्या 354/2019 अंतर्गत धारा 224 आई.पी.सी. दर्ज करायी गई। बंदी को थानाधिकारी पुलिस थाना सांगानेर द्वारा गिरफ्तार कर दिनांक 06.08.2020 को जेल दाखिल कराया गया।

इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (ग) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अत: उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी बजरंग पुत्र मांगीलाल** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

134. शिवलाल पुत्र प्यारा, के.का. उदयपुर :- बंदी ने दिनांक 31.12.2020 तक 11 वर्ष 08 माह 13 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

पूर्व में बंदी को 20 दिवस नियमित पैरोल पर दिनांक 16.09.2014 को रिहा कर दिनांक 05.10.2014 को जेल दाखिल होने हेतु पाबंद किया गया था, किंतु बंदी नियत तिथि को जेल दाखिल नहीं होकर पैरोल से फरार हो गया। दिनांक 25.12.2016 को पुलिस थाना सूरजपोल उदयपुर द्वारा एफ.आई.आर. संख्या 301/2015 अंतर्गत धारा 11 (2) ख अधिनियम 1960 के अंतर्गत बंदी को गिरफ्तार कर पुन: जेल दाखिल कराया गया। बंदी 02 वर्ष 02 माह 20 दिवस पैरोल से फरार रहा है।

इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (ग) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर में भेजे जाने हेतु पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

उक्त के अतिरिक्त बंदी माननीय ए.डी.जे. प्रतापगढ़ के प्रकरण संख्या 62/2016 अंतर्गत धारा 147, 341, 323, 307, 384, 458 आई.पी.सी. में विचाराधीन भी है।

अत: उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी शिवलाल पुत्र प्यारा** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

135. धर्मेश उर्फ धर्मेन्द्र पुत्र कान्तिलाल, के.का. उदयपुर :- बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2020 तक 11 वर्ष 08 माह 11 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है। बंदी को निम्नांकित प्रकरणों में दण्डित किया गया है :-

1. माननीय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश फास्ट ट्रेक नं. 03, उदयपुर कैम्प, सलूम्बर द्वारा प्रकरण संख्या 44/2011 अंतर्गत धारा 392 आई.पी.सी. में दिनांक 30.03.2012 को 07 वर्ष कठोर कारावास।
2. माननीय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश फास्ट ट्रेक नं. 03, उदयपुर कैम्प, सलूम्बर द्वारा प्रकरण संख्या 26/2011 अंतर्गत धारा 392 आई.पी.सी. में दिनांक 31.07.2012 को 07 वर्ष कठोर कारावास।
3. माननीय अपर सेशन न्यायाधीश, सलूम्बर (उदयपुर) द्वारा सेशन प्रकरण संख्या 76/2012 अंतर्गत धारा 224, 333 आई.पी.सी. में दिनांक 30.06.2014 को 05 वर्ष कठोर कारावास।
4. माननीय अपर सेशन न्यायाधीश, सलूम्बर (उदयपुर) द्वारा सेशन प्रकरण संख्या 36/2012 अंतर्गत धारा 304पार्ट-1, 398 आई.पी.सी. व 4/25 आर्म्स एक्ट में दिनांक 04.07.2015 को 10 वर्ष कठोर कारावास।

बंदी को 04 प्रकरणों में क्रमशः 07 वर्ष कठोर कारावास, 07 वर्ष कठोर कारावास, 05 वर्ष कठोर कारावास व 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित किया गया है। बंदी के प्रथम प्रकरण की सजा पूर्ण हो चुकी है तथा द्वितीय प्रकरण में 04 वर्ष 08 माह 11 दिवस की सजा मय परिहार भुगती है, दोनों प्रकरणों में बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2020 तक 11 वर्ष 08 माह 11 दिवस की सजा भुगत लेने से पात्र है, परंतु बंदी द्वारा प्रथम प्रकरण की सजा पूर्ण कर लेने पर द्वितीय प्रकरण की सजा दिनांक 14.05.2017 से प्रारम्भ की गई है, जिसमें बंदी 04 वर्ष 08 माह 11 दिवस की सजा मय परिहार भुगती है, जो 06 वर्ष 08 माह से कम है। उक्त के अतिरिक्त बंदी अंतर्गत धारा 392, 224 आई.पी.सी. (प्रतिबंधित धारा) में दण्डित है।

इस प्रकार बंदी 02 से अधिक 04 प्रकरणों में दण्डित होने से राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (घ) व (च) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) व (ग) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं है। अधीक्षक जेल ने भी बंदी को 02 से अधिक प्रकरणों में दण्डित होने एवं प्रतिबंधित धारा में दण्डित होने से उसे खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी धर्मेश उर्फ धर्मेन्द्र पुत्र कान्तिलाल** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

136. दीना उर्फ दीनदयाल पुत्र गोरेलाल, के.का. भरतपुर :- बंदी ने दिनांक 31.12.2020 तक 11 वर्ष 07 माह 08 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी को अंतर्गत धारा 395 एवं 396 आई.पी.सी. (प्रतिबंधित धारा) में आजीवन कारावास से दण्डित किये जाने से वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (घ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर में भेजे जाने हेतु पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अत: उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी दीना उर्फ दीनदयाल पुत्र गोरेलाल** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

137. बालचंद पुत्र हीरालाल, के.का. बीकानेर :- बंदी ने दिनांक 31.12.2020 तक 11 वर्ष 07 माह 08 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

पूर्व में बंदी को 20 दिवस नियमित पैरोल पर दिनांक 31.10.2007 को रिहा कर दिनांक 19.11.2007 को जेल दाखिल होने हेतु पाबंद किया गया था, किंतु बंदी नियत तिथि को जेल दाखिल नहीं होकर पैरोल से फरार हो गया। जिसे जिला कारागृह, झालावाड़ से प्राप्त होने पर दिनांक 29.12.2016 को पुन: जेल दाखिल कराया गया।

उक्त के अतिरिक्त दिनांक 31.12.2020 को पुलिस थाना रातानाड़ा में दर्ज सीआर नं. 248/2020 अंतर्गत धारा 42 कारागार अधिनियम एवं 120बी आई.पी.सी. में मोबाईल सप्लाई करने के कारण अधीक्षक जेल द्वारा दिनांक 31.12.2020 को बंदी का 20 दिवस अर्जित परिहार जब्त कर जेलदण्ड से दण्डित किया गया है तथा "आपरेश फ्लश आउट" के तहत बंदी का स्थानांतरण केन्द्रीय कारागृह, जोधपुर से केन्द्रीय कारागृह, बीकानेर पर किया गया।

इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (ग) व (छ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर में भेजे जाने हेतु पात्र नहीं है। अधीक्षक जेल ने बंदी के पूर्व में पैरोल से फरार होने व जेलदण्ड से दण्डित होने से उसे खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अत: उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी बालचंद पुत्र हीरालाल** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

138. सोनू उर्फ सानू पुत्र पूनमचंद, के.का. कोटा :- बंदी ने दिनांक 31.12.2020 तक 11 वर्ष 07 माह 05 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी को अंतर्गत धारा 376 आई.पी.सी. (प्रतिबंधित धारा) में आजीवन कारावास से दण्डित किये जाने से वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम (घ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

बंदी द्वारा बलात्कार जैसा जघन्य अपराध कारित किया गया है तथा वर्तमान में बंदी की आयु लगभग 32 वर्ष है, बंदी के अपराध की प्रकृति को ध्यान मे रखते हुये उसे खुला बंदी शिविर में भेजा जाना उचित नहीं है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी सोनू उर्फ सानू पुत्र पूनमचंद** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

139. लक्ष्मण पुत्र मांगिया, के.का. उदयपुर :- बंदी ने दिनांक 31.12.2020 तक 11 वर्ष 06 माह 27 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

पूर्व में बंदी, खुला बंदी शिविर, मण्डौर में सजा भुगत रहा था, के दौरान प्रभारी, बंदी खुला शिविर, मण्डौर द्वारा बंदी व अन्य बंदियों के मानसिक रोगी/लाचार/बीमार/विकलांग व आदतन शराबी होने से उन्हें खुला बंदी शिविर से जेल दाखिल करने हेतु निवेदन किये जाने पर बंदी को दिनांक 18.11.2020 को जेल दाखिल किया गया है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी लक्ष्मण पुत्र मांगिया** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

140. मिखेल भुईया उर्फ राजू टोपन उर्फ मिथलेश पुत्र फिलिप भुईया, के.का. बीकानेर :- बंदी ने दिनांक 31.12.2020 तक 11 वर्ष 06 माह 06 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी को अंतर्गत धारा 376 आई.पी.सी. (प्रतिबंधित धारा) में आजीवन कारावास से दण्डित किये जाने से वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम (घ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

बंदी द्वारा अपहरण, बलात्कार एवं हत्या जैसा जघन्य अपराध कारित किया गया है तथा बंदी के अपराध की प्रकृति को ध्यान में रखते हुये उसे बंदी खुला बंदी शिविर में भेजा जाना उचित नहीं है। सजावधि के दौरान बंदी द्वारा नियमित/आपात पैरोल का उपभोग भी नहीं किया गया है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी मिखेल भुईया उर्फ राजू टोपन उर्फ मिथलेश पुत्र फिलिप भुईया** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

141. मदन उर्फ मदनिया पुत्र मोडिया, के.का. जयपुर :- बंदी ने दिनांक 31.12.2020 तक 11 वर्ष 05 माह 26 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी को दिनांक 19.09.2009 को 30 दिवस नियमित पैरोल पर रिहा कर दिनांक 18.10.2009 को जेल दाखिल होने हेतु पाबंद किया गया था, किंतु बंदी नियत तिथि को जेल दाखिल नहीं होकर पैरोल से फरार हो गया, जिसे पुलिस थाना, लालकोठी, जयपुर शहर द्वारा प्रकरण संख्या 26 अंतर्गत धारा 224 आई.पी.सी. में गिरफ्तार कर दिनांक 30.01.2018 को जेल दाखिल कराया गया।

इस प्रकार बंदी राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (ग) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी मदन उर्फ मदनिया पुत्र मोडिया** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

142. सुजान पुत्र अमरलाल, के.का. जोधपुर :- बंदी ने दिनांक 31.12.2020 तक 11 वर्ष 05 माह 17 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी को 20 दिवस नियमित पैरोल पर दिनांक 19.08.2007 को रिहा कर दिनांक 07.09.2007 को जेल दाखिल होने हेतु पाबंद किया गया था, किंतु बंदी नियत तिथि को जेल दाखिल नहीं होकर पैरोल से फरार हो गया, जिसे दिनांक 03.08.2016 को पुलिस थाना रातानाड़ा, जोधपुर द्वारा गिरफ्तार कर पुनः जेल दाखिल कराया गया। बंदी 08 वर्ष 10 माह 26 दिवस पैरोल से फरार रहा है।

इस प्रकार बंदी राजस्थान कैदी खुला बंदी शिविर नियम 1972 के नियम 3 (ग) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी सुजान पुत्र अमरलाल** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

143. कुलदीप पुत्र बलदेव सिंह, के.का. जयपुर :- बंदी ने दिनांक 31.12.2020 तक 11 वर्ष 05 माह 17 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है। बंदी को निम्नांकित प्रकरणों में दण्डित किया गया है :-

1. माननीय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, खेतड़ी द्वारा प्रकरण संख्या 54/2010 अंतर्गत धारा 332, 353, 336/34, 307/34, 302/34 आई.पी.सी. एवं 3/25 आर्म्स एक्ट में दिनांक 11.04.2012 को आजीवन कारावास।
2. माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट, पिलानी द्वारा प्रकरण संख्या 800/2010 अंतर्गत धारा 120 (ख), 452, 392 आई.पी.सी. में दिनांक 25.07.2013 को 03 वर्ष कठोर कारावास।
3. माननीय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या 01, झुंझुनूं शिविर, चिड़ावा द्वारा प्रकरण संख्या 04/2011 अंतर्गत धारा 397, 394, 452, 427, 120बी आई.पी.सी. एवं 3/25 आर्म्स एक्ट में दिनांक 23.08.2013 को 10 वर्ष कठोर कारावास।
4. माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, झुंझुनूं द्वारा प्रकरण संख्या 505ए/2012 अंतर्गत धारा 332, 353, 228, 341 आई.पी.सी. में दिनांक 30.10.2014 को 03 वर्ष साधारण कारावास।

उक्त के अतिरिक्त बंदी मानसिक रोगी भी है, इस प्रकार बंदी के 02 से अधिक 04 प्रकरणों में दण्डित होने व मानसिक रोगी होने से वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (च) व (झ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी कुलदीप पुत्र बलदेव सिंह** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

144. शंकरलाल पुत्र गांगजी, के.का. उदयपुर :- बंदी ने दिनांक 31.12.2020 तक 11 वर्ष 05 माह 05 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

पूर्व में बंदी, खुला बंदी शिविर, जैतसर में सजा भुगत रहा था, के दौरान दिनांक 10.10.2018 को सायंकाल रोलकॉल में उपस्थित नहीं होकर खुला बंदी शिविर से फरार हो गया। जिस पर बंदी के विरूद्ध पुलिस थाना जैतसर में एफ.आई.आर. संख्या 273/2018 अंतर्गत धारा 224 आई.पी.सी. दर्ज करवायी गई। बंदी को पुलिस थाना जैतसर द्वारा गिरफ्तार कर दिनांक 05.11.2018 को जेल दाखिल कराया गया।

उक्त के अतिरिक्त बंदी मानसिक रोगी भी है, इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (ग) व (झ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी शंकरलाल पुत्र गांगजी** को खुला बंदी शिविर में नहीं भेजे जाने भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

145. पवन पुत्र कुंवरपाल, के.का. जयपुर :- बंदी ने दिनांक 31.12.2020 तक 11 वर्ष 05 माह 02 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है। बंदी निम्नांकित प्रकरणों में विचाराधीन है :-

1. माननीय अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश, क्रम 3 सीकर द्वारा एफ.आई.आर. संख्या 96/2010 अंतर्गत धारा 147, 148, 149, 302, 201, 120बी आई.पी.सी. व 3/25 आर्म्स एक्ट (इस प्रकरण में बंदी जमानत पर है)।
2. माननीय ए.सी.जे.एम. क्रम 01 तीस हजारी कोर्ट, दिल्ली के प्रकरण संख्या 285/2008 अंतर्गत धारा 365, 368, 374, 506 आई.पी.सी. (इस प्रकरण में बंदी जमानत पर है)।

इस प्रकार बंदी राजस्थान राज्य से बाहर वांछित होने के कारण समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी पवन पुत्र कुंवरपाल** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

146. मोहम्मद युसुफ पुत्र सईदुल्लाह खान उर्फ लाडू, के.का. जोधपुर :- बंदी ने दिनांक 31.12.2020 तक 11 वर्ष 04 माह 17 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

पूर्व में बंदी को दिनांक 23.04.2019 को 40 दिवस चतुर्थ नियमित पैरोल पर रिहा कर दिनांक 01.06.2019 को जेल दाखिल होने हेतु पाबंद किया गया था, किंतु बंदी नियत तिथि को जेल दाखिल नहीं होकर पैरोल से फरार हो गया, बंदी को दिनांक 27.07.2019 को जेल दाखिल कराया गया एवं बंदी को बाद फरारी 07 दिवस सामान्य पैरोल

पर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेशानुसार दिनांक 20.11.2020 को रिहा किया गया गया किंतु बंदी बाद पैरोल दिनांक 28.11.2020 को जेल दाखिल नहीं होकर फरार हो गया। जिसके विरूद्ध पुलिस थाना, रातानाड़ा में एफ.आई.आर. संख्या 375/2020 दर्ज कराई गई। बंदी को पुलिस थाना, रातानाड़ा द्वारा गिरफ्तार कर दिनांक 02.12.2020 को जेल दाखिल कराया गया।

पूर्व में बंदी खुला शिविर, बाड़मेर में रहते हुए कदाचार करने के कारण आचरण संतोषप्रद न होने से दिनांक 05.07.2019 को पुनः बंदी खुला शिविर से जेल दाखिल किया गया।

इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (ग) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी का कारागृह में आचरण असंताषप्रद बताते हुए खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी मोहम्मद युसुफ पुत्र सईदुल्लाह खान उर्फ लाडू** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

147. सुभाष पुत्र दौलतराम, के.का. बीकानेर :- बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2020 तक 11 वर्ष 04 माह 14 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है। बंदी को दो से अधिक निम्नांकित 06 प्रकरणों में दण्डित किया गया है :-

1. माननीय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सूरतगढ़ द्वारा प्रकरण संख्या 13/2006 अंतर्गत धारा 380, 457 आई.पी.सी. में दिनांक 05.09.2006 को 03 वर्ष कठोर कारावास।
2. माननीय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सूरतगढ़ द्वारा प्रकरण संख्या 574/1998 अंतर्गत धारा 379, 447 आई.पी.सी. में दिनांक 16.01.2006 को 01 वर्ष कठोर कारावास।
3. माननीय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सूरतगढ़ द्वारा प्रकरण संख्या 240/2006 अंतर्गत धारा 394/34 आई.पी.सी. में दिनांक 05.03.2008 को 03 वर्ष कठोर कारावास।
4. माननीय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, भादरा द्वारा प्रकरण संख्या 346/2002 अंतर्गत धारा 457, 380 आई.पी.सी. में दिनांक 08.04.2006 को 03 वर्ष कठोर कारावास।

5. माननीय अपर सैशन न्यायाधीश, भादरा द्वारा प्रकरण संख्या 19/2006 अंतर्गत धारा 302, 397, 460 आई.पी.सी. में दिनांक 22.12.2008 को मृत्युदण्ड, अपील में आजीवन कारावास प्रभावी 06.05.2013

6. माननीय अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, संख्या-02 श्रीगंगानगर द्वारा प्रकरण संख्या 176/2014 अंतर्गत धारा 332, 353, 147 आई.पी.सी. में दिनांक 13.03.2015 को 01 वर्ष कठोर कारावास।

बंदी को दिनांक 03.01.2018 को 30 दिवस सामान्य पैरोल पर रिहा कर दिनांक 01.02.2018 को जेल दाखिल होने हेतु पाबंद किया गया था, किंतु बंदी नियत तिथि को जेल दाखिल नहीं होकर पैरोल से फरार हो गया। बंदी के विरूद्ध पुलिस थाना बीछवाल में एफ.आई.आर. संख्या 84/2018 दर्ज करवाई गई। बंदी के दिनांक 02.02.2018 को स्वयं उपस्थित होने पर जेल दाखिल किया गया।

इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (ग) व (च) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अतः बंदी की आपराधिक गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी सुभाष पुत्र दौलतराम** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

148. नजीर पुत्र मीरू खान, के.का. जोधपुर :- बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2020 तक 11 वर्ष 03 माह 18 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी अंतर्गत धारा 5/9 ख, 6/9 ख विस्फोटक अधिनियम, 4, 5, 6 विस्फोटक अधिनियम 1908, 3/25 आर्म्स एक्ट, 7/25 (1) डी (1एए) आर्म्स एक्ट एवं 3/10, 13, 18, 20 विधि विरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 2008 में दण्डित होने से राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (ख) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं है। अधीक्षक जेल ने भी बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी नजीर पुत्र मीरू खान** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

149. सोढा खान उर्फ सोबदार उर्फ लूणिया पुत्र हाजी ऐंहदी, के.का. जोधपुर :- बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2020 तक 11 वर्ष 03 माह 18 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी अंतर्गत धारा 5/9 ख, 6/9 ख विस्फोटक अधिनियम, 4, 5, 6 विस्फोटक अधिनियम 1908, 3/25 आर्म्स एक्ट, 7/25 (1) डी (1एए) आर्म्स एक्ट एवं 3/10, 13, 18, 20 विधि विरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 2008 में दण्डित होने से राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (ख) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं है। अधीक्षक जेल ने भी बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी सोढा खान उर्फ सोबदार उर्फ लूणिया पुत्र हाजी ऐंहदी** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

150. खानू खान उर्फ खानिया पुत्र मारूफ, के.का. जोधपुर :- बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2020 तक 11 वर्ष 03 माह 09 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी अंतर्गत धारा 5/9 ख, 6/9 ख विस्फोटक अधिनियम, 4, 5, 6 विस्फोटक अधिनियम 1908, 3/25 आर्म्स एक्ट, 7/25 (1) डी (1एए) आर्म्स एक्ट एवं 3/10, 13, 18, 20 विधि विरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 2008, 153 ए, 120 बी आई.पी.सी. में दण्डित होने से राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (ख) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं है। अधीक्षक जेल ने भी बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी खानू खान उर्फ खानिया पुत्र मारूफ** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

151. महेन्द्र सैनी पुत्र शिम्भूदयाल, के.का. जयपुर :- बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2020 तक 11 वर्ष 02 माह 12 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है, बंदी को निम्नांकित प्रकरणों में दण्डित किया गया है :-

1. माननीय अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश (त्वरित) संख्या-2, जयपुर महानगर द्वारा प्रकरण संख्या 33/2010 अंतर्गत धारा 302, 460 आई.पी.सी. एवं 3/25 आर्म्स एक्ट में दिनांक 03.10.2011 को आजीवन कारावास।
2. माननीय एम.एम.-13, जयपुर द्वारा प्रकरण संख्या 155/2017 अंतर्गत धारा 224 आई.पी.सी. में दिनांक 02.05.2012 को 01 वर्ष 05 माह साधारण कारावास।
3. माननीय ए.सी.जे.एम. नं.-1, सवाई माधोपुर द्वारा प्रकरण संख्या 706/2010 अंतर्गत धारा 379 आई.पी.सी. में दिनांक 09.11.2012 को 02 वर्ष कठोर कारावास।
4. माननीय जे.एम. प्रथम वर्ग रींगस, सीकर द्वारा प्रकरण संख्या 324/2011 अंतर्गत धारा 379, 120बी आई.पी.सी. में दिनांक 23.07.2014 को 03 वर्ष कठोर कारावास।
5. माननीय ए.डी.जे. जैतारण, पाली द्वारा प्रकरण संख्या 09/2010 अंतर्गत धारा 365, 395 आई.पी.सी. में दिनांक 14.08.2015 को 03 कठोर कारावास।
6. माननीय ए.सी.एम.एम. नं.-13, जयपुर महानगर प्रथम, सांगानेर द्वारा प्रकरण संख्या 2758/2020 अंतर्गत धारा 224 आई.पी.सी. में दिनांक 27.07.2020 को 03 माह कारावास।

पूर्व में बंदी, खुला बंदी शिविर, सांगानेर में सजा भुगत रहा था। दिनांक 10.07.2019 को सायंकाल रोलकॉल में उपस्थित नहीं होकर फरार हो गया, बंदी के विरूद्ध पुलिस थाना, सांगानेर में एफ.आई.आर. संख्या 1049/2019 दर्ज कराई गई। बंदी को पुलिस थाना, लालकोटी द्वारा अंतर्गत धारा 224 आई.पी.सी. में दिनांक 02.02.2020 को जेल दाखिल करवाया गया।

इस प्रकार बंदी दो से अधिक 06 प्रकरणों में दण्डित होने से वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (ग) व (च) के तहत साधारणतया एवं 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर में भेजे जाने हेतु पात्र नहीं है। अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अतः उक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी महेन्द्र सैनी पुत्र शिम्भूदयाल** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

152. रतन पुत्र पोखर लाल, के.का. अजमेर :- बंदी ने दिनांक 31.12.2020 तक 11 वर्ष 02 माह 09 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी को अंतर्गत धारा 376 (2) (च) आई.पी.सी. (प्रतिबंधित धारा) में आजीवन कारावास से दण्डित किये जाने से वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (घ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

बंदी द्वारा 12 वर्ष से कम आयु की नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म जैसा घिनौना कृत्य कारित किया गया है, ऐसी स्थिति में बंदी को खुला शिविर में भेजा जाना उचित नहीं है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए **बंदी रतनलाल पुत्र पोखरलाल** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

153. शेर खां पुत्र सरदार खां, के.का. जोधपुर :- बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2020 तक 11 वर्ष 01 माह 16 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी पूर्व में खुला बंदी शिविर, बाड़मेर से दिनांक 01.08.2020 को सायंकाल रोलकॉल से फरार हो गया, जिसके विरूद्ध पुलिस थाना कोतवाली, बाड़मेर में एफ.आई.आर. संख्या 269/2020 करवायी गई। बंदी को दिनांक 23.09.2020 को गिरफ्तार कर पुनः जेल दाखिल करवाया गया।

इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला बंदी शिविर नियम 1972 के नियम 3 (ग) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी शेर खां पुत्र सरदार खां** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

154. कालूनाथ उर्फ रमेशनाथ पुत्र लालूनाथ उर्फ हीरानाथ, के.का. जयपुर :- बंदी ने दिनांक 31.12.2020 तक 11 वर्ष 01 माह 14 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी को अंतर्गत धारा 460 आई.पी.सी. (प्रतिबंधित धारा) में आजीवन कारावास से दण्डित किये जाने से वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (घ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला शिविर हेतु पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

बंदी द्वारा 29 वर्ष की कम आयु में षड्यंत्रपूर्वक डकैती एवं हत्या जैसा जघन्य अपराध कारित किया है तथा वर्तमान में बंदी की आयु लगभग 40 वर्ष है, ऐसी स्थिति में बंदी के अपराध की प्रकृति एवं आयु को देखते हुये पुनः आपराधिक कृत्यों में शामिल होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है तथा बंदी अन्य प्रकरणों में विचाराधीन भी है। बंदी जिला कारागृह, दौसा के पत्रानुसार केन्द्रीय कारागृह, कोटा, अलवर, एवं जिला कारागृह, चित्तौड़गढ़, भैरूगढ़ (उज्जैन) से वांछित है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी कालूनाथ उर्फ रमेशनाथ पुत्र लालूनाथ उर्फ हीरानाथ** को खुला शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

155. राजू उर्फ दीपकनाथ पुत्र बैजनाथ, के.का. जयपुर :- बंदी ने दिनांक 31.12.2020 तक 11 वर्ष 01 माह 14 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी को अंतर्गत धारा 460 आई.पी.सी. (प्रतिबंधित धारा) में आजीवन कारावास से दण्डित किये जाने से वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (घ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं है

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी राजू उर्फ दीपक पुत्र बैजनाथ** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

156. अमित कुमार जोशी पुत्र कैलाशचंद जोशी, वि.के.का. श्यालावास (दौसा) :- बंदी ने दिनांक 31.12.2020 तक 11 वर्ष 24 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी को अंतर्गत धारा 376 (2) (एफ) आई.पी.सी. (प्रतिबंधित धारा) में आजीवन कारावास से दण्डित किये जाने से वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (घ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी अमित कुमार जोशी पुत्र कैलाशचंद जोशी** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

157. बलभाराम पुत्र घासीराम, जि.का. धौलपुर :- बंदी ने दिनांक 31.12.2020 तक 11 वर्ष 18 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी भंवर सिनोदिया हत्याकाण्ड में दण्डित है तथा बंदी को खुला शिविर में भेजे जाने पर विरोधी पक्ष उस पर कभी भी हमला कर सकता है। 01 अन्य प्रकरण में विचाराधीन होने से जेल अधीक्षक ने बंदी को खुला बंदी शिविर में भजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी बलभाराम पुत्र घासीराम** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

158. अशोक कुमार पुत्र अमरलाल, के.का. कोटा :- बंदी ने दिनांक 31.12.2020 तक 11 वर्ष 07 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी माह अक्टूबर 2019, जनवरी-फरवरी 2020, सितम्बर से अक्टूबर 2020 तक लगातार उद्योगशाला से अनुपस्थित रहने के कारण अधीक्षक जेल ने दिनांक 11.11.2020 को अनुपस्थित अवधि में रेमिशन से वंचित करने के जेलदण्ड से दण्डित किया गया।

बंदी माननीय अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश, संगरूर (पंजाब) के प्रकरण संख्या 61/1997 अंतर्गत धारा 18/61/85 एन.डी.पी.एस. एक्ट में विचाराधीन भी है।

इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (छ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं है। अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी अशोक कुमार पुत्र अमरलाल** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

159. भुरिया उर्फ जगदीश पुत्र अमरनाथ, के.का. अजमेर :- बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2020 तक 10 वर्ष 11 माह 17 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी पूर्व में खुला बंदी शिविर, चित्तौड़गढ़ से दिनांक 23.06.2019 को प्रात:काल रोलकॉल में उपस्थित न होकर शिविर से फरार हो गया, जिसके विरूद्ध पुलिस थाना, कोतवाली चित्तौड़गढ़ में एफ.आई.आर. संख्या 372/2019 दर्ज कराई गई। बंदी को पुलिस थाना, देवली मांजी, जिला कोटा द्वारा 09.01.2020 को गिरफ्तार कर पुन: जेल दाखिल करवाया गया।

इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला बंदी शिविर नियम 1972 के नियम 3 (ग) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अत: उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी भुरिया उर्फ जगदीश पुत्र अमरनाथ** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

160. मामन सिंह पुत्र रामस्वरूप, के.का. अलवर :- बंदी ने दिनांक 31.12.2020 तक 10 वर्ष 11 माह 15 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी को अंतर्गत धारा 394 आई.पी.सी. (प्रतिबंधित धारा) में आजीवन कारावास से दण्डित किया गया है एवं बंदी 02 अन्य प्रकरणों में विचाराधीन भी है। इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (घ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं हैं।

अत: उक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी मामन सिंह पुत्र रामस्वरूप** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

161. अखेसिंह पुत्र भंवरसिंह, के.का. जोधपुर :- बंदी ने दिनांक 31.12.2020 तक 10 वर्ष 10 माह 29 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी 01 अन्य प्रकरण में विचाराधीन है, अत: उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी अखेसिंह पुत्र भंवरसिंह** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

162. मोरपाल पुत्र श्रीकिशन, के.का. कोटा :- बंदी ने दिनांक 31.12.2020 तक 10 वर्ष 10 माह 08 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

पूर्व में बंदी, खुला बंदी शिविर, कोटा में सजा भुगत रहा था, के दौरान दिनांक 10.09.2016 को सायंकाल रोलकॉल में उपस्थित नहीं होकर खुला बंदी शिविर से फरार हो गया। जिस पर बंदी के विरूद्ध पुलिस थाना, नयापुरा कोटा में एफ.आई.आर. संख्या 409/2016 अंतर्गत धारा 224 आई.पी.सी. दर्ज करवायी गई। बंदी को पुलिस थाना नयापुरा कोटा द्वारा गिरफ्तार कर दिनांक 23.01.2020 को जेल दाखिल कराया गया।

इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (ग) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी मोरपाल पुत्र श्रीकिशन** को खुला बंदी शिविर में नहीं भेजे जाने भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

163. कैलाशचन्द पुत्र लादूलाल, के.का. अजमेर :- बंदी ने दिनांक 31.12.2020 तक 10 वर्ष 10 माह 06 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

पूर्व में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेशों की पालना में बंदी को 20 दिवस नियमित पैरोल पर दिनांक 04.04.2013 को रिहा कर दिनांक 23.04.2013 को जेल दाखिल होने हेतु पाबंद किया गया था, किंतु बंदी नियत तिथि को जेल दाखिल नहीं होकर पैरोल से फरार हो गया। जिसे थानाधिकारी, पुलिस थाना सिविल लाईन्स, अजमेर द्वारा गिरफ्तार कर दिनांक 30.06.2017 को पुनः जेल दाखिल कराया गया।

इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (ग) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है। फरारी के उपरांत बंदी द्वारा नियमित/आपात पैरोल का उपभोग नहीं किया गया है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी कैलाशचन्द पुत्र लादूलाल** को खुला बंदी बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

164. जसाराम पुत्र हीराराम, के.का. जोधपुर :- बंदी ने दिनांक 31.12.2020 तक 10 वर्ष 09 माह 17 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

पूर्व में बंदी, खुला बंदी शिविर, मण्डोर में सजा भुगत रहा था, के दौरान दिनांक 18.05.2020 व 19.05.2020 की मध्यरात्रि को खुला बंदी शिविर, मण्डोर से फरार हो गया। जिस पर बंदी के विरूद्ध पुलिस थाना मण्डोर में एफ.आई.आर. संख्या 135/2020 दर्ज करवायी गई। बंदी को पुलिस थाना, मण्डोर द्वारा गिरफ्तार कर दिनांक 19.05.2020 को जेल दाखिल कराया गया।

इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (ग) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी जसाराम पुत्र हीराराम** को खुला बंदी बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

165. विनीत उर्फ टिंकू पुत्र रोड़ीलाल, के.का. उदयपुर :- बंदी ने दिनांक 31.12.2020 तक 10 वर्ष 09 माह 02 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

वर्ष 2019 में जेल उद्योगशाला से निरंतर अनुपस्थित रहने के फलस्वरूप अधीक्षक जेल द्वारा बंदी को दिनांक 17.10.2019 को 01 माह की अवधि तक मुलाकात से वंचित किये जाने के जेलदण्ड से दण्डित किया गया है और वर्ष 2020 में जेल उद्योगशाला से निरन्तर अनुपस्थित रहने के कारण अधीक्षक जेल ने दिनांक 23.04.2020 को अनुपस्थित रहने तक परिहार से वंचित किये जाने के जेलदण्ड से दण्डित किया गया।

इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (छ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं है तथा अधीक्षक जेल ने बंदी का कारागृह में आचरण असंतोषप्रद बताते हुए उसे खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अतः उक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी विनीत उर्फ टिंकू पुत्र रोड़ीलाल** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

166. देवनारायण उर्फ शंकर पुत्र शम्भूदयाल, के.का. जयपुर :- बंदी ने दिनांक 31.12.2020 तक 10 वर्ष 08 माह 02 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है। बंदी को निम्नांकित प्रकरणों में दण्डित किया गया है :-

1. माननीय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश क्रम संख्या 18, जयपुर महानगर, जयपुर द्वारा प्रकरण संख्या 86/2012 अंतर्गत धारा 302 आई.पी.सी. में दिनांक 29.06.2013 को आजीवन कारावास।
2. माननीय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एस.पी.ई. कैसेज) जयपुर द्वारा प्रकरण संख्या 438/2013 अंतर्गत धारा 379 आई.पी.सी. में दिनांक 13.05.2014 को 06 माह साधारण कारावास।
3. माननीय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एस.पी.ई. कैसेज) जयपुर द्वारा प्रकरण संख्या 402/2013 अंतर्गत धारा 379/34 आई.पी.सी. में दिनांक 13.05.2014 को 10 माह साधारण कारावास।
4. माननीय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एस.पी.ई. कैसेज) जयपुर द्वारा प्रकरण संख्या 401/2013 अंतर्गत धारा 379/34 आई.पी.सी. में दिनांक 13.05.2014 को 10 माह साधारण कारावास।
5. माननीय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एस.पी.ई. कैसेज) जयपुर, जिला जयपुर द्वारा प्रकरण संख्या 400/2013 अंतर्गत धारा 379/34 आई.पी.सी. में दिनांक 13.05.2014 को 10 माह साधारण कारावास।

इस प्रकार बंदी 02 से अधिक 05 प्रकरणों में दण्डित है तथा वर्तमान में बंदी मानसिक रोगी है, के कारण बंदी राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (च) व (झ) के तहत साधारणतया एवं 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर में भेजे जाने हेतु पात्र नहीं हैं, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी देवनारायण उर्फ शंकर पुत्र शम्भूदयाल** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

167. बाली पुत्र शिब्बी, के.का. भरतपुर :- बंदी ने दिनांक 31.12.2020 तक 10 वर्ष 08 माह की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी द्वारा जेल उद्योगशाला से अनुपस्थित रहने एवं आवंटित कार्य नहीं करने के फलस्वरूप अधीक्षक जेल द्वारा बंदी को दिनांक 12.02.2020 को जेल उद्योगशाला में नियमित रूप से जाने व आवंटित कार्य पूर्ण करने की औपचारिक चेतावनी दी गई। इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 03 (छ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी बाली पुत्र शिब्बी** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

168. जसविन्द्र सिंह पुत्र गुरदयाल सिंह, के.का. श्रीगंगानगर :- बंदी ने दिनांक 31.12.2020 तक 10 वर्ष 07 माह 27 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी को 40 दिवस नियमित पैरोल पर दिनांक 23.01.2020 को रिहा कर दिनांक 02.03.2020 को जेल दाखिल होने हेतु पाबंद किया गया था, किंतु बंदी नियत तिथि को जेल दाखिल नहीं होकर पैरोल से फरार हो गया। जिसके विरूद्ध पुलिस थाना, कोतावाली, श्रीगंगानगर में एफ.आई.आर. संख्या 76/2020 दर्ज की गई। जिसे पुलिस थाना, कोतावाली, श्रीगंगानगर द्वारा गिरफ्तार कर दिनांक 04.03.2020 को जेल दाखिल कराया गया।

इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (ग) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी जसविन्द्र सिंह पुत्र गुरदयाल सिंह** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

169. किशनलाल उर्फ किशोर कुमार पुत्र गणेशलाल, के.का. उदयपुर :- बंदी ने दिनांक 31.12.2020 तक 10 वर्ष 07 माह 11 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है। बंदी को निम्नांकित प्रकरणों में दण्डित किया गया है :-

1. माननीय सेशन न्यायाधीश, राजसमंद द्वारा सेशन प्रकरण संख्या 16/2011 अंतर्गत धारा 302, 201 आई.पी.सी. में दिनांक 05.06.2013 को आजीवन कारावास।

2. माननीय जे.एम. राजसमंद द्वारा प्रकरण संख्या 460/2013 अंतर्गत धारा 224 आई.पी.सी. में दिनांक 03.12.2013 को 02 वर्ष कारावास।
3. माननीय जे.एम. राजसमंद द्वारा प्रकरण संख्या 200/2016 अंतर्गत धारा 224 आई.पी.सी. में दिनांक 02.06.2017 को 01 माह कारावास।

पूर्व में बंदी विचाराधीन अवधि के दौरान 02 बार पुलिस अभिरक्षा से दिनांक 19.03.2013 एवं 09.11.2013 को फरार हो गया था।

इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (ग) व (च) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अत: उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी किशनलाल उर्फ किशोर कुमार पुत्र गणेशलाल** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

170. दीपू उर्फ दीपक पुत्र किशन लाल, के.का. कोटा :- बंदी ने दिनांक 31.12.2020 तक 10 वर्ष 06 माह 24 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी को अंतर्गत धारा 376 (2) (च) आई.पी.सी. (प्रतिबंधित धारा) में आजीवन कारावास से दण्डित किये जाने से वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (घ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है। दण्डाधिकारी न्यायालय द्वारा बंदी को प्राकृतिक मृत्यु तक आजीवन कारावास से दण्डित किया गया है।

बंदी द्वारा 12 वर्ष से कम आयु की नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म जैसा घिनौना कृत्य कारित किया गया है, ऐसी स्थिति में बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजा जाना उचित नहीं है।

अत: बंदी की आपराधिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी दीपू उर्फ दीपक पुत्र किशन लाल** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

171. अरूण कुमार जैन पुत्र ओमप्रकाश जैन, के.का. जोधपुर :- बंदी ने दिनांक 31.12.2020 तक 10 वर्ष 06 माह 22 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी को अंतर्गत धारा 13 , 18, 18 बी, 20 विधि विरूद्ध क्रियाकलाप अधिनियम 1967 के तहत 14 वर्ष कारावास से दण्डित किया गया है तथा बंदी द्वारा गैरकानूनी गतिविधियों के लिये धन इकट्ठा कर, आपराधिक गतिविधियों के लिए षड्यंत्र रचना, आतंकी गतिविधियों के लिए सदस्य बनाना जैसा देश विरोधी कृत्य कारित किया गया है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अत: उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी अरूण कुमार जैन पुत्र ओमप्रकाश जैन** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

172. गोपाल पुत्र प्रेमनारायण पाण्डे, के.का. उदयपुर :- बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2020 तक 10 वर्ष 05 माह 17 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

पूर्व में बंदी खुला बंदी शिविर, बीछवाल में सजा भुगत रहा था, जिसे दिनांक 17.10.2019 को खुला शिविर नियमों का पालन नहीं करने एवं कदाचार करने के कारण खुला बंदी शिविर, बीछवाल से जेल दाखिल किया गया था एवं बंदी मानसिक रोगी है। अधीक्षक जेल द्वारा बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

बंदी मानसिक रोगी होने से राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (झ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर में भेजे जाने हेतु पात्र नहीं है तथा पूर्व में बंदी खुला शिविर में आचरण संतोषप्रद नहीं रहा है।

अत: उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी गोपाल पुत्र प्रेमनारायण पाण्डे** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

173. विपिन उर्फ विवेक उर्फ विकेश उर्फ विका पुत्र धन्ना, के.का. उदयपुर :- बंदी ने दिनांक 31.12.2020 तक 10 वर्ष 05 माह 16 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी को अंतर्गत धारा 376 आई.पी.सी. (प्रतिबंधित धारा) में आजीवन कारावास से दण्डित किये जाने एवं उद्योगशाला से निरंतर अनुपस्थित रहने के कारण बंदी को दिनांक 24.08.2020 को औपचारिक चेतावनी के जेलदण्ड से दण्डित किया गया।

इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (घ) व (छ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला शिविर हेतु पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी विपिन उर्फ विवेक उर्फ विकेश उर्फ विका पुत्र धन्ना** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

174. नारायण लाल पुत्र रता उर्फ रतनलाल, के.का. उदयपुर :- बंदी ने दिनांक 31.12.2020 तक 10 वर्ष 04 माह 27 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

पूर्व में बंदी, खुला बंदी शिविर, मण्डौर में सजा भुगत रहा था, के दौरान प्रभारी, बंदी खुला शिविर, मण्डौर द्वारा बंदी व अन्य बंदियों के मानसिक रोगी/लाचार/बीमार/विकलांग व आदतन शराबी होने से उन्हें खुला बंदी शिविर से जेल दाखिल करने हेतु निवेदन किये जाने पर बंदी को दिनांक 21.10.2020 को जेल दाखिल किया गया है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी नारायण लाल पुत्र रता उर्फ रतनलाल** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

175. छोटू सिंह पुत्र मेहताब, के.का. अजमेर :- बंदी ने दिनांक 31.12.2020 तक 10 वर्ष 04 माह 12 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी लाचार होने से राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (झ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

उक्त के अतिरिक्त बंदी माननीय अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 03, अजमेर के प्रकरण संख्या 108/2017 अंतर्गत धारा 307, 323 आई.पी.सी. पुलिस थाना, सिविल लाईन्स, अजमेर में विचाराधीन भी है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी छोटूसिंह पुत्र मेहताब** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

176. मुकेश उर्फ पप्पू पुत्र प्रभात्या उर्फ प्रभातीलाल, वि.के.का. श्यालावास (दौसा) :- बंदी ने दिनांक 31.12.2020 तक 10 वर्ष 04 माह 10 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी को अंतर्गत धारा 376 (2) (झ) व (ड) आई.पी.सी. (प्रतिबंधित धारा) में आजीवन कारावास, जो शेष प्राकृत जीवनकाल तक प्रभावी रहेगा, से दण्डित किये जाने से वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (घ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी मुकेश उर्फ पप्पू पुत्र प्रभात्या उर्फ प्रभातीलाल** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

177. दिलदार उर्फ कालू पुत्र मोहम्मद हनीफ, के.का. जोधपुर :- बंदी ने दिनांक 31.12.2020 तक 10 वर्ष 04 माह 07 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

पूर्व में बंदी, खुला बंदी शिविर, मण्डौर में सजा भुगत रहा था, के दौरान प्रभारी, बंदी खुला शिविर, मण्डौर द्वारा बंदी व अन्य बंदियों के मानसिक रोगी/लाचार/बीमार/विकलांग व आदतन शराबी होने से उन्हें खुला बंदी शिविर से जेल दाखिल करने हेतु निवेदन किये जाने पर बंदी को दिनांक 21.10.2020 को जेल दाखिल किया गया है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी दिलदार उर्फ कालू पुत्र मोहम्मद हनीफ** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

178. शानी उर्फ नियामत पुत्र लियाकत अली, के.का. भरतपुर :- बंदी ने दिनांक 31.12.2020 तक 10 वर्ष 03 माह 29 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश, क्रम 01 कोटा द्वारा मृत्यु होने तक आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया गया है तथा मृत्यु पर्यन्त आजीवन कारावास से दण्डित होने के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

बंदी द्वारा जेल उद्योगशाला में निर्धारित कार्य नहीं करने पर अधीक्षक जेल द्वारा दिनांक 12.02.2020 को बंदी को औपचारिक चेतावनी दी गई कि वह नियमित रूप से जेल उद्योगशाला में जाकर आवंटित कार्य पूर्ण करे। इस प्रकार बंदी राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (छ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं हैं।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी शानी उर्फ नियामत पुत्र लियाकत अली** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

179. दलीप पुत्र बद्रीप्रसाद, के.का. बीकानेर :- बंदी ने दिनांक 31.12.2020 तक 10 वर्ष 03 माह 23 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी द्वारा डकैती एवं हत्या का अपराध कारित किया है तथा वर्तमान में बंदी की आयु लगभग 27 वर्ष है, ऐसी स्थिति में बंदी के अपराध की प्रकृति व आयु को देखते हुये पुनः आपराधिक कृत्यों में सम्मिलित होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। बंदी द्वारा नियमित पैरोल का भी उपभोग नहीं किया गया है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी दलीप पुत्र बद्रीप्रसाद** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

180. गजानन्द पुत्र किशनलाल, के.का. बीकानेर :- बंदी ने दिनांक 31.12.2020 तक 10 वर्ष 03 माह 22 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी द्वारा डकैती एवं हत्या का अपराध कारित किया है तथा वर्तमान में बंदी की आयु लगभग 37 वर्ष है, ऐसी स्थिति में बंदी के अपराध की प्रकृति व आयु को देखते हुये पुनः आपराधिक कृत्यों में सम्मिलित होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी गजानन्द पुत्र किशनलाल** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

181. अर्जुनराम पुत्र बक्साराम, के.का. बीकानेर :- बंदी ने दिनांक 31.12.2020 तक 10 वर्ष 03 माह 19 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

पूर्व में बंदी, खुला बंदी शिविर, बीछवाल में सजा भुगत रहा था, दिनांक 04.09.2020 को सायंकाल हाजिरी में अनुपस्थित होने तथा रात्रि में उपस्थित होने पर प्रभारी, खुला बंदी शिविर, बीछवाल द्वारा बंदी का मानसिक संतुलन ठीक नहीं होने के कारण खुला बंदी शिविर से जेल दाखिल कराया गया।

इस प्रकार बंदी राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (झ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर में भेजे जाने हेतु पात्र नहीं है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी अर्जुनराम पुत्र बक्साराम** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

182. जितेन्द्र उर्फ जीतू पुत्र ताराचंद, के.का. जोधपुर :- बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2020 तक 10 वर्ष 03 माह 07 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

पूर्व में बंदी को 20 दिवस नियमित पैरोल पर दिनांक 05.04.2017 को रिहा कर दिनांक 24.04.2017 को जेल दाखिल होने हेतु पाबंद किया गया था, किंतु बंदी नियत तिथि को जेल दाखिल नहीं होकर पैरोल से फरार हो गया, जिसे उप कारागृह, बाली की तहरीर अनुसार दिनांक 17.03.2019 को माननीय ए.सी.जे.एम. सुमेरपुर के प्रकरण संख्या 206/2012 पुलिस थाना सुमेरपुर द्वारा गिरफ्तार कर उप कारागृह, बाली में दाखिल कराया गया तथा उप कारागृह, बाली से बंदी को दिनांक 06.04.2019 को केन्द्रीय कारागृह, जोधपुर पर दाखिल कराया गया।

इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (ग) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी जितेन्द्र उर्फ जीतू पुत्र ताराचंद** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

183. जोशनाथ पुत्र रामनाथ, के.का. जोधपुर :- बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2020 तक 10 वर्ष 03 माह 03 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

पूर्व में बंदी को 20 दिवस नियमित पैरोल पर दिनांक 09.06.2015 को रिहा कर दिनांक 28.06.2015 को जेल दाखिल होने हेतु पाबंद किया गया था, किंतु बंदी नियत तिथि को जेल दाखिल नहीं होकर पैरोल से फरार हो गया, जिसे दिनांक 25.07.2017 को गिरफ्तार कर जेल दाखिल कराया गया। बंदी 02 वर्ष 26 दिवस पैरोल से फरार रहा है।

इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (ग) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी जोशनाथ पुत्र रामनाथ** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

184. बंटी उर्फ बन्दीलाल पुत्र दरपी उर्फ दुखी, वि.के.का. श्यालावास (दौसा) :- बंदी ने दिनांक 31.12.2020 तक 10 वर्ष 02 माह 20 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी को अंतर्गत धारा 328, 395, 396 व 460 आई.पी.सी. (प्रतिबंधित धारा) में आजीवन कारावास से दण्डित किये जाने से वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (घ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं है।

बंदी द्वारा 21 वर्ष की आयु में षड्यंत्रपूर्वक डकैती एवं हत्या, गृह-भेदन जैसा जघन्य अपराध कारित किया है तथा वर्तमान में बंदी की आयु लगभग 31 वर्ष है, ऐसी स्थिति में बंदी के अपराध की प्रकृति व आयु को देखते हुये पुनः आपराधिक कृत्यों में सम्मिलित होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। बंदी वर्तमान में पैरोल से फरार चल रहा है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी बंटी उर्फ बन्दीलाल पुत्र दरपी उर्फ दुखी** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

185. धन्नालाल पुत्र उंकार, के.का. बीकानेर :- बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2020 तक 10 वर्ष 02 माह 12 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

पूर्व में बंदी, खुला बंदी शिविर, बीछवाल पर सजा भुगत रहा था। दिनांक 15.12.2020 को खुला बंदी शिविर में नियमों की पालना नहीं करने एवं कदाचार करने के कारण जेल दाखिल कराया गया एवं अधीक्षक जेल द्वारा खुला बंदी शिविर में कदाचार करने पर दिनांक 31.12.2020 को बंदी का 05 दिवस परिहार जब्त किये जाने के जेलदण्ड से दण्डित किया गया।

इस प्रकार बंदी राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (झ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर में भेजे जाने हेतु पात्र नहीं है।

अत: उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी धन्नालाल पुत्र उंकार** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

186. विजय कुमार उर्फ खुशीलाल पुत्र दरपी उर्फ दुखीलाल, के.का. बीकानेर :- बंदी ने दिनांक 31.12.2020 तक 10 वर्ष 02 माह 08 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी को अंतर्गत धारा 328, 395, 396 आई.पी.सी. (प्रतिबंधित धारा) में आजीवन कारावास से दण्डित किये जाने से वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (घ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं है।

बंदी द्वारा षड्यंत्रपूर्वक डकैती एवं हत्या, गृह-भेदन जैसा जघन्य अपराध कारित किया है तथा वर्तमान में बंदी की आयु लगभग 33 वर्ष है, ऐसी स्थिति में बंदी के अपराध की प्रकृति व आयु को देखते हुये पुन: आपराधिक कृत्यों में सम्मिलित होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अत: उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी विजय कुमार उर्फ खुशीलाल पुत्र दरपी उर्फ दुखीलाल** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

187. मोहम्मद अमीन पुत्र यासीन खां, के.का. श्रीगंगानगर :- बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2020 तक 10 वर्ष 02 माह 06 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

पूर्व में बंदी को जिला मजिस्ट्रेट, बीकानेर के आदेशानुसार 07 दिवस आपात पैरोल पर दिनांक 20.02.2019 को रिहा कर दिनांक 26.02.2019 को जेल दाखिल होने हेतु पाबंद किया गया था, किंतु बंदी नियत तिथि को जेल दाखिल नहीं होकर पैरोल से फरार हो गया, बंदी के विरूद्ध पुलिस थाना कोतवाली (श्रीगंगानगर) में एफ.आई.आर. संख्या 59/2019 अंतर्गत धारा 227, 188, 120बी आई.पी.सी. दर्ज करवायी गई। बंदी को पुलिस थाना कोतवाली (श्रीगंगानगर) द्वारा दिनांक 01.09.2019 को गिरफ्तार कर जेल दाखिल कराया गया।

उक्त के अतिरिक्त बंदी माननीय ए.सी.जे.एम. संख्या 02 बीकानेर के प्रकरण संख्या 33/2018 अंतर्गत धारा 323, 341, 308, 143 आई.पी.सी. व अन्य 08 प्रकरणों में विचाराधीन है।

इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (ग) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी मोहम्मद अमीन पुत्र यासीन खां** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

188. भोला उर्फ पप्पू पुत्र जयप्रकाश, के.का. बीकानेर :- बंदी ने दिनांक 31.12.2020 तक 10 वर्ष 01 माह 17 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी को अंतर्गत धारा 328, 395, 396 व 460 आई.पी.सी. (प्रतिबंधित धारा) में आजीवन कारावास से दण्डित किये जाने से वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (घ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं है।

बंदी षड्यंत्रपूर्वक डकैती एवं हत्या, गृह-भेदन जैसा जघन्य अपराध कारित किया है तथा वर्तमान में बंदी की आयु लगभग 27 वर्ष है, ऐसी स्थिति में बंदी के अपराध की प्रकृति व आयु को देखते हुये पुनः आपराधिक कृत्यों में सम्मिलित होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी भोला उर्फ पप्पू पुत्र जयप्रकाश** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

189. भूरा उर्फ भूरामल पुत्र मोहनलाल, के.का. कोटा :- बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2020 तक 10 वर्ष 01 माह 16 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी लाचार होने से राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (झ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं है। अधीक्षक जेल द्वारा भी बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी भूरा उर्फ भूरामल पुत्र मोहनलाल** को खुला बंदी शिविर में नहीं भेजे जाने का निर्णय लिया गया।

190. रामलाल पुत्र माधुलाल, के.का. उदयपुर :- बंदी ने दिनांक 31.12.2020 तक 10 वर्ष 01 माह 09 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी को महानिदेशालय कारागार राजस्थान, जयपुर दिनांक 30.06.2020 की पालना में मानसिक रोग से ग्रसित, लाचार, विकलांग, बीमार एवं आदतन शराबी होने के कारण खुला बंदी शिविर, मण्डोर से केन्द्रीय कारागृह, जोधपुर में दिनांक 21.10.2020 को दाखिल करवाया गया एवं शेष सजा भुगतने हेतु दिनांक 18.11.2020 को केन्द्रीय कारागृह, उदयपुर भेजा गया।

बंदी मानसिक रोगी होने से राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (झ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी रामलाल पुत्र माधुलाल** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

191. गुड्डुदास उर्फ गुड़िया पुत्र भीमदास, के.का. उदयपुर :- बंदी ने दिनांक 31.12.2020 तक 10 वर्ष 01 माह 03 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

पूर्व में बंदी, खुला बंदी शिविर, मण्डौर में सजा भुगत रहा था, के दौरान दिनांक 07.09.2019 को प्रात:काल रोलकॉल में उपस्थित नहीं होकर खुला बंदी शिविर से फरार हो गया। बंदी के विरूद्ध पुलिस थाना मण्डौर में एफ. आई.आर. संख्या 318/2019 अंतर्गत धारा 224 आई.पी.सी. में दर्ज कराई गई। बंदी को माननीय एम.एम. संख्या 08 जोधपुर महानगर के आदेशानुसार बाद फरारी दिनांक 10.09.2019 को जेल दाखिल कराया गया।

उक्त के अतिरिक्त बंदी मानसिक रोगी है, इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (ग) व (झ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है। वर्तमान में बंदी फरारी प्रकरण में विचाराधीन भी है।

अत: उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी गुड्डूदास उर्फ गुड़िया पुत्र भीमदास** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

192. राजेन्द्र उर्फ राजू पुत्र नाथूलाल, के.का. जयपुर :- बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2020 तक 10 वर्ष 01 माह 03 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी मानसिक रोगी होने से राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (झ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं है। अधीक्षक जेल ने बंदी के मानसिक रोग से ग्रसित होने से उसे खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अत: उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी राजेन्द्र उर्फ राजू पुत्र नाथूलाल** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

193. पानसिंह पुत्र शिवचरण, के.का. भरतपुर :- बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2020 तक 10 वर्ष 28 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी को अंतर्गत धारा 460/34 आई.पी.सी. (प्रतिबंधित धारा) में 05 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित किया गया है, जिसकी मूल सजा समाप्त हो चुकी है।

किंतु बंदी माननीय ए.डी.जे. संख्या 03 आगरा (उ.प्र.) के अ.स. 291/2008 पुलिस थाना कागारौल अंतर्गत धारा 307 आई.पी.सी. में विचाराधीन है। अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला बंदी शिविर में भिजवायें जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी पानसिंह पुत्र शिवचरण** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

194. अमित उर्फ छोटू पुत्र ताराचंद, वि.के.का. श्यालावास (दौसा) :- बंदी ने दिनांक 31.12.2020 तक 10 वर्ष 24 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी को अंतर्गत धारा 376 (2) (एफ) आई.पी.सी. (प्रतिबंधित धारा) में आजीवन कारावास से दण्डित किया गया है, इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (घ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी अमित उर्फ छोटू पुत्र ताराचंद** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

195. रामधन पुत्र नाथूराम, के.का. अजमेर :- बंदी ने दिनांक 31.12.2020 तक 10 वर्ष 08 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी को दिनांक 26.01.2011 को 20 दिवस नियमित पैरोल पर रिहा कर दिनांक 14.02.2011 को जेल दाखिल होने हेतु पाबंद किया गया था, किंतु बंदी नियत तिथि को जेल दाखिल नहीं होकर पैरोल से फरार हो गया, जिसे पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर दिनांक 08.09.2017 को जेल दाखिल कराया गया।

इस प्रकार बंदी राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (ग) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है। बंदी 01 अन्य प्रकरण में विचाराधीन है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी रामधन पुत्र नाथूराम** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

196. पिकु कुमार पुत्र राजुदीन, के.का. बीकानेर :- बंदी ने दिनांक 31.12.2020 तक 09 वर्ष 11 माह 20 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी मानसिक रोगी होने से राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (झ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अत: उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी पिकु कुमार पुत्र राजुदीन** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

197. सोहनलाल उर्फ वक्ता पुत्र वज्जा माईड़ा, के.का. उदयपुर :- बंदी ने दिनांक 31.12.2020 तक 09 वर्ष 10 माह 28 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

पूर्व में बंदी को 20 दिवस प्रथम नियमित पैरोल पर दिनांक 29.09.2016 को रिहा कर दिनांक 18.10.2016 को जेल दाखिल होने हेतु पाबंद किया गया था, किंतु बंदी नियत तिथि को जेल दाखिल नहीं होकर पैरोल से फरार हो गया। बंदी को दिनांक 27.10.2016 को पुलिस थाना सूरजपोल (उदयपुर) द्वारा प्रकरण संख्या 335/2016 में पुन: जेल दाखिल कराया गया। बंदी के उद्योगशाला से निरन्तर अनुपस्थित रहने के कारण अधीक्षक जेल ने दिनांक 24.08.2020 को औपचारिक चेतावनी के जेलदण्ड से दण्डित किया गया।

इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (ग) व (घ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं है। अधीक्षक जेल ने बंदी का आचरण असंतोषप्रद बताते हुए बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अत: उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी सोहनलाल उर्फ वक्ता पुत्र वज्जा माईडा** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

198. दिलीप उर्फ विनोद पुत्र अच्छेलाल, के.का. बीकानेर :- बंदी ने दिनांक 31.12.2020 तक 09 वर्ष 10 माह 26 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी को अंतर्गत धारा 328, 395, 396 व 460 आई.पी.सी. (प्रतिबंधित धारा) में आजीवन कारावास से दण्डित किया गया है इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (घ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं है। अधीक्षक जेल ने बंदी का आचरण असंतोषप्रद बताते हुए बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

उक्त के अतिरिक्त बंदी निम्नांकित 04 प्रकरणों में विचाराधीन है :-

(1) माननीय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, भटिण्डा पंजाब के एफ.आई.आर. संख्या 20/2016 अंतर्गत धारा 25-54-59ए, 120बी आई.पी.सी. ।
(2) माननीय अनु.न्यायालय दण्डाधिकारी, झंझारपुर, बिहार के प्रकरण संख्या 170/2011
(3) माननीय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं ए.सी.जे.एम. लूणकरणसर के एफ.आई.आर. संख्या 12/2019 पुलिस थाना महाजन अंतर्गत धारा 3/25, 5/25 आर्म्स एक्ट।
(4) माननीय विशिष्ठ अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (पी.सी.पी.एन.डी.टी.एक्ट) बीकानेर के एफ.आई.आर. संख्या 56/2019 पुलिस थाना बीछवाल अंतर्गत धारा 42 कारागार अधिनियम।

अत: बंदी के अपराध की प्रकृति व संलिप्तता को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी दिलीप उर्फ विनोद पुत्र अच्छेलाल** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

199. हलुका पुत्र लाखन सिंह, के.का. भरतपुर :- बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2020 तक 09 वर्ष 10 माह 25 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

पूर्व में बंदी, बंदी खुला शिविर, करौली में सजा भुगत रहा था, के दौरान दिनांक 18.06.2019 को सायंकाल रोलकॉल में उपस्थित नहीं होकर फरार हो गया। बंदी को पुलिस द्वारा एफ.आई.आर. नं. 37/2020 पुलिस थाना, नादनपुर द्वारा गिरफ्तार कर दिनांक 28.04.2020 को जिला कारागृह, धौलपुर में दाखिल करवाया गया। बंदी 01 अन्य प्रकरण में विचाराधीन है।

इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (ग) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं हैं, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी हलुका पुत्र लाखन सिंह** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

200. विनोद उर्फ तोराराम पुत्र तोताराम, के.का. जयपुर :- बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2020 तक 09 वर्ष 10 माह 17 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

पूर्व में बंदी, बंदी खुला शिविर, सांगानेर से दिनांक 22.07.2020 को सायंकाल रोलकॉल में उपस्थित नहीं होकर खुला बंदी शिविर से फरार हो गया। जिसके विरूद्ध पुलिस थाना-सांगानेर, मालपुरा गेट, जयपुर में एफ.आई.आर. संख्या 207/2020 अंतर्गत धारा 224 आई.पी.सी. में दर्ज करायी गई। बंदी को पुलिस थाना सांगानेर जयपुर द्वारा दिनांक 25.07.2020 को गिरफ्तार कर जेल दाखिल कराया गया।

इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (ग) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं हैं। अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी विनोद उर्फ तोराराम पुत्र तोताराम** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

201. रामप्रसाद पुत्र बद्रीलाल, के.का. उदयपुर :- बंदी ने दिनांक 31.12.2020 तक 09 वर्ष 10 माह 17 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

पूर्व में बंदी पेशी के दौरान दिनांक 19.02.2006 को पुलिस गार्ड अभिरक्षा से फरार हो गया, जिसे दिनांक 18.08.2016 को पुलिस थाना रठांजना द्वारा गिरफ्तार कर जिला कारागृह, प्रतापगढ़ में दाखिल कराया गया।

बंदी के जेल उद्योगशाला से निरंतर अनुपस्थित रहने पर अधीक्षक जेल द्वारा बंदी को दिनांक 17.10.2019 को 01 माह की अवधि तक मुलाकात से वंचित किये जाने के जेलदण्ड से दण्डित किया गया। इस प्रकार वह राजस्थान

कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (ग) व (छ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी का आचरण असंतोषप्रद बताते हुए उसे खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

उक्त के अतिरिक्त बंदी माननीय सी.जे.एम. प्रतापगढ़ के प्रकरण संख्या 166/2017 अंतर्गत धारा 42 कारागार संशोधन अधिनियम 2015 में विचाराधीन भी है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी रामप्रसाद पुत्र बद्रीलाल** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

202. **प्रविन्द्र पुत्र मूलचंद सिंह, के.का. बीकानेर :-** बंदी ने दिनांक 31.12.2020 तक 09 वर्ष 10 माह 08 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है। बंदी को निम्नांकित प्रकरणों में दण्डित किया गया है :-

1. माननीय अपर सेशन न्यायाधीश, खेतड़ी द्वारा प्रकरण संख्या 54/2010 अंतर्गत धारा 332, 353, 336/34, 307/34, 302/34 आई.पी.सी. व 3/25 आर्म्स एक्ट में दिनांक 11.04.2012 को आजीवन कारावास।
2. माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट, पिलानी द्वारा प्रकरण संख्या 800/2010 अंतर्गत धारा 120बी, 452, 392 आई.पी.सी. में दिनांक 25.07.2013 को 03 वर्ष कठोर कारावास।
3. माननीय अपर सेशन न्यायाधीश, संख्या 01 झुंझुंनू कैम्प चिड़ावा द्वारा प्रकरण संख्या 04/2011 अंतर्गत धारा 397, 394, 452, 427, 120बी आई.पी.सी. व 3/25 आर्म्स एक्ट में दिनांक 23.08.2013 को 10 वर्ष कठोर कारावास।
4. माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, झुंझुंनू द्वारा प्रकरण संख्या 505ए/2012 अंतर्गत धारा 332, 353, 228, 341 आई.पी.सी. में दिनांक 30.10.2014 को 03 वर्ष साधारण कारावास।

उक्त के अतिरिक्त माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के आदेशानुसार बंदी को प्रथम 20 दिवस नियमित पैरोल पर दिनांक 27.10.2016 को रिहा कर दिनांक 15.11.2016 को जेल दाखिल होने हेतु पाबंद किया गया था, किंतु बंदी नियत तिथि को जेल दाखिल नहीं होकर पैरोल से फरार हो गया। बंदी को अन्य प्रकरण में गिरफ्तार कर

दिनांक 23.04.2018 को जिला कारागृह, भिवानी में दाखिल कराया गया। बंदी 01 वर्ष 05 माह 08 दिवस पैरोल से फरार रहा है।

इस प्रकार बंदी राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (ग) व (च) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं है। अधीक्षक जेल ने भी बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी प्रविन्द्र पुत्र मूलचंद सिंह** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

203. कुकु पुत्र रणसिंह, के.का. बीकानेर :- बंदी ने दिनांक 31.12.2020 तक 09 वर्ष 10 माह 06 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी मानसिक रोगी होने से राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (झ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी कुकु पुत्र रणसिंह** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

204. धन्ना पुत्र सोनाथ, के.का. जोधपुर :- बंदी ने दिनांक 31.12.2020 तक 09 वर्ष 09 माह 27 दिवस की सजा मय विचाराधीन अवधि के भुगती है।

बंदी को माननीय विशेष न्यायाधीश, एनडीपीएस एक्ट, मनासा जिला नीमच (म.प्र.) द्वारा प्रकरण संख्या 36/2010 अंतर्गत धारा 8/15 (ग) एन.डी.पी.एस. एक्ट में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित किया गया है।

उक्त के अतिरिक्त बंदी माननीय विशिष्ट न्यायाधीश, एन.डी.पी.एस. प्रकरण, जोधपुर महानगर के प्रकरण संख्या 125/2012 (276/2012) में विचाराधीन है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी धन्ना पुत्र सोनाथ** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

205. रामा पुत्र बदिया, के.का. उदयपुर :- बंदी ने दिनांक 31.12.2020 तक 09 वर्ष 09 माह 21 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

पूर्व में बंदी को 20 दिवस प्रथम नियमित पैरोल पर दिनांक 12.08.2015 को रिहा कर दिनांक 31.08.2015 को जेल दाखिल होने हेतु पाबंद किया गया था, किंतु बंदी नियत तिथि को जेल दाखिल नहीं होकर नियमित पैरोल से फरार हो गया। बंदी को पुलिस थाना सूरजपोल (उदयपुर) द्वारा गिरफ्तार कर दिनांक 24.08.2017 को जेल दाखिल कराया गया।

बंदी को अंतर्गत धारा 376 (2) (छ) आई.पी.सी. (प्रतिबंधित धारा) में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित किया गया है, इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (ग) व (घ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी रामा पुत्र बदिया** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

206. रमेश पुत्र किशनलाल, के.का. भरतपुर :- बंदी ने दिनांक 31.12.2020 तक 09 वर्ष 09 माह 17 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

पूर्व में बंदी को दिनांक 23.04.1996 को 30 दिवस अंतरिम जमानत पर रिहा कर दिनांक 22.05.1996 को जेल दाखिल होने हेतु पाबंद किया गया था, किंतु बंदी नियत तिथि को जेल दाखिल नहीं होकर अंतरिम जमानत से फरार हो गया। जिसे दिनांक 31.08.2017 को पुनः गिरफ्तार कर उप कारागृह, गंगापुर सिटी में दाखिल कराया गया। बंदी 21 वर्ष से अधिक अवधि तक पैरोल से फरार रहा है।

उक्त के अतिरिक्त बंदी द्वारा जेल उद्योगशाला में आवंटित कार्य पूर्ण नहीं करने पर अधीक्षक जेल द्वारा दिनांक 12.02.2020 को बंदी को औपचारिक चेतावनी दी गई कि वह नियमित जेल उद्योगशाला में जाकर आवंटित कार्य पूर्ण करें।

इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (ग) व (छ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी रमेश पुत्र किशनलाल** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

207. सुरेश पुत्र रामदयाल, के.का. जयपुर :- बंदी ने दिनांक 31.12.2020 तक 09 वर्ष 09 माह 12 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

पूर्व में बंदी को 20 दिवस नियमित पैरोल पर दिनांक 20.09.2008 को रिहा कर दिनांक 09.10.2008 को जेल दाखिल होने हेतु पाबंद किया गया था, किंतु बंदी नियत तिथि को जेल दाखिल नहीं होकर नियमित पैरोल से फरार हो गया। बंदी के विरूद्ध पुलिस थाना लालकोठी, जयपुर शहर पूर्व में एफ.आई.आर. संख्या 147/2008 दर्ज कराई गई। बंदी को दिनांक 25.01.2019 को पुलिस थाना लालकोठी जयपुर शहर पूर्व द्वारा गिरफ्तार कर माननीय अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं महानगर मजिस्ट्रेट, क्रम 6 जयपुर महानगर के प्रकरण संख्या 369/2017 अंतर्गत धारा 224 आई.पी.सी. में जेल दाखिल कराया गया।

इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (ग) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी का आचरण असंतोषप्रद बताते हुए उसे खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है। वर्तमान में बंदी फरारी प्रकरण में विचाराधीन भी है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी सुरेश पुत्र रामदयाल** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

208. सन्नी उर्फ दिनेश पुत्र किशोर उर्फ लगूर, वि.के.का. श्यालावास (दौसा) :- बंदी ने दिनांक 31.12.2020 तक 09 वर्ष 09 माह 04 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी को अंतर्गत धारा 376 आई.पी.सी. (प्रतिबंधित धारा) में आजीवन कारावास से दण्डित किया गया है, इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (घ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं है। बंदी द्वारा सजावधि के दौरान नियमित/आपात पैरोल का उपभोग नही किया गया है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी सन्नी उर्फ दिनेश पुत्र किशोर उर्फ लंगूर** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

209. घनश्याम पुत्र शोभालाल, के.का. जोधपुर :- बंदी ने दिनांक 31.12.2020 तक 09 वर्ष 08 माह 23 दिवस की सजा मय विचाराधीन अवधि के भुगती है।

बंदी को माननीय अति.वि. न्यायालय, एन.डी.पी.एस. एक्ट, मंदसौर द्वारा प्रकरण संख्या 26/2009 अंतर्गत धारा 8/15 एन.डी.पी.एस. एक्ट में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित किया गया है।

दिनांक 16.11.2020 को तलाशी के दौरान बंदी से 01 मोबाईल, सिम कार्ड एवं अन्य सिम व चार्जर बरामद होने पर अधीक्षक जेल द्वारा बंदी को दिनांक 03.12.2020 को 01 माह के मुलाकात से वंचित किये जाने के जेलदण्ड से दण्डित किया गया।

इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (छ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं हैं। अधीक्षक जेल ने बंदी का आचरण असंतोषप्रद बताते हुए खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

उक्त के अतिरिक्त बंदी माननीय विशिष्ठ न्यायाधीश एन.डी.पी.एस. एक्ट प्ररकण, जोधपुर के प्रकरण संख्या 266/2019 में विचाराधीन है। अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी घनश्याम पुत्र शोभालाल** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

210. विजय कुमार उर्फ भंवरलाल पुत्र जोगाराम, के.का. जोधपुर :- बंदी ने दिनांक 31.12.2020 तक 09 वर्ष 08 माह 10 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी को अंतर्गत धारा 376 (जी) आई.पी.सी. (प्रतिबंधित धारा) में आजीवन कारावास से दण्डित किया गया है, इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (घ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं है।

दण्डाधिकारी न्यायालय द्वारा बंदी को आजीवन कारावास, जो शेष प्राकृत जीवनकाल के कारावास के समान होगा, से दण्डित किया गया है। अधीक्षक जेल ने बंदी को प्रतिबंधित धारा में दण्डित होने से खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी विजय कुमार उर्फ भंवरलाल पुत्र जोगाराम** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

211. कल्लू खां पुत्र शरीफ खां, जि.का. झालावाड़ :- बंदी ने दिनांक 31.12.2020 तक 09 वर्ष 08 माह 08 दिवस की सजा मय विचाराधीन अवधि के भुगती है।

बंदी को माननीय विशिष्ठ न्यायाधीश, एन.डी.पी.एस. एक्ट, झालावाड़ द्वारा प्रकरण संख्या 49/2011 अंतर्गत धारा 8/21 एन.डी.पी.एस. एक्ट में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित किया गया है।

बंदी को मादक पदार्थो की तस्करी में दण्डित किया गया है तथा खुला बंदी शिविर में भेजे जाने से उसके पुनः मादक पदार्थो की तस्करी में सम्मिलित होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी कल्लू खां पुत्र शरीफ खां** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

212. प्रकाश पुत्र महादेवा, के.का. भरतपुर :- बंदी ने दिनांक 31.12.2020 तक 09 वर्ष 08 माह की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी को अंतर्गत धारा 376 आई.पी.सी. (प्रतिबंधित धारा) में आजीवन कारावास से दण्डित किया गया है।

उक्त के अतिरिक्त बंदी द्वारा जेल उद्योगशाला में आवंटित कार्य पूर्ण नहीं करने पर अधीक्षक जेल द्वारा दिनांक 12.02.2020 को बंदी को औपचारिक चेतावनी दी गई कि वह नियमित जेल उद्योगशाला में जाकर आवंटित कार्य पूर्ण करें।

इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (घ) व (छ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं है। अधीक्षक जेल ने बंदी का आचरण असंतोषप्रद बताते हुए उसे खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अत: उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी प्रकाश पुत्र महादेवा** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

213. मोहनलाल पुत्र हीरालाल, के.का. कोटा :- बंदी ने दिनांक 31.12.2020 तक 09 वर्ष 07 माह 27 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

पूर्व में बंदी, खुला बंदी शिविर, कोटा में सजा भुगत रहा था, दिनांक 11.12.2020 को सायंकाल रोलकॉल में उपस्थित नहीं होकर, खुला बंदी शिविर से फरार हो गया। बंदी दिनांक 12.12.2020 को स्वयं पुलिस थाना, नयापुरा कोटा में उपस्थित हो गया एवं बंदी को दिनांक 12.12.2020 को जेल दाखिल कराया गया।

इस प्रकार बंदी राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (ग) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं है तथा अधीक्षक जेल ने बंदी का आचरण असंतोषप्रद बताते हुए बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अत: उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी मोहनलाल पुत्र हीरालाल** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

214. श्याम सुन्दर उर्फ बृजसुन्दर पुत्र मोहनलाल, के.का. कोटा :- बंदी ने दिनांक 31.12.2020 तक 09 वर्ष 07 माह 17 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी को 3/4 पोक्सो एक्ट में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित किया गया है एवं बंदी को अंतर्गत धारा 328, 376 आई.पी.सी. (प्रतिबंधित धारा) में क्रमश: 05 वर्ष कठोर कारावास एवं 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित

किये जाने से वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (घ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी श्याम सुन्दर उर्फ बृजसुन्दर पुत्र मोहनलाल** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

215. मुसा पुत्र सदीक उर्फ सबिया, के.का. जोधपुर :- बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2020 तक 09 वर्ष 07 माह की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी अंतर्गत धारा 5/9 ख, 6/9 ख विस्फोटक अधिनियम, 4, 5, 6 विस्फोटक अधिनियम 1908, 3/25 आर्म्स एक्ट, 7/25 (1) डी (1एए) आर्म्स एक्ट एवं 3/10, 13, 18, 20 विधि विरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 2008 में दण्डित होने से राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (ख) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं है। अधीक्षक जेल ने भी बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी मुसा पुत्र सदीक उर्फ सबिया** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

216. पूरणमल पुत्र बगदीराम, के.का. उदयपुर :- बंदी ने दिनांक 31.12.2020 तक 09 वर्ष 06 माह 25 दिवस की सजा मय विचाराधीन अवधि के भुगती है।

बंदी को माननीय विशेष न्यायाधीश, एन.डी.पी.एस. प्रकरण, संख्या 01 चित्तौड़गढ़ द्वारा प्रकरण संख्या 21/2014 अंतर्गत धारा 8/18, 8/25 एन.डी.पी.एस. एक्ट में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित किया गया है।

बंदी के जेल उद्योगशाला से निरंतर अनुपस्थित रहने पर अधीक्षक जेल द्वारा दिनांक 17.10.2019 को 01 माह की अवधि तक मुलाकात से वंचित किये जाने के जेलदण्ड से दण्डित किया गया।

इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (छ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी का आचरण असंतोषप्रद बताते हुए उसे खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी पूरणमल पुत्र बगदीराम** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

217. अर्जुन गर्ग पुत्र शंकर लाल, के.का. जोधपुर :- बंदी ने दिनांक 31.12.2020 तक 09 वर्ष 06 माह 25 दिवस की सजा मय विचाराधीन अवधि के भुगती है।

बंदी को माननीय विशिष्ठ न्यायाधीश, एन.डी.पी.एस. एक्ट के मामलात, जोधपुर द्वारा प्रकरण संख्या 03/2008 अंतर्गत धारा 8/15 एन.डी.पी.एस. एक्ट में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित किया गया है।

उक्त के अतिरिक्त बंदी को महानगर मजिस्ट्रेट, संख्या 05 जोधपुर द्वारा प्रकरण संख्या 531/2003 अंतर्गत धारा 4/25 आर्म्स एक्ट में 03 माह कारावास से दण्डित किया गया है।

पूर्व में बंदी को दिनांक 28.06.2016 को 15 दिवस आपात पैरोल पर रिहा कर दिनांक 12.07.2016 को जेल दाखिल होने हेतु पाबंद किया गया था, किंतु बंदी नियत तिथि को जेल दाखिल नहीं होकर पैरोल से फरार हो गया। माननीय सी.जे.एम. जोधपुर महानगर द्वारा प्रकरण संख्या 216/2016 दिनांक 12.01.2018 को फरारी उपरांत जे.सी.वारंट सहित पुलिस थाना रातानाड़ा जोधपुर द्वारा जेल दाखिल कराया गया। उक्त प्रकरण में बंदी जमानत पर है।

इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (ग) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी अर्जुन गर्ग पुत्र शंकर लाल** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

218. धर्मेन्द्र कुमार पुत्र अभय सिंह, के.का. अलवर :- बंदी ने दिनांक 31.12.2020 तक 09 वर्ष 06 माह 21 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

पूर्व में बंदी को दिनांक 19.12.2018 को 30 दिवस नियमित पैरोल पर रिहा कर दिनांक 17.01.2019 को जेल दाखिल होने हेतु पाबंद किया गया था, किंतु बंदी नियत तिथि को जेल दाखिल नहीं होकर नियमित पैरोल से फरार हो गया। बंदी के विरूद्ध पुलिस थाना कोतवाली अलवर में एफ.आई.आर. संख्या 70/2019 अंतर्गत धारा 224 आई.पी. सी. दर्ज कराई गई। बंदी को दिनांक 20.02.2019 को पुलिस थाना कोतवाली अलवर द्वारा गिरफ्तार कर जेल दाखिल कराया गया। वर्तमान में बंदी फरारी प्रकरण में विचाराधीन है।

उक्त के अतिरिक्त बंदी को अंतर्गत धारा 376 (2) (च) आई.पी.सी. (प्रतिबंधित धारा) में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित किया गया है।

इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (ग) व (घ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी धर्मेन्द्र कुमार पुत्र अभय सिंह** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

219. रामनरेश पुत्र मिश्रीलाल, के.का. कोटा :- बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2020 तक 09 वर्ष 06 माह 18 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी को माननीय विशिष्ठ न्यायाधीश, एन.डी.पी.एस. एक्ट प्रकरण, छबड़ा, जिला बारां द्वारा प्रकरण संख्या 03/2008 अंतर्गत धारा 8/18 एन.डी.पी.एस. एक्ट में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित किया गया है।

बंदी की वर्तमान में आयु 29 वर्ष है तथा बंदी द्वारा कारित अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए खुला बंदी शिविर में भेजा जाना उचित नहीं है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी रामनरेश पुत्र मिश्रीलाल** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

220. महावीर पुत्र भंवरलाल, के.का. कोटा :- बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2020 तक 09 वर्ष 06 माह 18 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी को माननीय विशिष्ट न्यायाधीश, एन.डी.पी.एस. प्रकरण, छबड़ा जिला बारां द्वारा प्रकरण संख्या 239/2011 अंतर्गत धारा 8/18 एन.डी.पी.एस. एक्ट में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित किया गया है।

बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने से उसके पुनः मादक पदार्थो की तस्करी में सम्मिलित होने/फरार होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी महावीर पुत्र भंवरलाल** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

221. देवराज सिंह पुत्र मंगल सिंह, के.का. कोटा :- बंदी ने दिनांक 31.12.2020 तक 09 वर्ष 06 माह 17 दिवस की सजा मय विचाराधीन अवधि के भुगती है।

बंदी को माननीय विशिष्ठ न्यायाधीश, एन.डी.पी.एस. एक्ट, प्रकरण, भीलवाड़ा द्वारा प्रकरण संख्या 15/2011 अंतर्गत धारा 8/15 (सी) एन.डी.पी.एस. एक्ट में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित किया गया है।

बंदी को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के आदेशानुसार 10 दिवस अंतरिम जमानत पर दिनांक 15.02.2017 को रिहा कर दिनांक 24.02.2017 को जेल दाखिल होने हेतु पाबंद किया गया था, किंतु बंदी नियत तिथि को जेल दाखिल नहीं होकर अंतरिम जमानत से फरार हो गया। जिसे केन्द्रीय कारागृह, उज्जैन (म.प्र.) के पत्र दिनांक 29.10.2017 द्वारा (दिनांक 29.10.2017 को) जेल दाखिल किया गया। बंदी 02 अन्य प्रकरणों में विचाराधीन है।

उक्त के अतिरिक्त दिनांक 14.07.2019 को तलाशी के दौरान बंदी द्वारा तलाशी का विरोध करने, अन्य बंदियों को भड़काने का प्रयास किये जाने पर अधीक्षक जेल द्वारा बंदी को औपचारिक एवं अंतिम चेतावनी के दण्ड से दण्डित किया गया। इस प्रकार बंदी राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (ग) व (छ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं है। अधीक्षक जेल ने भी बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है

बंदी को मादक पदार्थो की तस्करी में दण्डित किया गया है तथा खुला बंदी शिविर में भेजे जाने से उसके पुनः मादक पदार्थो की तस्करी में सम्मिलित होने/फरार होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी देवराज सिंह पुत्र मंगल सिंह** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

222. गोविन्द उर्फ गोविन्दराम पुत्र भैरूलाल, के.का. उदयपुर :- बंदी ने दिनांक 31.12.2020 तक 09 वर्ष 06 माह 01 दिवस की सजा मय विचाराधीन अवधि के भुगती है।

बंदी को माननीय विशेष न्यायाधीश, एन.डी.पी.एस. प्रकरण, संख्या 01 चित्तौड़गढ़ द्वारा प्रकरण संख्या 21/2014 अंतर्गत धारा 8/18 एन.डी.पी.एस. एक्ट में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित किया गया है।

बंदी को मादक पदार्थो की तस्करी में दण्डित किया गया है तथा खुला बंदी शिविर में भेजे जाने से उसके पुनः मादक पदार्थो की तस्करी में सम्मिलित होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी गोविन्द उर्फ गोविन्दराम पुत्र भैरूलाल** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

223. दीपाराम उर्फ दीपला पुत्र लालूराम, के.का. बीकानेर :- बंदी ने दिनांक 31.12.2020 तक 09 वर्ष 05 माह 11 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी अंतर्गत धारा 376 (2) (च) आई.पी.सी. (प्रतिबंधित धारा) में आजीवन कारावास से दण्डित होने से वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम (घ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी दीपाराम उर्फ दीपला पुत्र लालूराम** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

224. पवन पुत्र बद्रीप्रसाद, के.का. जयपुर :- बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2020 तक 09 वर्ष 04 माह 20 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

पूर्व में बंदी, बंदी खुला शिविर, सांगानेर से दिनांक 01.07.2020 को प्रातःकाल रोलकॉल में उपस्थित नहीं होकर खुला बंदी शिविर से फरार हो गया। जिसके विरूद्ध पुलिस थाना-सांगानेर, मालपुरा गेट, जयपुर में एफ.आई.आर.

संख्या 170/2020 अंतर्गत धारा 224 आई.पी.सी. में दर्ज करायी गई। बंदी को पुलिस थाना मालपुरा गेट, जयपुर द्वारा दिनांक 26.10.2020 को गिरफ्तार कर जेल दाखिल कराया गया। अधीक्षक जेल ने बंदी का आचरण असंतोषप्रद बताते हुए बंदी को खुला शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (ग) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं है। अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी पवन पुत्र बद्रीप्रसाद** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

225. याकूब उर्फ काड़ा उर्फ रवि पुत्र महताब, के.का. भरतपुर :- बंदी ने दिनांक 31.12.2020 तक 09 वर्ष 04 माह 17 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है। बंदी को निम्न प्रकरणों में दण्डित किया गया है :-

1. माननीय ए.डी.जे. संख्या 02, डीग (भरतपुर) द्वारा प्रकरण संख्या 19/2012 अंतर्गत धारा 376 (2) (जी), 366ए, 368 आई.पी.सी. में दिनांक 25.10.2013 को 10 वर्ष कठोर कारावास।
2. माननीय ए.सी.जे.एम., कामां द्वारा प्रकरण संख्या 361/2012 अंतर्गत धारा 3/25 (1)(1-बी)(ए) आर्म्स एक्ट में दिनांक 21.02.2015 को 02 वर्ष कठोर कारावास।
3. माननीय ए.डी.जे. संख्या 01, डीग द्वारा प्रकरण संख्या 17/2015 अंतर्गत धारा 03/25 आर्म्स एक्ट में दिनांक 10.08.2017 को अभिरक्षा में व्यतीत की गई अवधि।
4. माननीय ए.सी.जे.एम. संख्या 01, भरतपुर द्वारा प्रकरण संख्या 657/2018 अंतर्गत धारा राजस्थान कारागार संशोधन अधिनियम 2015 की धारा 58 ख में दिनांक 03.08.2019 को 01 वर्ष साधारण कारावास।

बंदी को अंतर्गत धारा 376 (2) (जी) आई.पी.सी. (प्रतिबंधित धारा) में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित किया गया है। बंदी को 30 दिवस नियमित पैरोल पर दिनांक 24.03.2018 को रिहा कर दिनांक 22.04.2018 को जेल दाखिल होने हेतु पाबंद किया गया था, किंतु बंदी नियत तिथि को जेल दाखिल नहीं होकर पैरोल से फरार हो गया, बंदी के विरूद्ध पुलिस थाना, सेवर (भरतपुर) में एफ.आई.आर. संख्या 148/2018 अंतर्गत धारा 58 क, 58 ख

राजस्थान कारागार संशोधन अधिनियम 2015 में दर्ज करवाई गई। बंदी को फरारी के पश्चात् दिनांक 15.09.2018 को उप कारागृह, डीग में दाखिल कराया गया।

उक्त के अतिरिक्त बंदी द्वारा माह अप्रैल 2019 से जून 2019 तक जेल उद्योगशाला से अनुपस्थित रहने के फलस्वरूप अधीक्षक जेल द्वारा दिनांक 12.02.2020 को बंदी को जेल उद्योगशाला में नियमित रूप से जेल उद्योगशाला जाने एवं कार्य करने हेतु औपचारिक चेतावनी दी गई। इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (ग), (घ) (च) व (छ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं हैं। अधीक्षक जेल ने बंदी के नियमानुसार खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं होने से प्रवंदना नहीं की है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी याकूब उर्फ काड़ा उर्फ रवि पुत्र महताब** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

226. **प्रीतपाल सिंह उर्फ काका पुत्र मलकीत सिंह, के.का. बीकानेर :** बंदी ने दिनांक 31.12.2020 तक 09 वर्ष 04 माह 13 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी मानसिक रोगी एवं लाचार होने से राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (झ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर में भेजे जाने हेतु पात्र नहीं है। अधीक्षक जेल बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी प्रीतपाल सिंह उर्फ काका पुत्र मलकीत सिंह** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

227. **तेजमल पुत्र मांगीलाल, के.का. कोटा :-** बंदी ने दिनांक 31.12.2020 तक 09 वर्ष 04 माह 06 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी को माननीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, महिला उत्पीड़न प्रकरण संख्या 01, कोटा द्वारा सेशन प्रकरण संख्या 119/2016 अंतर्गत धारा 307, 302 आई.पी.सी. में आजीवन कारावास (मृत्यु होने तक) से दण्डित किया गया है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी तेजमल पुत्र मांगीलाल** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

228. **जयभगवान पुत्र मांगीलाल, के.का. जयपुर :-** बंदी ने दिनांक 31.12.2020 तक 09 वर्ष 04 माह 01 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

पूर्व में बंदी, खुला बंदी शिविर, सांगानेर में सजा भुगत रहा था, के दौरान दिनांक 23.12.2019 को सायंकाल रोलकॉल में उपस्थित नहीं होकर खुला बंदी शिविर से फरार हो गया, बंदी के विरूद्ध पुलिस थाना सांगानेर में एफ. आई.आर. संख्या 1888/2019 अंतर्गत धारा 224 आई.पी.सी. में दर्ज करायी गई। दिनांक 27.12.2019 को बाद फरारी पुलिस थाना, सांगानेर द्वारा गिरफ्तार कर जेल दाखिल कराया गया। अधीक्षक जेल ने बताया है कि बंदी मानसिक रोग का उपचार प्राप्त कर रहा है।

इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (ग) व (झ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं हैं। अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी जयभगवान पुत्र मांगीलाल** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

229. **राजेश उर्फ राजू पुत्र बद्रीप्रसाद, के.का. जयपुर :-** बंदी ने दिनांक 31.12.2020 तक 09 वर्ष 03 माह 27 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी को अंतर्गत धारा 392 आई.पी.सी. (प्रतिबंधित धारा) में 05 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित किया गया है, जिसकी सजा समाप्त हो चुकी है, किंतु बंदी निम्नांकित प्रकरणों में विचाराधीन है :-

1. माननीय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, शाहपुरा (जयपुर) के प्रकरण संख्या 32/2012 अंतर्गत धारा 365, 342, 395 आई.पी.सी.।
2. माननीय अपर सैशन न्यायाधीश नं. 01, कोटपूतली (जयपुर) के प्रकरण संख्या 27/2012 अंतर्गत धारा 394, 365, 323, 412, 413 आई.पी.सी.।

3. माननीय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोटपूतली (जयपुर) के प्रकरण संख्या 281/2013 अंतर्गत धारा 341, 323, 141 आई.पी.सी.।

उक्त के अतिरिक्त बंदी जिला कारागृह, भीलवाड़ा से भी विचाराधीन है एवं अन्य कारागृहों से भी वांछित है।

अत: उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी राजेश उर्फ राजू पुत्र बद्रीप्रसाद** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

230. मानाराम पुत्र दीवानचंद, वि.के.का. श्यालावास (दौसा) :- बंदी ने दिनांक 31.12.2020 तक 09 वर्ष 03 माह 03 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी को अंतर्गत धारा 376 (2) (जी), 376 (डी) आई.पी.सी. (प्रतिबंधित धारा) में आजीवन कारावास से दण्डित किया गया है, इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (घ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं है।

अत: उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी मानाराम पुत्र दीवानचंद** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

231. सजल बर्मन पुत्र दिनेश बर्मन, वि.के.का. श्यालावास (दौसा) :- बंदी ने दिनांक 31.12.2020 तक 09 वर्ष 03 माह 03 दिवस की सजा मय विचाराधीन अवधि के भुगती है।

बंदी को माननीय विशिष्ट न्यायाधीश, एन.डी.पी.एस. एक्ट, बीकानेर द्वारा प्रकरण संख्या 01/2012 अंतर्गत धारा 8/15 एन.डी.पी.एस. एक्ट में 20 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित किया गया है।

बंदी द्वारा 20 वर्ष की सजावधि के विरूद्ध अभी तक लगभग 09 वर्ष 03 माह की सजावधि ही भुगती है तथा बंदी को मादक पदार्थो की तस्करी में दण्डित किया गया है तथा खुला बंदी शिविर में भेजे जाने से उसके पुन: मादक पदार्थो की तस्करी में सम्मिलित होने/फरार होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

अत: उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी सजल बर्मन पुत्र दिनेश बर्मन** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

232. नटवरलाल पुत्र कानजी, के.का. उदयपुर :- बंदी ने दिनांक 31.12.2020 तक 09 वर्ष 03 माह 03 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

पूर्व में बंदी को 30 दिवस नियमित पैरोल पर दिनांक 12.06.2015 को रिहा कर दिनांक 11.07.2015 को जेल दाखिल होने हेतु पाबंद किया गया था, किंतु बंदी नियत तिथि को जेल दाखिल नहीं होकर पैरोल से फरार हो गया। बंदी को दिनांक 15.04.2019 को पुलिस थाना, गढ़ी, जिला बांसवाड़ा द्वारा गिरफ्तार कर जेल दाखिल कराया गया।

इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (ग) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं हैं, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी नटवरलाल पुत्र कानजी** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

233. हरिप्रसाद पुत्र गोपाल लाल, के.का. कोटा :- बंदी ने दिनांक 31.12.2020 तक 09 वर्ष 03 माह 02 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी को अंतर्गत धारा 376 घ, 377 व 394 आई.पी.सी. (प्रतिबंधित धारा) में क्रमशः आजीवन कारावास व 10-10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित किया गया है, इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (घ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं हैं, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी हरिप्रसाद पुत्र गोपाल लाल** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

234. सुनील पुत्र निक्काराम, वि.के.का. श्यालावास (दौसा) :- बंदी ने दिनांक 31.12.2020 तक 09 वर्ष 02 माह 29 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी को अंतर्गत धारा 376 (2) (i) आई.पी.सी. (प्रतिबंधित धारा) में आजीवन कारावास (शेष प्राकृतिक जीवन तक) से दण्डित किया गया है। इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (घ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं हैं।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी सुनिल पुत्र निक्काराम** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

235. शम्भूलाल पुत्र मोगजी, के.का. उदयपुर :- बंदी ने दिनांक 31.12.2020 तक 09 वर्ष 02 माह 20 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी को माननीय न्यायाधीश (विशेष न्यायालय यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012), उदयपुर द्वारा सेशन प्रकरण संख्या 218/2013 अंतर्गत धारा 4 पोक्सो एक्ट में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित किया गया है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी शम्भूलाल पुत्र मोगजी** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

236. पप्पूलाल उर्फ हनुमान पुत्र परसराम, के.का. जोधपुर :- बंदी ने दिनांक 31.12.2020 तक 09 वर्ष 02 माह 17 दिवस की सजा मय विचाराधीन अवधि के भुगती है।

बंदी को माननीय विशेष न्यायाधीश, एन.डी.पी.एस. एक्ट, नीमच (म.प्र.) द्वारा प्रकरण संख्या 39/2010 अंतर्गत धारा 8/15 (सी) एन.डी.पी.एस. एक्ट में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित किया गया है।

बंदी को मादक पदार्थो की तस्करी में दण्डित किया गया है तथा खुला बंदी शिविर में भेजे जाने से उसके पुनः मादक पदार्थो की तस्करी में सम्मिलित होने/फरार होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी पप्पूलाल उर्फ हनुमान पुत्र परसराम** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

237. राजकुमार गुप्ता पुत्र अनंतराम, के.का. कोटा :- बंदी ने दिनांक 31.12.2020 तक 09 वर्ष 02 माह 14 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी को अंतर्गत धारा 376 आई.पी.सी. (प्रतिबंधित धारा) में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित किया गया है। इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (घ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी राजकुमार गुप्ता पुत्र अनंतराम** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

238. रत्ती पुत्र रसूला, के.का. भरतपुर :- बंदी ने दिनांक 31.12.2020 तक 09 वर्ष 02 माह 05 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी को दिनांक 15.06.2009 को 30 दिवस नियमित पैरोल पर रिहा कर दिनांक 14.07.2009 को जेल दाखिल होने हेतु पाबंद किया गया था, किंतु बंदी नियत तिथि को जेल दाखिल नहीं होकर पैरोल से फरार हो गया। जिसे पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर दिनांक 14.09.2020 को जेल दाखिल कराया गया। इस प्रकार बंदी राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (ग) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है एवं बंदी 02 अन्य प्रकरणों में विचाराधीन भी है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी रत्ती पुत्र रसूला** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

239. शंकरलाल पुत्र जगन्नाथ, के.का. उदयपुर :- बंदी ने दिनांक 31.12.2020 तक 09 वर्ष 01 माह 20 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है। बंदी को निम्नांकित प्रकरणों में दण्डित किया गया है :-

1. माननीय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, निम्बाहेड़ा द्वारा सेशन प्रकरण संख्या 35/2012 अंतर्गत धारा 323, 354, 376 आई.पी.सी. में दिनांक 03.10.2013 को आजीवन कारावास।

2. माननीय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, निम्बाहेड़ा द्वारा प्रकरण संख्या 568/2012 अंतर्गत धारा 498ए, 323 आई.पी.सी. में 06 माह कारावास।

3. माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, उदयपुर द्वारा प्रकरण संख्या 55/2018 अंतर्गत धारा 11 (2) ख कारागार संशोधन अधिनियम 2015 में 01 वर्ष साधारण कारावास।

पूर्व में बंदी को 20 दिवस नियमित पैरोल पर दिनांक 01.02.2018 को रिहा कर दिनांक 20.02.2018 को जेल दाखिल होने हेतु पाबंद किया गया था, किंतु बंदी नियत तिथि को जेल दाखिल नहीं होकर पैरोल से फरार हो गया। बंदी के विरूद्ध पुलिस थाना, सूरजपोल (उदयपुर) में एफ.आई.आर. संख्या 55/2018 दर्ज करवाई गई। बंदी को पुलिस थाना सूरजपोल (उदयपुर) द्वारा गिरफ्तार कर दिनांक 18.05.2018 को जेल दाखिल करवाया गया।

उक्त के अतिरिक्त बंदी को 376 आई.पी.सी. (प्रतिबंधित धारा) में आजीवन कारावास से दण्डित किया गया है। इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (ग), (घ) व (च) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं हैं, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी शंकरलाल पुत्र जगन्नाथ** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

240. जमनाशंकर पुत्र प्रभूलाल, के.का. कोटा :- बंदी ने दिनांक 31.12.2020 तक 09 वर्ष 01 माह 20 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी को अंतर्गत धारा 376 घ, 377 व 394 आई.पी.सी. (प्रतिबंधित धारा) में क्रमशः आजीवन कारावास व 10-10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित किया गया है, इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (घ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं हैं, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

उक्त के अतिरिक्त दिनांक 13.07.2019 को तलाशी के दौरान बंदी के पास मोबाईल मय सिम कार्ड बरामद होने पर अधीक्षक जेल द्वारा दिनांक 13.07.2019 को 07 दिवस अर्जित परिहार जब्त कर जेलदण्ड से दण्डित किया गया।

इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (घ) व (छ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं हैं, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी जमनाशंकर पुत्र प्रभूलाल** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

241. शंकर पुत्र मोडू उर्फ हरजी, के.का. कोटा :- बंदी ने दिनांक 31.12.2020 तक 09 वर्ष 01 माह 13 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

पूर्व में बंदी, खुला बंदी शिविर, कोटा में सजा भुगत रहा था, के दौरान दिनांक 17.11.2020 को सायंकाल रोलकॉल में उपस्थित नहीं होकर खुला बंदी शिविर से फरार हो गया। जिस पर बंदी के विरूद्ध पुलिस थाना, नयापुरा कोटा में एफ.आई.आर. संख्या 381/2020 दर्ज करवायी गई। बंदी को पुलिस थाना, नयापुरा कोटा द्वारा गिरफ्तार कर दिनांक 19.11.2020 को म.बं.सु.गृ. कोटा में दाखिल कराया गया एवं दिनांक 21.11.2020 को शेष सजा भुगतने हेतु के.का. कोटा में दाखिल कराया गया।

इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (ग) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी शंकर पुत्र मोडू उर्फ हरजी** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

242. भाणुनाथ पुत्र सावतनाथ उर्फ श्योपतनाथ, के.का. बीकानेर :- बंदी ने दिनांक 31.12.2020 तक 09 वर्ष 01 माह 07 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी को अंतर्गत धारा 376 (2) (जी) आई.पी.सी. (प्रतिबंधित धारा) में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित किया गया है। इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (घ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं हैं, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी भाणुनाथ पुत्र सावतनाथ उर्फ श्योपतनाथ** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

243. विद्याधर सैनी उर्फ विजय पुत्र प्रभातीराम, के.का. बीकानेर :- बंदी ने दिनांक 31.12.2020 तक 09 वर्ष 01 माह 04 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी को अंतर्गत धारा 376 आई.पी.सी. (प्रतिबंधित धारा) में आजीवन कारावास से दण्डित किया गया है। इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (घ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं हैं, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी विद्याधर सैनी उर्फ विजय पुत्र प्रभातीराम** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

244. गुड्डु सर्किट उर्फ अब्दुल रफीक पुत्र अब्दुल हमीद, के.का. कोटा :- बंदी ने दिनांक 31.12.2020 तक 09 वर्ष 01 माह की सजा मय परिहार के भुगती है। बंदी को निम्नांकित प्रकरणों में दण्डित किया गया है :-

1. माननीय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश क्रम 3, कोटा द्वारा सेशन प्रकरण संख्या 39/2012 अंतर्गत धारा 302 आई.पी.सी. में दिनांक 30.09.2015 को आजीवन कारावास।
2. माननीय ए.सी.जे.एम. (पीसीपीएनडीटी) एक्ट, कोटा द्वारा प्रकरण संख्या 849694/2018 अंतर्गत धारा 4/25 आर्म्स एक्ट में दिनांक 29.07.2019 को 06 माह साधारण कारावास।
3. माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोटा द्वारा प्रकरण संख्या 96/2019 अंतर्गत धारा 58 (ख) राजस्थान कारागार संशोधन विधेयक, 2015 में दिनांक 24.09.2019 को 06 माह साधारण कारावास।

पूर्व में बंदी को 20 दिवस नियमित पैरोल पर दिनांक 20.09.2018 को रिहा कर दिनांक 09.10.2018 को जेल दाखिल होने हेतु पाबंद किया गया था, किंतु बंदी नियत तिथि को जेल दाखिल नहीं होकर पैरोल से फरार हो गया। बंदी को पुलिस थाना मकबरा, कोटा द्वारा गिरफ्तार कर प्रकरण संख्या 497/2018 अंतर्गत धारा 4/25 आर्म्स एक्ट में दिनांक 27.10.2018 को जेल दाखिल करवाया गया।

इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (ग) व (च) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं हैं, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी का आचरण असंतोषप्रद बताते हुए उसे खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी गुड्डु सर्किट उर्फ अब्दुल रफीक पुत्र अब्दुल हमीद** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

245. छीतर सिंह पुत्र फतेह सिंह, के.का. अजमेर :- बंदी ने दिनांक 31.12.2020 तक 09 वर्ष 26 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी को अंतर्गत धारा 376 आई.पी.सी. (प्रतिबंधित धारा) में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित किया गया है तथा बंदी के जेल उद्योगशाला से स्वेच्छापूर्वक अनुपस्थित रहने पर अधीक्षक जेल द्वारा दिनांक 17.12.2019 को 04 दिवस परिहार जब्त कर जेलदण्ड से दण्डित किया गया।

इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (घ) व (छ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला बंदी शिविर में नहीं भेजे जाने की प्रवंदना की है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी छीतर सिंह पुत्र फतेह सिंह** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

246. सुरजे खां पुत्र करीम खां, के.का. जोधपुर :- बंदी ने दिनांक 31.12.2020 तक 09 वर्ष 18 दिवस की सजा मय विचाराधीन अवधि के भुगती है।

बंदी को माननीय विशिष्ट न्यायाधीश, एन.डी.पी.एस. एक्ट केसेज, जोधपुर द्वारा सेशन प्रकरण संख्या 119/2010 अंतर्गत धारा 8/21, 29 एन.डी.पी.एस. एक्ट में 20 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित किया गया है।

बंदी द्वारा 20 वर्ष की सजावधि के विरूद्ध अभी तक लगभग 09 वर्ष 04 माह की सजा ही भुगती है तथा बंदी को मादक पदार्थो की तस्करी में दण्डित किया गया है तथा खुला बंदी शिविर में भेजे जाने से उसके पुन: मादक पदार्थो की तस्करी में सम्मिलित होने/फरार होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

अत: उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी सुरजे खां पुत्र करीम खां** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

247. गजेन्द्र पुत्र कृष्णमुरारी, के.का. अजमेर :- बंदी ने दिनांक 31.12.2020 तक 09 वर्ष 11 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी को माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 31/2013 अंतर्गत धारा 4 पोक्सो एक्ट में आजीवन कारावास से दण्डित किया गया है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला बंदी शिविर में नहीं भेजे जाने की प्रवंदना की है।

अत: उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी गजेन्द्र पुत्र कृष्णमुरारी** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

248. कल्लू उर्फ कमलसिंह पुत्र श्यामलाल, के.का. भरतपुर :- बंदी ने दिनांक 31.12.2020 तक 09 वर्ष 11 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी को अंतर्गत धारा 395, 396 आई.पी.सी. (प्रतिबंधित धारा) में आजीवन कारावास से दण्डित किया गया है। इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (घ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं हैं, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अत: उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी कल्लू उर्फ कमलसिंह पुत्र श्यामलाल** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

249. मुस्ताक उर्फ आरिफ पुत्र मजीद, के.का. बीकानेर :- बंदी ने दिनांक 31.12.2020 तक 09 वर्ष 04 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

पूर्व में बंदी को 30 दिवस नियमित पैरोल पर दिनांक 10.01.2018 को रिहा कर दिनांक 08.02.2018 को जेल दाखिल होने हेतु पाबंद किया गया था, किंतु बंदी नियत तिथि को जेल दाखिल नहीं होकर पैरोल से फरार हो गया। बंदी के विरूद्ध पुलिस थाना, बीछवाल में एफ.आई.आर. संख्या 43/2018 दर्ज करवाई गई। बंदी को पुलिस थाना पुनहाना, नूंह, मेवात (हरियाणा) के एफ.आई.आर. संख्या 168/2018 में गिरफ्तार कर दिनांक 26.07.2018 को जिला कारागृह, गुरूग्राम (हरियाणा) में जेल दाखिल करवाया गया।

इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (ग) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं हैं, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है। बंदी 02 अन्य प्रकरणों में विचाराधीन भी है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी मुस्ताक उर्फ आरिफ पुत्र मजीद** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

250. मंछाराम उर्फ मंछाभाई पुत्र ओबाजी, के.का. जोधपुर :- बंदी ने दिनांक 31.12.2020 तक 08 वर्ष 11 माह 28 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

दिनांक 01.04.2019 को बाद पैरोल जेल दाखिल होते समय आर.ए.सी. गार्ड द्वारा बंदी की तलाशी लिये जाने पर उसके बैग की जेब से एक वोडाफोन 4जी सिमकार्ड व 2000/- रूपये नकद बरामद होने पर बंदी के विरूद्ध पुलिस थाना, रातानाड़ा, जोधपुर में एफ.आई.आर. संख्या 153/2019 दर्ज करवाई गई तथा अधीक्षक जेल द्वारा भी दिनांक 01.04.2019 को 01 माह तक मुलाकात से वंचित कर जेलदण्ड से दण्डित किया गया।

इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (छ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं हैं। अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी मंछाराम उर्फ मंछाभाई पुत्र ओबाजी** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

251. आबिद हुसैन पुत्र अब्दुल शकूर, के.का. अजमेर :- बंदी ने दिनांक 31.12.2020 तक 08 वर्ष 11 माह 27 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी को माननीय अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश, नागौर द्वारा प्रकरण संख्या 108/2011 अंतर्गत धारा 376 आई.पी.सी. (प्रतिबंधित धारा) में दिनांक 20.12.2014 को आजीवन कारावास एवं माननीय विशिष्ट न्यायाधीश पोक्सो एक्ट, मेड़ता द्वारा प्रकरण संख्या 45/2013 अंतर्गत धारा 5 (फ) (ड)/6 पोक्सो एक्ट में 10 वर्ष कठोर कारावास से दिनांक 01.07.2016 को दण्डित किया गया है।

उक्त के अतिरिक्त बंदी के माह अप्रैल, 2019 से दिसम्बर, 2019 तक जेल उद्योगशाला से स्वेच्छापूर्वक अनुपस्थित रहने के फलस्वरूप अधीक्षक जेल द्वारा दिनांक 17.12.2019 को 04 दिवस अर्जित परिहार जब्त कर जेलदण्ड से दण्डित किया गया है।

इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (घ) व (छ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं हैं, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी आबिद हुसैन पुत्र अब्दुल शकूर** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

252. अर्जुन सिंह पुत्र हीरा सिंह, के.का. उदयपुर :- बंदी ने दिनांक 31.12.2020 तक 08 वर्ष 11 माह 18 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी को अंतर्गत धारा 376 (2) (F) आई.पी.सी. (प्रतिबंधित धारा) में आजीवन कारावास से दण्डित किया गया है। इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (घ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं हैं। अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी अर्जुन सिंह पुत्र हीरा सिंह** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

253. मंजीत सिंह पुत्र हुकम सिंह, के.का. अलवर :- बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2020 तक 08 वर्ष 11 माह 14 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है। बंदी को निम्नांकित प्रकरणों में दण्डित किया गया है :-

1. माननीय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, सुजानगढ़, चूरू द्वारा सेशन प्रकरण संख्या 24/2011 अंतर्गत धारा 302/149 आई.पी.सी. मे दिनांक 07.06.2018 को आजीवन कारावास।
2. माननीय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नवलगढ़ द्वारा सेशन प्रकरण संख्या 50/2001 अंतर्गत धारा 3/25 आर्म्स एक्ट में दिनांक 16.04.2019 को 01 वर्ष कठोर कारावास।
3. माननीय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, डीडवाना, जिला नागौर द्वारा प्रकरण संख्या 13/2002 अंतर्गत धारा 148, 302, 149 आई.पी.सी. में दिनांक 03.09.2019 को आजीवन कारावास।

इस प्रकार बंदी 02 से अधिक 03 प्रकरणों में दण्डित होने से राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (च) के तहत साधारणतया तथा नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर में भेजे जाने हेतु पात्र नहीं हैं। उक्त के अतिरिक्त बंदी 02 अन्य प्रकरणों में विचाराधीन भी है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी मंजीत सिंह पुत्र हुकम सिंह** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

254. देवाराम रावल पुत्र टीला रावल, के.का. अजमेर :- बंदी ने दिनांक 31.12.2020 तक 08 वर्ष 11 माह 12 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी को अंतर्गत धारा 376 आई.पी.सी. (प्रतिबंधित धारा) में 12 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित किया गया है। इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (घ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं हैं, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी देवाराम रावल पुत्र टीला रावल** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

255. बद्रीलाल पुत्र कालुराम, वि.के.का. श्यालावास (दौसा) :- बंदी ने दिनांक 31.12.2020 तक 08 वर्ष 11 माह 09 दिवस की सजा मय विचाराधीन अवधि के भुगती है।

बंदी को माननीय विशिष्ट न्यायाधीश, एन.डी.पी.एस. एक्ट, बीकानेर द्वारा प्रकरण संख्या 05/2012 अंतर्गत धारा 8/15 एन.डी.पी.एस. एक्ट में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित किया गया है।

बंदी को मादक पदार्थो की तस्करी में दण्डित किया गया है तथा खुला बंदी शिविर में भेजे जाने से उसके पुनः मादक पदार्थो की तस्करी में सम्मिलित होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी बद्रीलाल पुत्र कालुराम** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

256. गोवर्धननाथ उर्फ गोविन्द पुत्र शंकरलाल, के.का. बीकानेर :- बंदी ने दिनांक 31.12.2020 तक 08 वर्ष 11 माह 08 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी के अंतर्गत धारा 376 आई.पी.सी. (प्रतिबंधित धारा) में 10 वर्ष साधारण कारावास से दण्डित किये जाने से वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (घ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं हैं, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी गोवर्धननाथ उर्फ गोविन्द पुत्र शंकरलाल** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

257. सफर मोहम्मद उर्फ गोलू पुत्र मोहम्मद अजीज, के.का. कोटा :- बंदी ने दिनांक 31.12.2020 तक 08 वर्ष 11 माह की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी के प्रकरण पर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय खण्डपीठ, जयपुर द्वारा पारित आदेशों की पालना में पृथक से विचार किया जा चुका है।

258. गुरजन्ट सिंह उर्फ जन्टा सिंह पुत्र मुकुन्द सिंह, वि.के.का. श्यालावास (दौसा) :- बंदी ने दिनांक 31.12.2020 तक 08 वर्ष 10 माह 26 दिवस की सजा मय विचाराधीन अवधि के भुगती है।

बंदी को माननीय विशिष्ट न्यायाधीश एन.डी.पी.एस. एक्ट, रतनगढ़ (चूरू) द्वारा प्रकरण संख्या 01/2012 अंतर्गत धारा 8/15 एन.डी.पी.एस. एक्ट में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित किया गया है।

बंदी को मादक पदार्थो की तस्करी में दण्डित किया गया है तथा खुला बंदी शिविर में भेजे जाने से उसके पुनः मादक पदार्थो की तस्करी में सम्मिलित होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी गुरजन्ट सिंह उर्फ जन्टा सिंह पुत्र मुकुन्द सिंह** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

259. बगड़ाराम पुत्र हाफुराम विश्नोई, के.का. जोधपुर :- बंदी ने दिनांक 31.12.2020 तक 08 वर्ष 10 माह 08 दिवस की सजा मय विचाराधीन अवधि के भुगती है।

बंदी को माननीय न्यायाधीश एन.डी.पी.एस. न्यायालय, नीमच (म.प्र.) द्वारा प्रकरण संख्या 85/1995 अंतर्गत धारा 8/18 (बी) एन.डी.पी.एस. एक्ट में 20 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित किया गया है।

बंदी को मादक पदार्थो की तस्करी में दण्डित किया गया है तथा खुला बंदी शिविर में भेजे जाने से उसके पुनः मादक पदार्थो की तस्करी में सम्मिलित होने/फरार होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। उक्त के अतिरिक्त बंदी एन.डी.पी.एस. न्यायालय, जोधपुर के प्रकरण संख्या 125/2012 (276/2012) में विचाराधीन भी है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी बगड़ाराम पुत्र हाफुराम विश्नोई** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

260. राजेन्द्र उर्फ गौरू पुत्र हेतराम, के.का. बीकानेर :- बंदी ने दिनांक 31.12.2020 तक 08 वर्ष 10 माह 08 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी को अंतर्गत धारा 376 (2) (F) आई.पी.सी. (प्रतिबंधित धारा) विकल्प में 5 (एम)/6 पोक्सो एक्ट में आजीवन कारावास से दण्डित किया गया है। इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (घ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं हैं, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी राजेन्द्र उर्फ गौरू पुत्र हेतराम** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

261. सुनील कुमार पुत्र पूरणमल, के.का. अजमेर :- बंदी ने दिनांक 31.12.2020 तक 08 वर्ष 10 माह 05 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी के जेल उद्योगशाला से माह अप्रैल, 2019 से दिसम्बर, 2019 तक स्वेच्छापूर्वक अनुपस्थित रहने पर अधीक्षक जेल द्वारा दिनांक 17.12.2019 को औपचारिक चेतावनी एवं 03.12.2020 को 04 दिवस अर्जित परिहार जब्त कर जेलदण्ड से दण्डित किया गया।

इस प्रकार बंदी, राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (छ) के तहत साधारणतया तथा नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर में भेजे जाने हेतु पात्र नहीं हैं, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी सुनील कुमार पुत्र पूरणमल** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

262. सुखदेव पुत्र सुच्चासिंह, के.का. भरतपुर :- बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2020 तक 08 वर्ष 10 माह 03 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी द्वारा जेल उद्योगशाला से माह मार्च, 2019, मई, 2019 से अगस्त, 2019 एवं अक्टूबर, 2019 से दिसम्बर, 2019 तक जेल उद्योगशाला से अनुपस्थित रहने व आवंटित कार्य नहीं करने के फलस्वरूप अधीक्षक जेल द्वारा बंदी को दिनांक 12.02.2020 को औपचारिक चेतावनी के जेलदण्ड से दण्डित किया गया।

इस प्रकार बंदी, राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (छ) के तहत साधारणतया तथा नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर में भेजे जाने हेतु पात्र नहीं हैं। अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी सुखदेव पुत्र सुच्चासिंह** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

263. राकेश पुत्र रमसी उर्फ रामसिंह, के.का. भरतपुर :- बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2020 तक 08 वर्ष 10 माह की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी को दिनांक 13.06.2019 को 30 दिवस पैरोल पर रिहा कर दिनांक 12.07.2019 को जेल दाखिल होने हेतु पाबंद किया गया था, किंतु बंदी नियत तिथि को जेल दाखिल नहीं होकर पैरोल से फरार हो गया, बंदी के विरूद्ध पुलिस थाना, सेवर में एफ.आई.आर. संख्या 423/2019 दर्ज करवाई गई। बंदी को पुलिस थाना, बाड़ी (धौलपुर) द्वारा गिरफ्तार कर दिनांक 19.09.2019 को जिला कारागृह, धौलपुर दाखिल करवाया गया। इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (ग) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है। बंदी फरारी प्रकरण एवं 02 अन्य प्रकरणों में भी विचाराधीन है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी राकेश पुत्र रमसी उर्फ रामसिंह** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

264. राजू उर्फ राजेन्द्र कुमार पुत्र समरथाराम, के.का. जोधपुर :- बंदी ने दिनांक 31.12.2020 तक 08 वर्ष 09 माह 27 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी मानसिक रोगी होने से राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (झ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर में भेजे जाने हेतु पात्र नहीं है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी राजू उर्फ राजेन्द्र कुमार पुत्र समरथाराम** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

265. रघुवीर पुत्र लाखन सिंह, के.का. भरतपुर :- बंदी ने दिनांक 31.12.2020 तक 08 वर्ष 09 माह 27 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी को अंतर्गत धारा 376 (2) (आई) आई.पी.सी. (प्रतिबंधित धारा) में आजीवन कारावास से दण्डित किया गया है, इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (घ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं हैं, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है तथा बंदी को दण्डाधिकारी न्यायालय द्वारा पोक्सो एक्ट में भी आजीवन कारावास से दण्डित किया गया है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी रघुवीर पुत्र लाखन सिंह** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

266. रूपचंद पुत्र मूलचंद, के.का. कोटा :- बंदी ने दिनांक 31.12.2020 तक 08 वर्ष 09 माह 26 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

दण्डाधिकारी न्यायालय द्वारा बंदी को अंतर्गत धारा 302 आई.पी.सी. में मृत्यु होने तक आजीवन कारावास से दण्डित किया गया है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी रूपचंद पुत्र मूलचंद** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

अग्रेषित प्रकरण :-

1. **प्रकाश पुत्र नानजी, के.का. उदयपुर :-** बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2020 तक 09 वर्ष 11 माह 18 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

उक्त बंदी के प्रकरण पर आगामी बैठक में विचार करने का समिति द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।

अन्य प्रकरण :-

1. **इमरान उर्फ संजय पुत्र शमसुद्धीन, के.का. कोटा :-** बंदी को दिनांक 11.02.2021 को स्थाई पैरोल पर रिहा किये जाने से प्रकरण पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है।

2. **धन्नाराम पुत्र जोगाराम, के.का. बीकानेर :-** बंदी को सजा समाप्ति पर दिनांक 13.03.2021 को रिहा किये जाने से प्रकरण पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है।

3. **मुकेश पुत्र घासीराम, के.का. जयपुर :-** बंदी को स्थाई पैरोल पर रिहा किये जाने से प्रकरण पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है।

4. **आनन्द सोनी पुत्र सुखराम सोनी, के.का. बीकानेर :-** बंदी के खुला बंदी शिविर प्रकरण पर दिनांक 15.02.2021 को आयोजित समिति की बैठक में विचार कर बंदी को खुला बंदी शिविर भेजे जाने से पुनः प्रकरण पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है।

5. **रूपाराम पुत्र बुधाराम, के.का. अलवर :-** माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय खण्डपीठ, जयपुर के आदेशों की पालना में बंदी को खुला बंदी शिविर भेजे जाने से पुनः प्रकरण पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है।

6. **सिब्बाराम पुत्र बुधाराम, के.का. अलवर :-** माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय खण्डपीठ, जयपुर के आदेशों की पालना में बंदी को खुला बंदी शिविर भेजे जाने से पुनः प्रकरण पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है।

7. **हलधर उर्फ हलदर पुत्र बरदुदास, वि.के.का. श्यालावास, दौसा :-** बंदी के खुला बंदी शिविर प्रकरण पर दिनांक 15.02.2021 को आयोजित समिति की बैठक में विचार कर बंदी को खुला बंदी शिविर भेजे जाने से पुनः प्रकरण पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है।

8. **डालचन्द उर्फ बबलू पुत्र रामसिंह, के.का. जयपुर :-** माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय खण्डपीठ, जयपुर के आदेशों की पालना में बंदी को खुला बंदी शिविर भेजे जाने से पुनः प्रकरण पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है।

9. मोहन पुत्र रामेश्वरदास, वि.के.का. श्यालावास, दौसा :- बंदी के खुला बंदी शिविर प्रकरण पर दिनांक 15.02.2021 को आयोजित समिति की बैठक में विचार कर बंदी को खुला बंदी शिविर भेजे जाने से पुनः प्रकरण पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है।

सदस्य सहायक निदेशक (परिवीक्षा) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान जयपुर।	**सदस्य सचिव** उप महानिरीक्षक कारागार रेंज, जयपुर।	**सदस्य** उप शासन सचिव गृह (ग्रुप-12) विभाग राजस्थान, जयपुर।	**सदस्य** महानिरीक्षक कारागार राजस्थान, जयपुर।	**सदस्य** अति. महानिदेशक कारागार राजस्थान, जयपुर।	**अध्यक्ष** महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कारागार राजस्थान जयपुर।